पंचदश माला, खंड 12, अंक 21

शनिवार, 21 अगस्त, 2010
30 श्रावण, 1932 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

(खण्ड 12 में अंक 21 से 26 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

प्रमेश कुमार शर्मा
अपर निदेशक

सुमन रतन
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/12/21/2010 (एन०)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 12, पांचवां सत्र 2010/1932 (शक)]

अंक 21, शनिवार, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा निवेदन	
मस्जिदों के इमामों के वेतन तथा पारिश्रमिक के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वियन किए जाने की आवश्यकता के बारे में	3-10
सभा पटल पर रखे गए पत्र	19
राज्य सभा से संदेश	20
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	20
वित्तीय समितियां—एक समीक्षा	20
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
13वां और 14वां प्रतिवेदन	21
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
10वां और 11वां प्रतिवेदन	21
सभा का कार्य	22-25
कार्य मंत्रणा समिति	
20वां प्रतिवेदन	25
स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2010	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	26
श्री एम. वीरप्पा मोइली	26
श्री चंदूलाल साहू	26
डॉ. गिरिजा व्यास	28
श्री शैलेन्द्र कुमार	32
डॉ. बलीराम	33

विषय	**कॉलम**

श्री अर्जुन चरण सेठी 34

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन 35

श्री एस. सेम्मलई 36

डॉ. संजीव गणेश नाईक 37

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 37

श्री प्रशांत कुमार मजूमदार 40

खंड 2 से 4 और 1 43

पारित करने के लिए प्रस्ताव 43

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

विचार करने के लिए प्रस्ताव 43

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 43

श्री हंसराज गं. अहीर 45

श्री वी. किशोर चन्द्र देव 51

श्री शैलेन्द्र कुमार 56

डॉ. बलीराम 58

शेख सैदुल हक 60

श्री भर्तृहरि महताब 63

श्री प्रहलाद जोशी 69

श्री अधीर चौधरी 72

श्री शरद यादव 75

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 81

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र 83

खंड 2, 3 और 1 95

पारित करने के लिए प्रस्ताव 95

विषय **कॉलम**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 96

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना और उनके कल्याण हेतु किए गए उपाय

श्री अधीर चौधरी 98

श्री भर्तृहरि महताब 103

श्री निशिकांत दूबे 109

डॉ. बलीराम 111

चौधरी लाल सिंह 116

श्री एस. सेम्मलई 120

श्री अर्जुन राम मेघवाल 122

श्री सतपाल महाराज 123

श्री सुशील कुमार सिंह 124

श्री जगदीश ठाकोर 127

श्री रामकिशुन 129

श्री प्रदीप जैन 132

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 138

संकल्प वापस लिया गया 142

(दो) बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करना

डॉ. भोला सिंह 143

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शानिवार, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : आप इनकी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभार मानता हूं कि आपने मुझे दो मिनट बोलने का समय दिया। आज सदन के नेता माननीय प्रणब बाबू के कमरे में हम लोग मिले। दो तीन सवाल ऐसे थे जिन पर सदन में काफी तनाव रहा और सदन के नेता ने जब मीटिंग बुलाई तो उसमें माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय लालू जी, माननीय दारा सिंह जी, माननीय गोपीनाथ मुंडे जी हमारे दूसरे सदन के नेता अरुण जेटली जी भी थे, प्रणब बाबू के साथ पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, स्टेट मिनिस्टर भी थे, माननीय चव्हाण जी थे और एक आम सहमति से एमसीआई बिल पास हो गया, वह वापस नहीं हो सकता। प्रणब बाबू ने सुझाव दिया कि 193 के तहत बहस हो जाएगी और उस बहस में जो बात सदन के सदस्यों द्वारा उठाई जाएगी, उसके अनुरूप कोई रास्ता निकलेगा तो निकालेंगे। दूसरा सवाल जो समूचे सदन में काफी जिस पर देश में भी और सदन के भीतर भी काफी तनाव रहा है, वह है एमपीज़ की सैलेरी का। उस पर भी गोपीनाथ मुंडे जी ने, भाई मुलायम सिंह जी ने, लालू जी ने, दारा सिंह जी ने और अरुण जेटली जी ने अपने सुझाव रखे और सुझावों के बाद यह तय हुआ कि प्रणब बाबू इन सुझावों को ख्याल में रखा। सारे एमपीज़ की भावनाओं को लालू जी ने और मुलायम सिंह जी ने रखा, गोपीनाथ मुंडे जी ने भी रखा। मैं तो यहां नहीं था, इसलिए मैंने कम रखा, आप सब लोगों ने ज्यादा रखा। सारी बातों पर आपके आशीर्वाद से एक समाधान हो गया है और मैं सोचा हूं कि इसके लिए सारे नेता बधाई के पात्र तो हैं ही, और जो सांसद हैं, उनकी बेचैनी स्वाभाविक है और उस बेचैनी के समाधान के लिए आज एक बहुत सद्भावना के साथ बैठक हुई और आपके आशीर्वाद से यह तय हुआ कि अब सदन अपने तरीके से चलेगा। और एमसीआई के बिल पर 193 में डिबेट करने के लिए हम लोगों ने तय किया जो आप स्वीकार करेंगे। वह किसी और दिन हो जाएगा, जब आप तय करेंगे तब हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सदन के सभी नेताओं का और सभी माननीय सदस्यों का, विशेष तौर पर प्रणब बाबू का, बंसल जी का, स्वामी जी का और जो जो लोग वहां थे, उनका मैं बहुत आभार मानता हूं। पूरे सदन की भावना है कि अब यह सदन चले तो ज्यादा बेहतर होगा।

अध्यक्ष महोदया : श्री श्रीपाद येसो नायक – उपस्थित नहीं।

श्री एन. पीताम्बर कुरूप।

[अनुवाद]

श्री एन. पीताम्बर कुरूप (कोल्लम) : आदरणीय महोदया, मुझे आज निम्नलिखित को अविलंबनीय लोक महत्व के मामले के अधीन उठाए जाने की अनुमति प्रदान करें। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 महत्वपूर्ण राजमार्गों में से एक है जो केरल के राजधानी शहर त्रिवेन्द्रम और तमिलनाडु सीमा से होकर गुजरता है।

अध्यक्ष महोदया : यह 'शून्य काल' है। यदि यह शून्य काल का मामला नहीं है, तो आप इसे बाद में उठा सकते हैं। श्री लालू प्रसाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्या आप शून्य काल के बारे में कुछ कह रहे हैं? कृपया इसे उठाएं।

श्री एन. पीताम्बर कुरूप : राजमार्ग प्राधिकारियों ने कोल्लम जिले में मेवाराम से कावानाड तक बाईपास के निर्माण के लिए वैधानिक रूप से पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण किया है। कुछ किलोमीटर सड़क बन गई है। इसका अन्य भाग अपूर्ण अवस्था में है। स्थिति इतनी भयावह है कि इससे केरल में बहुत सी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हजारों लोगों के बहुमूल्य जान को बचाने के लिए उक्त बाईपास के कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकारियों को निर्देश दें।

प्रो. के.वी. थॉमस (एर्नाकुलम) : अध्यक्ष महोदया, मैं इस महत्वपूर्ण मामले पर स्वयं को श्री एन. पीताम्बर कुरूप के साथ सहयोजित करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

मस्जिदों के इमामों के वेतन तथा पारिश्रमिक के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, यह सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 1993 का जजमेंट है, ऑल इंडिया इमाम संगठन इल्यासी जी के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट गए थे कि जो सरकार द्वारा एडिड मस्जिदें हैं और उसके अलावा जो दूसरी मस्जिदें हैं, उनके इमामों को सैलरी जो सरकारी एडिड हैं और गैर-सरकारी एडिड को रैम्यूनरेशन दिया जाएगा। इस संबंध में सरकार 6 महीने में एक्ट बनाए और इसको इम्पलिमेंट करे। लेकिन यह बहुत दुखद है, दुखदायी है कि देश भर में जो इमाम हैं, खुदा के मैसज़िस को सुनाते हैं, सही राह दिखाते हैं, उन पर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, इसकी डिटेल में हम नहीं जाना चाहते हैं, हम यह सरकार को दे देंगे। यह कानून 6 महीने में बनाना चाहिए था। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि देश भर की मस्जिदों के जो इमाम हैं, सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का आदर करते हुए, एक कानून बनाए, जिसमें सरकारी एडिड को सैलरी और उसी संदर्भ में जो दूसरे इमाम हैं, उनको रिम्यूनरेशन देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1993 के अपने जजमेंट में दी है, इसका अनुपालन हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।*...(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शैलेन्द्र कुमार और श्री अब्दुल रहमान, श्री लालू प्रसाद द्वारा उठाए गए विषय से अपने को संबद्ध करते हैं।

आप बैठ जाइए और अपना स्वर नीचे रखिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : यदि आप सहयोजित होना चाहते हैं, तो आप अपने नाम पटल पर भेज दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री सेम्मलई जो कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : अध्यक्ष महोदया, महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे को उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं कि तमिलनाडु में सेलम नगर सभी पहलुओं से व्यस्ततम नगरों में से एक है। नगर के भीतर रेल लाइन कुछ जगहों पर सड़कों को पार करती है। विशेष रूप से अनैमेदु स्थान पर रेलवे लाइन गुजरने से सड़क के दोनों ओर यातायात की बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। यह जगह महत्वपूर्ण यातायात का जंक्शन है जहां से होकर बहुत से कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, बैंकों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की ओर जाया जाता है। विशेष रूप से यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 की ओर जाती है।

ट्रेनों के प्राय: आवागमन के कारण रेलवे फाटक बंद रहते हैं जिससे ट्रैफिक जाम रहता है और वाहन के चलाने में बहुत कठिनाई होने लगती है। इस प्रकार लोग अपने कार्य स्थल पर समय से नहीं पहुंच पाते हैं वाहन चालकों द्वारा कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस स्थान पर रेलवे उपरि पुल के निर्माण की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है।

इस मामले को रेल मंत्री के समक्ष उठाने के आग्रह के साथ मुझे कई अभ्यावेदन भेजे गए हैं। निश्चित रूप से रेलवे पुल यातायात की भीड़ को कम करेगा तथा यातायात को सुगम बनाएगा।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सेलम नगर में अनैमेदु में रेलवे उपरि पुल के निर्माण की व्यवस्था करे। मानदंडों के अनुसार अंशदान के लिए राज्य सरकार से भी संपर्क किया जाए और मंत्रालय इस कार्य के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए।

तमिलनाडु की राज्य सरकार ने इस मामले में कोई रुचि नहीं ली है। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में उपयुक्त और तत्काल कार्रवाई शुरू करें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : श्री प्रताप सिंह बाजवा।

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : महोदया, मैं भी श्री लालू जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को सहयोजित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। पर्ची पर अपना नाम लिखकर पटल पर प्रेषित करें।

...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर) : महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिससे पूरे देश में बहुत से भूतपूर्व सैनिक आंदोलित हो रहे हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

बाजवा जी, अभी आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : महोदया, हम इस मामले से अवगत हैं। यह मामला आया है। *[हिन्दी]* अभी लालू जी ने जिस बात को हमारे संज्ञान में लाने का प्रयास किया है, वह हमारे संज्ञान में है। इसमें लोगों के अलग-अलग विचार हैं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि इमाम सरकारी नौकरी करे या सरकार से कोई वेतन प्राप्त करे। सभी लोगों की राय लेकर सरकार के समाने जो उचित बात है, वह हम रखेंगे।*...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : ऑल इंडिया इमाम आर्गनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में गया था*...(व्यवधान)* उसमें जजमेंट है। इसे जो नहीं लेगा, नहीं लेगा। रेम्यूनरेशन और सैलेरी अन्य मस्जिदों को दे रहे हैं। इस तरह से बातों को टाला नहीं जाना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा कि हमें वेतन नहीं मिले।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : देश के इमामों की यह साझा मांग है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।*...(व्यवधान) [हिन्दी]* सारे देश का इमाम यह चाहता है कि उन लोगों को सरकारी वेतन मिले। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री प्रताप सिंह बाजवा जी जो बोलेंगे, केवल वही रिकॉर्ड में जाएगा, अन्य कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री सलमान खुर्शीद : इस पर विचार तो करने दीजिए।*...(व्यवधान)* आप मेरी बात सुन लीजिए।*...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : यह क्या तरीका है, जीरो ऑवर में भी मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं, मंत्री जी की बात को सुन नहीं रहे हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : हां, श्री प्रताप सिंह बाजवा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री बाजवा जो कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय, यदि आपको कुछ कहना है तो कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री सलमान खुर्शीद : महोदया, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हम उनकी चिंताओं से अवगत हैं लेकिन हमें इस पर विचार करना होगा, हमें कम से कम संबंधित लोगों से बात करनी होगी। सामान्यत: यह वक्फ़ बोर्ड है। राज्य वक्फ़ बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार हैं और केन्द्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अत: कम से कम वे हमें पूरे मामले पर विचार करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदया : हां, श्री बाजवा, कृपया अब बोलिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री बाजवा जो कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्रवाई-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री प्रताप सिंह बाजवा : महोदया, एक रैंक – एक पेंशन के मुद्दे पर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हैं, अत: मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय रक्षा मंत्री और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया किसी माननीय सदस्य के बोलते समय व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती विजया चक्रवर्ती जी, आप बैठ जाइए। शून्य-प्रहर चल रहा है, उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अत्यधिक संवेदनशील है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री प्रताप सिंह बाजवा : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कैसे खड़े हो गए। आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : यदि जजमेंट के बारे में ये इस प्रकार से बोलेंगे, तो कैसे काम चलेगा। इस बारे में यदि कुछ कहना चाहते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएं। यहां क्यों बोल रहे हैं?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदया,*...(व्यवधान)*

श्री प्रताप सिंह बाजवा : डॉक्टर साहेब, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। सारे देश के एक्स-सर्विसमैन का मसला है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद जी, आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है। यह आपस में क्या बातें हो रही हैं। आप सदन में यह क्या कर रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, इस विषय में नेता सदन कुछ कहें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जा रहा है? कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। श्रीमती विजया चक्रवर्ती जी आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : योगी जी, आप इतने क्रोध में क्यों आ रहे हैं। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। आप कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)...**

श्री प्रताप सिंह बाजवा : इन लोगों को क्या परेशानी हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइए। रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जा रहा है। आप कृपया बैठिए।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती विजया चक्रवर्ती जी, आप क्यों खड़ी हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू जी आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सदन के नेता कुछ बोलना चाहते हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : उच्चतम न्यायालय का आदेश काफी स्पष्ट है तथा सरकार उच्चतम न्यायालय का आदेश, निदेश, जो बहुत स्पष्ट है और जो इस निर्णय के पैरा छह, ''परिस्थितियों, आदि में'' में उल्लेख किया गया है और जो उन्होंने दिया है, पर ध्यान देगी। प्रचालनात्मक अंश यह है कि 'यूनियन ऑफ इंडिया और सैन्ट्रल वक्फ़ बोर्ड विभिन्न प्रकार की मस्जिदों, जिनका कुछ ब्यौरा दिया गया है, के संबंध में छह महीनों की अवधि के भीतर एक योजना तैयार करेगा।' इसलिए, सरकार इससे पूर्णतया अवगत है तथा वह समुचित कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर) : मैडम, मैं आपका बहुत मशकूर हूं और सारे हाउस से मुझे यह गुजारिश करनी है कि जीरो

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रताप सिंह बाजवा]

ऑवर में यह जो इश्यू है, यह एक्स सर्विसमेन का इश्यू है। कृपया करके, कुछ भी हो, पांच मिनट मुझे दे दीजिए। *[अनुवाद]* यह देश भर में भूतपूर्व सैनिकों के मन को उद्वेलित कर रहा है।

समान रैंक समान पेंशन के मुद्दे पर बहुत उलझन व्याप्त है, इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री एवम् सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। जो अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है और भूतपूर्व सैनिकों को परेशान कर रहा है क्योंकि कार्मिकों के अन्य कई वर्ग राष्ट्र के प्रति कमतर सेवा के लिए ओआरओपी प्राप्त कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों की यह मांग रही है कि किसी सैनिक की सेवानिवृत्ति की तारीख का लिहाज किए बिना समान रैंक समान पेंशन होनी चाहिए। वर्तमान अंतर को दूर किया जाना चाहिए तथा एक समान पेंशन मिलनी चाहिए।

तथापि, सरकार ने अपनी ओर से यह उल्लेख किया है कि उसने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समिति द्वारा की गई सात सिफारिशों में से चार स्वीकृत की हैं। इससे सशस्त्र बल के पेंशनभोगियों के पेंशन संबंधी लाभ में पर्याप्त सुधार हुआ है अर्थात् अधिकारी रैंक से नीचे कार्मिकों के लिए पेंशनों में समानता तथा अधिकारी संवर्ग की पूर्ण रूप से उपेक्षा की है। समान रैंक समान पेंशन के विशिष्ट मुद्दे पर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रशासनिक, वित्तीय और विधायी निहितार्थ के कारण भूतपूर्व सैनिकों की मांग पूरा नहीं कर पाएगी जो बहुत ही अनुचित है।

इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ, चंडीगढ़ ने दो भूतपूर्व सैनिकों के मामले में विधायी सहायता दी है जिन्होंने इस मामले पर सशस्त्र बल अधिकरण की चंडीगढ़ पीठ से सम्पर्क किया। दो मामलों अर्थात् बाबू राम देमांग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवम् सोहन सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पर निर्णय देते समय अधिकरण ने अपने न्यायनिर्णयन में यह कहा कि एकसमान रैंक में असमान वेतन देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। उसने आगे उल्लेख किया कि राज्य सेवानिवृत्ति की अन्तिम तारीखों के आधार पर एकसमान रैंक के अधिकारियों के लिए पेंशन देने के लिए विभिन्न मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता है। भूतपूर्व सैनिक यह महसूस करते हैं कि जब कभी उत्तरोत्तर वेतन आयोगों ने वेतन तथा बाद में पेंशन बढ़ाए हैं तो उन्हें मात्र भविष्यलक्षी प्रभाव से क्रियान्वित किया जाता है और पूर्व पेंशनभोगी तथा उनके युवा समकक्ष के बीच अन्तर प्रत्येक उत्तरोत्तर वेतन आयोगों की सिफारिशों के साथ बढ़ता रहता है। वे महसूस करते हैं कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात् असमानता असहज ढंग से अत्यधिक रही है। इसलिए, उन्होंने दोहराया कि ओआरओपी की मांग समानता एवम् न्याय की मांग है।

मैं तथाकथित पक्षकार द्वारा पीबीओआर को सहमति देने के पश्चात् भी सशस्त्र बल में व्याप्त असमान पेंशनों के निम्नलिखित उदाहरणों को उद्घृत करता हूं। प्रथमतया, 31.12.2005 से पूर्व पेंशन में समतुल्यता के साथ सेवानिवृत्त सैनिक 1.1.2006 से 5523 रुपए प्राप्त करेगा तथा बकाया 1.7.2009 से दिए जा रहे हैं। एक सैनिक जो सेवा की समान अवधि के साथ 1.1.2006 के पश्चात् सेवानिवृत्त होता है, 8700 रुपए प्रति माह प्राप्त करता है। एक हवलदार जो पेंशन में समतुल्यता के साथ 31.12.2005 से पहले सेवानिवृत्त होता है, 5690 रुपए प्रति माह प्राप्त करता है अर्थात् सेवा की समान अवधि के लिए 1.1.2006 के पश्चात् सेवानिवृत्त सैनिक से कम पेंशन प्राप्त करता है।

इसी पृष्ठभूमि में, मैं माननीय रक्षा मंत्री से आग्रह करता हूं कि ओआरओपी के संबंध में सरकार के निर्णय पर कृपया पुनर्विचार करें तथा भूतपूर्व सैनिकों की तुलना उनके सिविल समकक्ष के साथ न करते हुए न्याय करें। क्योंकि इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है, चाहें गौरव एवम् सम्मान के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय उनके समक्ष प्रतिदिन के जोखिम हों अथवा सेवा की शर्तें हों।

अध्यक्ष महोदया : श्री जयंत चौधरी, श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री कमल किशोर, श्री माणिक टैगोर, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, डॉ. संजय जायसवाल तथा श्रीमती संतोष चौधरी ने श्री प्रताप सिंह बाजवा द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सहयोजित होने की इच्छा व्यक्त की है।

[हिन्दी]

श्री एम.बी. राजेश – उपस्थित नहीं।

श्री सुशील कुमार सिंह – उपस्थित नहीं।

श्री तकाम संजय – उपस्थित नहीं।

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना) : अध्यक्षा जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपका और सारे सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दिनों कुछ समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि सेना में इस बात को लेकर काफी रोष है कि सीएजी की जो

रिपोर्ट्स हैं, वह सेना की गोपनीयता को भंग कर रही हैं। इसके दो पहलू हैं – पहला पहलू यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर सीएजी की जो एक पारदर्शक प्रक्रिया है, उससे बचा नहीं जाना चाहिए और इसके साथ-साथ इसका दूसरा पहलू है, जो इससे जयादा संवेदनशील है और बहुत ही गंभीर है कि अगर सेना में इस चीज को लेकर तनिक भी चिंता है कि जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि वह सदन के पटल पर रखी जाती हैं, उसके बाद पब्लिक एकाउंट्स कमेटी उनका निरीक्षण करती है कि अगर किसी भी तरह से सेना की गोपनीयता भंग हो रही है या उनकी आपरेशनल रेडीनेस को कंप्रोमाइज किया जा रहा है, तो मैं सरकार से और रक्षा मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे पारदर्शिता भी कंप्रोमाइज न हो और उसके साथ-साथ जो सेना के मन में आशंका है कि आपरेशनल रेडीनेस भंग हो रही है, सेना की गोपनीयता भंग हो रही है, उसको भी किसी तरह से रोका जाए।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एकल महिला से संबंधित समस्याओं पर बोलने का मुझे अवसर दिया। देश में महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि करने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, आर्थिक दशा में सुधार करने और ग्राम पंचायत से उच्चतम स्तर तक चुनाव में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाओं की दशा सुधारने और सशक्तीकरण के अनेकानेक कदम उठाए हैं और उनके लिए योजनाएं बनायी गयी हैं, जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं इससे अलग पहलू पर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

महिलाओं में एकल महिलाओं की अलग श्रेणी है तथा उनकी समस्यायें भी एकदम भिन्न हैं और अत्यन्त गंभीर हैं, जिनकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। एकल महिलाओं का जीवनयापन करना बहुत कठिन होता है। एकल महिलाओं के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कोई अलग योजना नहीं बनायी गयी है और यदि बनायी गयी है तो उसकी जानकारी हमें नहीं है। अगर हमें इस बात की जानकारी नहीं है, तो अन्य को भी नहीं होगी। रोजी-रोटी कमाने, अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के साथ ही एकल महिलाओं को अपना मान-सम्मान और मार्यादा बनाए रखने की भी हमेशा चुनौती बनी रहती है। उन्हें आय अर्जित करने या उन्हें तथा उनके वयस्क बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने की भी अलग योजना होनी चाहिए, जिससे उनका मान-सम्मान बढ़े और जल्द से जल्द उन एकल महिलाओं पर जीवन की जिम्मेदारियों का बोझ कम हो सके। इसके साथ ही मैं सदन का ध्यान घरेलू कामगार महिलाओं के साथ हो रहे शोषण की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा और यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्रत्येक घरेलू कामगार महिलाओं का पंजीकरण कराया जाना चाहिए एवं शोषण को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने तथा कठोर मॉनीटरिंग किए जाने की भी आवश्यकता है। मेरी मांग है कि एकल महिलाओं के लिए एक अलग से राष्ट्रीय नीति बनायी जाए और उनके कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाए, धन्यवाद।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़) : महोदया, मैं इस विषय से एसोशिएट करती हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, हाल ही में लेह में बादल फटने से काफी परिवार, खासकर झारखंड राज्य के 2500 मजदूर आज भी वहां फंसे हुए हैं। झारखंड सरकार ने पहल की है। हमारा आग्रह है कि जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं, उन्हें किस प्रकार झारखंड लाया जाए, भारत सरकार को इसकी चिन्ता करनी चाहिए। भविष्य में अगर श्रमिक एक राज्य से दूसरे राज्य में नियोजन के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और पूर्ण ब्यौरा भी रहना चाहिए। वर्तमान में प्रत्येक पीड़ित परिवार के व्यक्ति को आर्थिक सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। लेह में झारखंड सहित देश के श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाने की व्यवस्था की जाए। हमारा आग्रह है कि सरकार इस पर चिंतन करे, क्योंकि वे आदिवासी परिवार हैं और झारखंड से पलायन करके लेह गए हुए हैं।

श्रीमती अन्नू टन्डन (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं सबसे पहले यूपीए सरकार, एचआरडी मंत्रालय एवं इस सदन का धन्यवाद देना चाहती हूं कि राइट टू एजुकेशन जैसे ऐतिहासिक बिल को हमने पारित किया। हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने भी अपने अभिभाषण में राइट टू एजुकेशन की बात की थी, जिसके लिए सबसे बड़ी और अहम जरूरत शिक्षकों की है। अगर शिक्षा होगी तभी देश का विकास होगा, यह हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक बहुत अहम बात लाना चाहती हूं कि पूरे देश में कई जगह, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे सकती हूं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की हूं, कि वहां एक तरफ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 3 लाख 25 हजार प्राइमरी टीचर्स की पोजीशन्स खाली हैं और साथ-साथ बीएड के तकरीबन 4 लाख ट्रेंड टीचर्स मौजूद हैं। जब वहां सलैक्शन प्रोसैस होता है और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का सलैक्शन किया जाता है, तब इंटरमीडिएट पास टीचर्स का भी सलैक्शन किया जाता है, जबकि

[श्रीमती अन्नू टन्डन]

बीएड के 4 लाख ट्रेंड टीचर्स जॉबलैस बैठे हुए हैं। यह बहुत जरूरी मुद्दा है क्योंकि हाल ही में जंतर-मंतर में एसोसिएशन ने धरना दिया था और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डैवलपमैंट के अधिकारियों को अपना मौमोरंडम भी दिया था। परन्तु उस पर अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरा आपके द्वारा इस मंत्रालय से अनुरोध है कि अगर गुणवत्ता और क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है तो शिक्षित शिक्षकों के सलैक्शन प्रोसैस को अहमियत दी जाए। इस तरह शिक्षकों की बेरोजगारी दूर हो सकती है।

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आसन का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं शून्य प्रहर में एक बड़ी गंभीर समस्या की ओर इस सॉवरेन सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 63 वर्षों की आजादी के बाद भी मानव समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए आज तक सुरक्षित शौच की व्यवस्था नहीं हुई है। लगभग 25 करोड़ महिलाएं आज भी खुले में शौच के लिए बाध्य होती हैं। दस में से सात महिलाएं शौच के क्रम में बलात्कार की शिकार हो जाती हैं। दलित, महा-दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग की महिलाओं की स्थिति भयावह है, दर्दनाक है। उनके शौच की जो व्यवस्था देश स्तर पर विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है, वह भ्रष्टाचार के नाग द्वारा उसके दंश से लहुलुहान है। ऐसी महिलाओं के लिए दिन हो या रात, अंधेरा ही अंधेरा है, बेबसी है और उनकी बेवसी ने समाज के सामने प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया है। जहां न जाने कितनी उपमाओं से पुरुष के द्वारा उन महिलाओं को मंडित किया जाता है, पर व्यवहार में वे आज भी भयानक शोषण की शिकार हैं। आज भी महिलाओं को इस समाज ने अपना कोई घर नहीं दे रखा है। वे सबसे ज्यादा उपेक्षित, प्रताड़ित और हिंसा की शिकार हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि सम्पूर्ण देश में एक अभियान चलाकर हमारे दामन पर जो दाग लगे हुए हैं, उन्हें समाप्त करने हेतु आप महिलाओं के लिए सुरक्षित शौच की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदया : श्री राजेन्द्र अग्रवाल और श्री अशोक अर्गल अपने आपको इस विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर) : अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन का ध्यान कुछ दिन पहले न्यूज पेपर्स में छपी एक हैडलाइंस की तरफ दिलाना चाहती हूं, जिसमें लेनसिट मैंगजीन के बारे लिखा था कि न्यू डेली सूपरबग। न्यू डेली सूपरबग एक बीटालैक्टमेज बैक्टीरिया है, जो काफी एंटीबॉयटिक्स को रेसिस्टेंट होता है। इसलिए उसे सूपरबग कहते हैं। अगर मैं यह कहूं कि मुझे इस बात से टीस नहीं पहुंची, तो यह कहना गलत होगा। इस देश में कई लोगों के रिएक्शन्स आये थे। आईसीएमआर ने उसके बारे में बहुत स्ट्रांग रिएक्शन दिया था कि अगर एक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया दिल्ली में मिलता है, तो आप उसका नाम शहर के नाम पर क्यों रखते हैं? एक और वीकली न्यूज मैंगजीन ने उस पर आर्टिकल दिया था कि हमें इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अगर कोई रेरिस्टेंट बैक्टीरिया मिला हो, तो उसका नाम उस शहर पर रखा गया हो। बीटालैक्टमेज की जो सेम क्लास है, उसी बैक्टीरिया के लिए उन्होंने उसका एक एग्जैम्पल कोट किया था। उन्होंने कहा था कि वेरोना, इटली में कोई बैक्टीरिया मिला था, उसका नाम वीआईएन-वन रखा गया था, साउपाउलो, मैक्सिको में कोई बैक्टीरिया मिला था, उसका नाम भी उस पर रखा गया था। यह बात ठीक है। मेरा यह कहना है कि जो सबसे प्रिवलेंट स्ट्रेन है, इस पर्टिकुलर बीटालैक्टमेज बैक्टीरियम के लिए बहुत टेक्नीकल क्लासीफिकेशन होती हैं, जो एक एम्ब्लर क्लासीफिकेशन होती हैं। दूसरी आपकी जैकोबी-मिडिरस क्लासीफिकेशन होती है। एक ज्यादा कॉमन लेंग्वेज में काम में लेते हैं, उसे हम एक्सटैंडेड स्पैक्ट्रम बीटालैक्टमेज कहते है। उस तरीके से हम क्लासीफाई न करके शहरों के नाम पर अगर हम बैक्टीरिया का नाम देते हैं, अगर हम सैंसीटिविटी नहीं रखकर नॉमेनक्लेचर देते हैं, तो सबसे बड़ा एग्जैम्पल आता है। जो सबसे प्रिवलेंट बीटालैक्टमेज का स्ट्रेन है, वह 1996 में नार्थ केरोलिना में मिला था। उसका नाम क्लैबसिला निमोनी बीटालैक्टमेज रखा गया था। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आप यूनीफार्म सिस्टम रखना चाहते हैं, तो उसका नाम आपने नार्थ केरोलिना बीटालैक्टमेज क्यों नहीं रखा? एक इंटरनैशनल कोड फालो होता है, इंटरनैशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरिओट्स के हिसाब से नॉमेनक्लेचर होना जरूरी है। आईसीएमआर की इस बात से मैं सहमत हूं कि नॉमेनक्लेचर में सैंसीटिविटी रखनी जरूरी है। इसके अलावा यहां पर एक बात और चली थी कि लेनसिट मैंगजीन ने इसलिए यह स्टडी कंडक्ट की है, ताकि हिन्दुस्तान के अंदर जो बढ़ता हुआ मेडिकल टूरिज्म है, उसे कर्टेल किया जा सके। यह भी एक व्यू प्वाइंट सामने आया था।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. ज्योति मिर्धा : इससे मैं पार्टली एग्री कर पाऊंगी, क्योंकि लेनसिट जहां से आती है, अगर आप वहां देखें तो ब्रिटेन के अंदर

नैशनल हैल्थ सर्विस होती है जो कैशलैस ट्रांजैक्शन है। अगर पैशेंट जाता है तो पैसा नहीं देता, डॉक्टर वहां जाने वाले पैशेंट से पैसे नहीं लेते। अगर डॉक्टर को 15 की जगह 10 ही पैशंट देखने पड़े, तो वह ज्यादा खुश होगा कि मुझे कम पैशेंट देखने पड़ रहे हैं, मेरा काम कम है। लेकिन इससे जो प्रोडक्टिव चीज निकलकर सामने आती है, जो हमें पोजीटिवली देखनी चाहिए, वह यह है कि हमारे देश के अंदर चाहे कितनी ही एडवांस एंटीबॉयटिक्स हो, वह ओवर दी काउंटर मिलती है। अगर मैं कलैबुलेनिक एसिड लाना चाहूं, कार्बापेनम लेना चाहूं या सेफोलोस्पोरिन लेना चाहूं, तो उसे कोई भी आदमी जाकर ले सकता है। वह उसका आधा कोर्स लेता है, तो ठीक हो जाता है। उसकी वजह से बैक्टीरियम के लिए जो रेसिस्टैंट होती है, वह बढ़ती जाती है मेरा यह निवेदन है कि हैल्थ मिनिस्टर ने भी एक बयान जारी किया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. ज्योति मिर्धा : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूं। उन्होंने एक स्टेटमैंट जारी किया था और कहा था कि हम इस बात को ज्यादा क्रैडिबल नहीं मानते, क्योंकि इस स्टडी को एक इंटरनैशनल फार्मास्यूटिकल कम्पनी ने फंड किया था।

मेरा एक सवाल और है कि आज की तारीख में देश में साढ़े तेरह सौ के करीब ऐसी स्टडीज हैं, एमएनसीज जो ट्रायल कंडक्ट करा रही हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में क्या इश्यू है? मैं चाहूंगी कि हाइएस्ट अथारिटी से हमारा विरोध दर्ज किया जाए, उनको कहा जाए कि जो इस बारे में सेंसिटिविटी रखें कि अगर किसी भी सुपरबग को नाम दें, तो उसको यूनिवर्सल रखते हुए, उसके हिसाब से नाम दें।

[अनुवाद]

डॉ. प्रभा किशोर तावियाड (दाहोद) : महोदया, मैं डॉ. ज्योति मिर्धा द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सहयोजित करती हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, गोवा के एक अति महत्व के विषय को आपके सामने रखने का मौका ले रहा हूं। गोवा में दो नदियां हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए, जरा सा धैर्य रखिए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, गोवा में दो नदियां हैं और नेशनल हाइवे-17 इनके ऊपर से जाता है। पिछले कई सालों से जुआदी नदी पर जो ब्रिज बना है, हैवी ट्रैफिक के लिए फिट नहीं हुआ है, फिट नहीं कहा गया है, इसलिए हैवी ट्रैफिक उस पर बंद कर दिया गया है। यही ब्रिज नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को जोड़ता है। वैसे यह ब्रिज उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भी जोड़ने का काम करता है। वहां का एयरपोर्ट साउथ गोवा में है, मार्मुगोवा पोर्ट ट्रस्ट उसी साइड में है और नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा को जाने वाले हैवी ट्रैफिक को इस ब्रिज पर से जाने से बंद करना बहुत हानिकारक है, इससे धन की हानि तो होती ही है, लोगों का बहुत वक्त भी खराब होता है। इसलिए अभी जिस ब्रिज को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, तुरंत वहां नया ब्रिज बनाकर उसे ट्रैफिक के लिए खोला जाए। यही मेरी मांग है।

अध्यक्ष महोदया : शून्य प्रहर समाप्त हो रहा है, बाकी विषय सायंकाल में लिए जाएंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : मैडम, केवल बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लोगों को वक्त दिया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। इस तरह का आरोप मत लगाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह आरोप मत लगाइए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। आप लोग बैठ जाइए। सदन चलाने दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैडम, मेरा कोई आरोप नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार, आप कृपा करके बैठ जाइए।

पूर्वाह्न 11.43 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रसार भारती नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक पूति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एलटी 3006/15/10]

पूर्वाह्न 11.44 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:–

''मुझे राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में विनियोग (रेल) संख्यांक 4, विधेयक, 2010, जिसे लोक सभा द्वारा 19 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था तथा राज्य सभा को अपनी सिफारिश देने के लिए भेजा गया था, को लौटाए जाने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।''

पूर्वाह्न 11.45 बजे

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 20 अगस्त, 2010 को प्रस्तुत अपने दूसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए:–

1. श्री मधु कोड़ा	19.11.2009 से 21.2.2009 22.2.2010 से 16.3.2010 और 15.4.2010 से 7.5.2010	अनुपस्थिति की माफी दी गई
2. श्री इज्यराज सिंह	26.7.2010 से 21.8.2010	अनुमति दी गई

जैसा कि समिति द्वारा सिफारिश की गई है सभा द्वारा एक सदस्य की अनुपस्थिति की माफी तथा दूसरे सदस्य को अनुमति दे?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदया : अनुमति दी जाती हैं। सदस्यों को तद्नुसार सूचित किया जाएगा।

पूर्वाह्न 11.45½ बजे

वित्तीय समितियां – एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव : महोदया, मैं 'वित्तीय समितियां (2009-10) – एक समीक्षा' का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.46 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

13वां और 14वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा) : महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं:-

1. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'बैंककारी और बीमा कार्यकलापों के माध्यम से डाक विभाग द्वारा निधियों का प्रबंधन' के बारे में 62वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'भारत में टेलीविजन दर्शक मापन' के बारे में 67वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.46½ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

10वां और 11वां प्रतिवदन

[अनुवाद]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : महोदया, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं:-

1. ''विद्युत क्षेत्र के लिए गैस और कोयले की उपलब्धता'' के बारे में दसवां प्रतिवेदन।

2. ''ग्रामीण उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा'' के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.47 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि वर्तमान सत्र के शेष भाग में सरकारी कार्य में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

1. आज की कार्य सूची से लिए गए सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार करना।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना:-

   (क) परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व, विधयेक, 2010

   (ख) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010

   (ग) उड़ीसा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2010

   (घ) संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010

3. विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2010, राज्य सभा द्वारा यथा पारित विचार तथा पारित करना।

4. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा पारित करना:-

   (क) नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010;

   (ख) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010; तथा

   (ग) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010।

5. शैक्षणिक अधिकरण विधेयक, 2010।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्री मधु कोड़ा – उपस्थित नहीं।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए:–

1. अनुकम्पा के मामलों में ढिलाई और उपेक्षा से इन मालमों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसमें हो रहे विलम्ब को दूर करने सम्बन्धी सभी मामलों का निपटान करने के लिए केन्द्र सरकार विशेष भर्ती अभियान चलाए।

2. मध्य रेलवे के रेल स्टेशंस पर लैंडलाइन से स्थानीय कॉल की सुविधा बंद करने के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए इसे पुन: आरम्भ करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता।

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर) : अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को विाचर के लिए जोड़ा जाए:–

1. देश के विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित नवोदय विद्यालय से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु एक कार्यक्रम बनाए जाने से संबंधित विषय।

2. अनुसूचित एवम् जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में खनन कार्य में लगी निजी कम्पनीज में स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने के साथ-साथ कम्पनीज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने से संबंधित विषय।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए:–

1. गिरिडीह जिला (झारखंड) के डुमरी प्रखंड और धनबाद जिला के टुण्डी प्रखंड में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता।

2. बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिले के सभी केन्द्रीय विद्यालयों में नए शिक्षा के अधिकार कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा।

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए:–

1. बरौनी तेलशोधक कारखाने के नेफ्था से एरोमेटिक कारखाने खोलने के लिए केन्द्र सरकार पहल करे।

2. मुंगेर-खगड़िया रेल सह सड़क पुल के निर्माण को 2010-2011 के वित्तीय वर्ष में रेलवे मंत्रालय उसे पूरा करे।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए:–

1. केन्द्र सरकार द्वारा बुंदेलखंड में प्रस्तावित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में शीघ्र प्रारंभ कराने की कार्यवाही की जाए।

2. झांसी छतरपुर पन्ना सतना रीवा मार्ग को ओरछा एवम् खजुराहो पर्यटन केन्द्रों में विदेशी सैलानियों की संख्या आकर्षित करने हेतु फोर लेन एक्सप्रेस हाइवे सड़क बनाने की शीघ्र कार्यवाही की जाए।

अध्यक्ष महोदया : श्री ए.टी. नाना पाटील – उपस्थित नहीं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए:–

1. अतिवृद्धि के कारण कच्ची बस्तियों में पानी भर जाने एवम् कच्चे मकान टूट जाने के कारण सीआरएफ/एनसीसीएफ नियमों में संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव पेश करता हूं, क्योंकि नियमों में बाढ़ शब्द का उल्लेख किया गया है। उसकी व्याख्या करते समय अधिकारी अतिवृष्टि को बाढ़ में सम्मिलित नहीं करते हैं और सीआरएफ/एनसीसीएफ नियमों में सहायता नहीं उपलब्ध कराते हैं। अत: इस विषय को लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

2. कृषि बीमा योजना में वर्तमान में तहसील को इकाई माना गया है, अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि तहसील की जगह ग्राम को इकाई मानकर कृषि बीमा योजना का लाभ किसानों को उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। अत: इस विषय को लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : लाल सिंह जी, आपने अगले सप्ताह के लिए दो विषय दिये हैं।

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषयों को शामिल करें:–

(1) जम्मू और कश्मीर के कठुआ में 1000 मेगावाट की उझ ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने में विलंब के बारे में।

(2) देश के कुछ भागों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वियन नहीं किया जाना।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्री जयप्रकाश अग्रवाल। आप दूसरे विषय पर ही बोलें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) : आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषय को सम्मिलित किया जाए:–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए विगत काफी समय से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक दिल्ली प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

पूर्वाह्न 11.52 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

20वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.53 बजे

स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम मद सं. 8 लेंगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

''कि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 तथा हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

महोदया, यद्यपि यह एक साधारण विधेयक है, तथापि यह दत्तक और संरक्षकता के मामले में लैंगिक समानता लाने के उद्देश्य से एक बहुत महत्वपूर्ण विधान है। यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया था और समिति ने बिना किसी संशोधन के इस विधेयक को अंगीकार कर लिया है। इसलिए, मैं इसे माननीय सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:–

''कि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 तथा हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

[हिन्दी]

श्री चंदूलाल साहू (महासमंद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में संशोधन का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया और माननीय मंत्री महोदय जी को भी धन्यवाद देता हूं जो एक अच्छा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित बिल को लाए हैं।

अध्यक्ष महोदया, यह बिल महिलाओं के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए तथा समान अधिकार देने के लिए है। इससे महिलाओं को निश्चित रूप से अधिकार मिलेगा, जबकि आजादी के 63 साल बाद भी, महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार बंद नहीं हुआ है। किसी भी देश के विकास के लिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया

[श्री चंदूलाल साहू]

जाना चाहिए। वैसे भी इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को मजबूत बनाने के साथ-साथ दूरगामी परिणाम भी होंगे। इसमें कोई भी महिला जो स्वस्थ-चित की है और बच्चा दत्तक लेना चाहती है तो अपने पति से सहमति लेकर पुत्र या पुत्री को दत्तक ले सकती है। संविधान में पति-पत्नी को जो समान अधिकार हैं, उनका इस बिल में समर्थन किया गया है।

महोदया, महिलाएं वर्षों से शोषित और पीड़ित रही हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बदस्तूर जारी है और महिलाएं अभी भी बहुत पीछे हैं। यह विधेयक महिलाओं को कुछ अंश तक राहत देगा। मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां उन्हें त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिसकी वजह से वहां महिलाएं हर क्षेत्र में 50 प्रतिशत की हिस्सेदार हैं। इस प्रयास को और अधिक गति देने के लिए जिस प्रकार से महिला आरक्षण विधेयक राज्य सभा में पेश हुआ है, उसे भी इस सदन में पेश करके पास किया जाना चाहिए। जब तक पुरुष और महिला कंधे से कंधा मिला कर एकसाथ नहीं चलेंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है'' यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमन्ते तत्र देवता''। निश्चित रूप से जहां नारी का सम्मान किया जाता है, वहां शांति होती है। महिला ही बच्चों की प्रथम गुरु है। माता ही बच्चों को संस्कार देती है, शिक्षा देती है, भरण-पोषण करती है। अगर महिलाओं को हम उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे, तो देश का विकास सही ढंग से नहीं हो सकता है। हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम में जो संशोधन चाहते हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं।

हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में महिलाएं 21वीं सदी में जीने लायक हैं – इसका उत्तर मिलेगा कि ''नहीं''। इसलिए महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके लिए अलग से कानून बनाया जाए, ताकि महिलाओं के साथ कहीं भी उत्पीड़न न हो। आज देखने को मिलता है कि विज्ञापन के लिए महिलाओं को आगे कर देते हैं। एक अच्छे आकर्षक सेल्समैन के तौर पर महिलाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से महिलाओं का जो उपयोग किया जा रहा है, उसे बैन किया जाए। महिलाओं के जो अधिकार हैं और उन्हें शास्त्रों में जो सम्मान दिया गया है, वह बहाल किया जाए, इससे निश्चित रूप से महिलाएं आगे आएंगी। वैसे भी अपने बलबूते पर योग्य महिलाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जो महिलाएं वास्तव में अपने पति द्वारा पीड़ित हैं, वे आगे नहीं आ पा रही हैं। इसलिए कानून में यह जो संशोधन लाया गया है, वह स्वागत योग्य है और इसका मैं समर्थन करता हूं।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं राजीव जी के जन्मदिन आस-पास इस बिल को लोक सभा में लाने के लिए माननीय मंत्री जी को एवं यूपीए सरकार को बहुत बधाई देना चाहती हूं। निश्चित तौर पर जैन्डर इक्वैलिटी को देखते हुए, स्वतन्त्रता पूर्व से ही गांधी जी के सपने को पूरा करते हुए संविधान में अधिकार दिए गए। 14, 15, 15(3), 16, 39, 42 51ए और ई आर्टिकल्स में समानता के अधिकार, जिसमें महिलाओं को इक्वैलिटी की बात कही गई है, हमारे संविधान में हैं। इसके अलावा समय-समय पर स्पेशल लेजिरस्लेशन पार्लियामेंट ने पास किए जिनमें इम्मोरल ट्रैफिकिंग कानून से लेकर डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, इन्डिसेंट रिप्रेजेन्टेशन आफ विमेन एक्ट, कमीशन आफ सती प्रोहिबिशन एक्ट, डोमोस्टिक वायलेंस एक्ट आदि प्रमुख हैं। मैं इसके लिए सरकार को और निश्चित रूप से संसद को धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन कहानी इसके विपरीत भी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी महिलाओं को पूरी तरह से अधिकार नहीं मिले हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि यद्यपि यह बिल बहुत सिम्पल है, बहुत छोटा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। यह एक बड़ी छलांग है और इसे एक ऐतिहासिक बिल कहा जा सकता है। गार्डियनशिप में भी और एडॉप्शन में भी यदि महिलाओं को अधिकार न हो, जोकि उनकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाहित करता हो, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न हमारे संविधान पर और संविधान में दिए गए हमारे मौलिक अधिकार पर होता। धीरे-धीरे सरकार उन सभी नियमों के प्रति हमें आश्वस्त कर रही है और महोदया मैं यहां निवेदन करना चाहती हूं कि यह बिल निश्चित तौर इसलिए भी लाया गया कि एक बार डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इक्विलिटी नहीं होगी, तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की संख्या 13 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़त जा रही है। यदि पिछले पांच साल के आंकड़े लें, तो निश्चित तौर पर उनमें और वृद्धि ही होगी, उसमें और कमी नहीं हो सकती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि इसी दृष्टि से राजीव जी ने कहा था कि राजनीति में भी महिलाओं का आरक्षण इसलिए आवश्यक है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अगर वे बैठेंगी, तो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव निर्णय पर पड़ेगा और इस कारण उनके बारे में पास होने वाले बिलों में एक तब्दीली होगी। लेकिन मुझे इस बात को ले कर दुख है कि दसवीं लोकसभा में हमारा प्रतिशत केवल 7.7 था, ग्यारहवीं लोकसभा में 7.36 था और पन्द्रहवीं लोकसभा तक आते-आते 10.12 तक पहुंचा।

मध्याह्न 12.00 बजे

इसके लिए हम सभी महिलाएं बल्कि पूरा देश और संसद चाहता है कि महिलाओं को राजनीति में प्रवेश पूरी तरह से मिलना चाहिए। यही हालात राज्य सभा का है जहां पर हम अभी 12.1 प्रतिशत तक पहुंचे हैं। फ्रीडम टू च्वाइस एक महत्वपूर्ण आधार है और इस बिल में इस बात पर जोर दिया गया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ-साथ वे इस संबंध में भी निर्णय ले सकें। इसलिए मंत्री महोदय जी की इस बात से समान रूप से मैं अपनी सहमति अर्ज करती हूं। देखा जाए तो सभी धर्म, सभी सम्प्रदाय देश के या किसी देश विदेश की बात करें तो सभी जगह महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी नहीं है। इसीलिए कानून जरूरी है और कानून से मिलने वाले न्याय में निश्चित तौर पर अभी भी एक गैप है। लेकिन कानून इसलिए जरूरी है कि पांच पिलर्स होने आवश्यक है। पहला कानून का होना, दूसरा कानून का एग्जीक्यूशन और तीसरे कानून के बारे में एवैयरनैस और चौथे उसमें सिविल सोसाइटी की और राजनीतिज्ञों की भूमिका तथा पांचवा मीडिया की भूमिका है। ये पांचों अगर साथ चलें तो निश्चित तौर पर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी आ सकती है।

मैं यदि देखूं तो इतिहास इस बात का गवाह है कि डॉ. अम्बेडकर, राजा राममोहन राय, महात्मा फुले, महात्मा गांधी जी, और उसके बाद हमारी सरकार विशेषकर राजीव जी का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि उन्होंने उस वक्त देखा कि जो गांधी जी का 1921 में कथन था कि हमारी आजादी का अर्थ होगा कि एक ही पंक्ति में खड़े हुए सब लोगों को एक जैसा अधिकार दिलाना और रुककर गांधी जी ने कहा था कि जब मैं कहता हूं कि सबको समान अधिकार दिलाना है तो इससे मतलब यह है कि महिलाओं को भी लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं मुड़कर देखता हूं तो महिलाओं को न पूरे राजनीतिक अधिकार हैं और न आर्थिक अधिकार हैं। यहां तक कि हमारे संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों में भी गैप्स हैं और इसलिए इसकी पूर्ति करनी चाहिए। इसलिए रचनात्मक प्लान और उसके बाद एक्शन प्लान्स बनाये गये। उसी के बाद एक बदलाव इस दिशा में आया और मैं यूपीए की चेयरमैन साहिबा, सरकारों और सभी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस दिशा में प्रयत्न जारी है। लेकिन यहां पर निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार ने काफी कुछ परिवर्तन किये और अभी पिछली यूपीए वन और यूपीए टू में इस प्रकार का लेजिस्लेशन लाया गया। एनसीडब्ल्यू ने भी 34 लॉज और 8 बिल को संशोधित करके भेजा हुआ है। यह 83वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया बिल है। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूं कि सोसाइटी में जो विशेष रूप से महिलाओं को फोकस करने वाला बिल है, यह निश्चित तौर पर एक तबदीली लाएगा। लेकिन जो राज्य के संबंध में हैं और जो हमारी समवर्ती सूची में हैं, उसके संबंध में सरकार को कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकारें उसमें बहुत अधिक संवेदनशील भी नहीं है और विलम्ब के कारण यदि राज्यों के आंकड़े देखें तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार भी और यहां से पास होने वाले बिल के संबंध में भी उनको पूरी जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए कार्यान्वयन के लिए सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए या सरकारों को हैमर करना आवश्यक हो जाता है। मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगी कि हालांकि यह बिल एक नयी दिशा के रूप में और कम्प्रीहेंसिव बिल के रूप में हमें परिवर्तित करता है। सिविल कोर्ट की भी बात बहुधा इस संबंध में कही जाती है। लेकिन यह बिल भी लाने में जो विभिन्न प्रकार का डॉयलॉग किया गया, उसके लिए एक संवाद की जरूरत है और संवाद के लिए निश्चित तौर पर सभी को आगे आना होगा और इसलिए अन्य बिल जो इससे संबंधित हैं, जैसे कमपलसरी मैरिज बिल आदि उस पर भी सरकार को अपने निर्णय लेने होंगे।

महोदया, 23वीं रिपोर्ट के आधार पर यह बिल लाया गया है। हालांकि दूसरे सदन में मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि 133वीं रिपोर्ट, जो लॉ कमीशन की है, उसको भी देखेंगे लेकिन यहां पर निवेदन करना चाहती हूं कि लॉ कमीशन की 135वीं रिपोर्ट की देखना भी बहुत आवश्यक है। जो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 19 है, उसको भी इस संबधं में नहीं भुलाया जा सकता क्योंकि जब तक पूरी तरह से समाहित नहीं होगा तब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाएगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें सैक्शन 6 और 19 को भी इस संदर्भ में देख लिया जाए। चूंकि समय की कमी है, मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए, यूनाइटेड नेशंस के डवलपमेंट प्रोग्राम में जेंडर सेंसिविटीज के संबंध में जो दो आयाम कहे गये, जेंडर डवलपमेंट इंडैक्स और जेंडर एम्पलॉयमेंट मैजर्स हैं, इसके संबंध में सरकार के कदमों का मैं स्वागत करती हूं।

इसके साथ सरकार ने यह निश्चित किया है कि एम्पावरमेंट मेज़र में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है। कानूनों में तब्दीली की जाए, वर्षों पुराने कानूनों को नए संदर्भ में दोबारा देखा जाए। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं से संबंधित कानून, जो विभिन्न मंत्रालयों से हैं, विभिन्न मंत्रालयों से आते हुए कहीं न कहीं नोडल प्वाइंट होना चाहिए जिससे सभी कानून एक साथ पास हो सकें। मैं यह भी निवेदन करना चाहती

[डॉ. गिरिजा व्यास]

हूं कि कुछ लॉज़ में गैप के कारण महिलाओं के ऊपर अटैक होते हैं, इनके लिए कानून तो हैं लेकिन स्पेसिफिक कानून की आवश्यकता है। जिस तरह से पंचायतों के द्वारा निर्णय लिए गए, इसमें निश्चित तौर पर एक गैप है। मैंने सती प्रिवेंशन बिल के बारे में इस सदन में दो-तीन दिन पहले मुद्दा उठाया था कि आवश्यकता के कारण इसे अलग बिल के रूप में लाया जाए। इसी प्रकार से गांवों में जो दर्दनाक मौतें हो रही हैं, उनके लिए अलग बिल की आवश्यकता है। मंत्री जी ने इस संबंध में आश्वस्त किया है और मुझे इस बात की खुशी है। मैं रेप विक्टिम्स के संबंध में कहना चाहती हूं कि रेप की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें हर वर्ष 15 से 16 प्रतिशत बढ़ोतरी हो रही है। रेप विक्टिम्स रेवाल्यूशन बिल में कम्पेनसेशन के लिए सरकार को यथाशीघ्र प्रयास करने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कम्पसलरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि इसे केवल राज्य सरकारों पर न छोड़कर अपने लैवल पर देखें ताकि सभी राज्य सरकारें इसे पारित कर सकें। इससे बाल विवाह पर तो रोक लगेगी। इसके साथ ही एनआरआई, जो शादी करके भाग जाते हैं, एनआरआई मैरिजिज पर भी रोक लगेगी।

मैं अंत में यही कह सकती हूं कि सरकार ने महिलाओं के समुचित विकास के लिए बजट को भी जेंडर बजट बनाया है। इसके आधार पर महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति ही नहीं हुई है, विशेषकर कानूनों की तब्दीली को कड़ी से कड़ी जोड़कर जो फैसला किया है, वह वंदनीय है। इसे जारी रखना होगा। मैं चाहती हूं कि गैप को पूरा करने के लिए, चाहे लॉ कमीशन हो, नेशनल कमीशन फॉर वूमेन हो या एमसी एमटी कमीशन हो, उनके द्वारा जो रिपोर्ट भेजी जाती है, उसके आधार पर सभी मंत्रालयों का समुचित ग्रुप बन सके जो महिलाओं के बिलों को पास कर सके। अभी भी बहुत गैप है। जब हम अत्याचारों की बात कहते हैं तो देखते हैं कि इतने कांस्टीट्यूशनल राइट के बाद भी हम वहीं खड़े हैं। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहती हूं:-

> ''जाने क्यों हम वहीं खड़े हैं, तेज कदम तो हम भी चले हैं।''

अध्यक्ष महोदया, आप स्वयं, महामहिम राष्ट्रपति जी, यूपीए चेयर पर्सन, बहुत से देशों और हमारे देश की विपक्ष की नेता, कई राज्यों की मुख्यमंत्री महिलाएं हैं। यहां तक कि आर्मी में महिलाएं सलामी लेते हुए आगे बढ़ रही हैं। और यहां गांव में बैठी महिलाओं के हकूक के संबंध में जो बिल पेश किया गया है, वह सराहनीय है। इस दिशा में कदम बढ़ते रहने चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : महोदया, आपने मुझे स्वीय विधि संशोधन, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय विधि मंत्री जी इस विधेयक को लेकर इस सदन में आए हैं, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और बल भी देता हूं। यह बात सत्य है और यह देखा गया है कि जब हिन्दू परिवार में कोई बच्चा नहीं होता था, बच्चे का मतलब है चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी विरासत और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के ही सदस्य या बाल संरक्षण गृह से बच्चा गोद लिया जाता था। लेकिन परिवार में ही इतना मामला उलझ जाता था कि जब माता-पिता वृद्ध हो जाते थे तो परिवार के तमाम लड़के या परिवार के जो अन्य सगे-संबंधी होते थे, वे परिवार को बहुत परेशान करते थे। आज जो बिल सदन में लाया गया है, मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छा बिल है और इससे न केवल परिवार को बल्कि पूरे समाज को एक राहत मिलेगी। खासकर हमारी बहन डा. गिरिजा व्यास ने बहुत विस्तार से महिलाओं के सशक्तीकरण पर अभी अपनी बात रखी। इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी की दुर्गति होती थी तो वह परिवार की महिला की होती थी। इसकी इतना प्रताड़ना होती थी कि अपनी ही सम्पत्ति से उसे बेदखल कर दिया जाता था, गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। खासकर यदि यह विधवा हो तो उसकी और अधिक दुर्गति होती थी। लेकिन इस बिल के द्वारा उसे जरूर शक्ति मिलेगी और उससे उसका परिवार भी आगे चल सकेगा।

महोदया, महिलाओं के सशक्तीकरण के बारे में बहन गिरिजा व्यास ने अपनी बात यहां रखी। यह बात सत्य है कि आज हिन्दुस्तान में चाहे अंतरिक्ष से लेकर देश के महामहिम राष्ट्रपति का पद हो या जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं, इससे महिलाओं में एक बहुत बड़ा संदेश जरूर गया है और इसके कारण महिलाएं खुश होती हैं। अभी डॉ. गिरिजा व्यास ने महिलाओं के आरक्षण की बात कही, मैं चाहूंगा कि सिर्फ लोक सभा या विधान सभा में ही नहीं बल्कि हर जगह, मेरे ख्याल से पंचायतों में हर प्रदेश में 50 परसैन्ट से ज्यादा आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन लोक सभा और विधान सभा के अलावा इसे राज्य सभा और विधान परिषद् में भी जाना चाहिए। तब जाकर महिलाओं की सशक्तीकरण का काम पूरा हो सकता है।

इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि महिलाओं को केवल 33 परसैन्ट हम आरक्षण देने के बाद...*(व्यवधान)* मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा कि केवल 33 परसैन्ट लोक सभा और

विधान सभाओं में ही नहीं बल्कि सभी गैर-सरकारी और सरकारी संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में पचास प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। चाहे वह रिक्रूटमैन्ट में हो, प्रमोशन में हो या किसी अन्य मामले में हो। आप जब तक उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था नहीं करायेंगे, तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं समाप्त करता हूं। अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने इंगित किया, उनका इशारा महिला आरक्षण की तरफ था कि आपके दल का क्या नजरिया है। मैं आज फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा दल डॉ. राम मनोहर लोहिया जी से लेकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेता है, इसमें समाजवादी पार्टी का हमेशा यह विचार रहा है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत नहीं, आप 80 और 50 परसैन्ट दे दीजिए, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो गांवों की महिलाएं हैं, जैसे अभी डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि अगर महामहिम राष्ट्रपति और आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं तो इससे महिलाओं में एक संदेश जा रहा है, वे प्रफुल्लित हो रही हैं, खुश हो रही हैं। लेकिन जो गांवों की महिलाएं हैं, चाहे वे शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पिछड़े वर्ग, माइनोरिटीज या मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हों, उन्हें भी उसमें आरक्षण देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, यदि देखा जाए तो आज 12 ऐसे राज्य हैं, जहां लोक सभा के सदस्य पुरुष जीतकर नहीं आये हैं। यदि पुरुष जीतकर नहीं आ रहे हैं तो महिलाए कैसे आयेंगी। इसलिए हमारी पार्टी का यह स्पष्ट नजरिया है और हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय विधि मंत्री जो विधेयक लेकर आये हैं, मेरी पार्टी और मैं इस का समर्थन करते हैं। सचमुच यह एक ऐसा विधेयक है जिसका पहले समाज में अभाव रहा। हमारी ऐसी परम्परा रही है कि बेटी या बेटा न होने के कारण वंश चलाने की प्रक्रिया में एडाप्शन कर लिया करते थे। जब व्यक्ति वृद्धि होता और मरने के कगार पर होता था तो उसके परिवार को इसकी बड़ी चिन्ता रहती थी कि किस तरह उसकी सम्पत्ति हम हड़प लें। कहीं तो कत्ल, बलवा और मारपीट हो जाती थी। कोर्ट में ऐसे केसेज़ आज भी पैंडिंग हैं। अब यह विधेयक लगाया गया है तो इससे इस तरह के झगड़े नहीं हो पायेंगे। वास्तव में जो पूर्ण रूप से उनकी जिन्दगीभर सेवा करता है, सम्पत्ति पर उसका अधिकार होना चाहिये। अगर किसी की लड़की है, लड़का नहीं है तो लड़की को लेकर इस तरह के झगड़े हुआ करते थे जिसकी अब संभावना नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदया, यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : महोदया, माननीय विधि और न्याय मंत्री, श्री वीरप्पा मोइली द्वारा लाए जा रहे इस विशेष विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

नि:संदेह यह एक प्रगतिशील विधान है और अपनी पार्टी बीजू जनता दल की ओर से मै इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उड़ीसा राज्य में हमारे सम्मानित नेता स्वर्गीय बीजू पटनायक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अधिकारियों को विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले सभी प्रमाण पत्रों में पिता के नाम के साथ-साथ बच्चे की मां का नाम लिखने का निदेश दिया था। इतना ही नहीं, जब वे पद पर थे, उन्होंने यह भी निदेश दिया था कि माता या पत्नी का नाम भू-अभिलेख से संबंधित सभी कानून दस्तावेजों में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए, मुझे निश्चित रूप से इस विधेयक का समर्थन करना है।

इसके साथ ही, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि केवल 48.2 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसलिए, नि:संदेह यह इन सभी के लिए चिन्ता का विषय है। इन दिनों हम मीडिया में बहुत से तथ्य प्रकाशित होते हुए देखते हैं कि शिशु कन्या के साथ केवल भेदभाव ही नहीं किया जा रहा है बल्कि जन्म से पूर्व उसे मार दिया जाता है। ये मामले हमारे ध्यान में आए हैं। हमें यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि महिलाओं की जनसंख्या में आगे और कमी नहीं हो। इसी प्रकार, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने सभी ब्यौरे भी दिए हैं। इस सभा द्वारा गठित विभागीय

[श्री अर्जुन चरण सेठी]

स्थायी समिति ने पहले ही इसकी जांच कर ली है। उन्होंने सभी कारण दिए हैं। उन्होंने यह संकेत भी दिया है कि सरकार बहुत से प्रगतिशील उपाय कर रही है। निश्चित रूप से समयानुक्रम से इसे लागू कर दिया जाएगा। किन्तु मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि नि:संदेह वे बहुत प्रगतिशील और विद्वान मंत्री हैं और उनका दृष्टिकोण भी बहुत प्रभावी है। जब माननीय मंत्री जी ने पहली बार यह विधेयक प्रस्तुत किया था, तब मैडम सोनिया गांधी जी यहां थीं। मैं अपने मित्र श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा व्यक्त भावनाओं तथा जिन्होंने इस विधेयक पर विचार व्यक्त किए हैं उनकी भावनाओं की सराहना करता हूं। किन्तु साथ ही आपको निश्चित तौर पर देखना चाहिए कि महिला आरक्षण विधेयक, जो सभा में लंबित है, इसे तत्काल पारित किया जाना चाहिए। अपनी पार्टी बीजू जनता दल की ओर से, मेरी पुरजोर मांग है कि सरकार को कम से कम आगे आना चाहिए और इस विधान को पारित करना चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि हमारी सम्मानित भारत की राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में क्या कहा था। उन्होंने यह भी कहा है कि इस विधान को पारित किया जाना चाहिए। क्यों नहीं? यह आश्वासन मेरे द्वारा या किसी अन्य माननीय संसद सदस्य द्वारा नहीं बल्कि भारत की सम्मानित राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है अब किसका शासन है। इसलिए, वर्तमान समस्या विशेष के समाधान हेतु हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। उस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। इसे अविलंब सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, प्रारंभ में, मैं माननीय विधि मंत्री द्वारा यथा पुर:स्थापित इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। वर्ष 1989 में तमिलनाडु ही ऐसा प्रथम राज्य था जहां अब तक किसी परिवार की केवल पुरुष संतानों को मिलने वाली पैतृक संपत्ति में पुरुष एवम् महिला को समान भाग देने के लिए एक कानून लाया गया था। महोदया, तमिलनाडु में 30 प्रतिशत सरकारी नौकरियां महिलाओं के लिए है। तमिलनाडु में सभी प्राथमिक विद्यालयों में केवल महिला शिक्षिकाएं ही नियुक्त की जाती थीं। इस प्रकार, तमिलनाडु अपने राज्य में महिलाओं की सहायता करने एवम् महिलाओं के अधिकारों को प्रवृत्त करने में अग्रणी रहा है। इसी तरह, यह विधेयक महिलाओं को भी अधिकार देता है तथा इसलिए, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : अध्यक्ष महोदया मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 सर्वाधिक स्वागत योग्य कदम है। मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूं।

इससे विधि को स्त्री-पुरुष भेद राहत बानने तथा पुरुष एवम् महिलाओं दोनों में समानता लाने में सहायता मिलती है। भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए पुरुष तथा महिला दोनों का लिहाज किए बिना हैसियत एवम् अवसर की समानता की गारंटी देता है। इसलिए स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है। यह विधेयक महिलाओं के अधिकारों के लिए पुर:स्थापित महत्वपूर्ण विधान है क्योंकि स्वीय विधि को स्त्री-पुरुष समानता तथा स्त्री और पुरुष के लिए न्याय के सिद्धांतों से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 तथा हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 दोनों में संशोधनों द्वारा माता को दत्तक संतान बनाने में संरक्षण के अधिकार में पिता के बराबर रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त करें। आपका समय हो चुका है।

श्री एस. सेम्मलई : बस मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

मैं समाप्त करने से पूर्व यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे सम्मानित नेता डॉ. मुरात्वी थलैवी जे. जयललिता महिलाओं के कल्याण तथा समाज में स्त्री-पुरुष समानता प्रदान करने में अग्रणी हैं। एआईएडीएमके की व्यवस्था के दौरान मेरे नेता ने कदम उठाए थे तथा जीओ जारी किए थे जिसमें प्रत्येक परिवार में पुत्रों तथा पुत्रियों को महिलाओं के नाम को भी जोड़ने की अनुमति थी। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसी प्रकार, मेरे नेता महिलाओं तथा महिला कमांडो बल के लिए अनन्य तौर पर पृथक् पुलिस थाने स्थापित करने में अग्रणी हैं। यह मेरे नेता की पूर्वकल्पना का श्रेष्ठ उदाहरण है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब, श्री संजीव नाईक।

श्री नाईक द्वारा बोले गए शब्दों के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : यह कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त यह विधेयक आया है। मैं बहुत ही खुशी महसूस करता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में जब शरद पवार जी मुख्य मंत्री थे जो पहली बार महाराष्ट्र में 33 परसेंट महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन लाए थे, और महिलाओं को सही मायनों में मुख्यधारा में लाने की कोशिश की थी। मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि जो बिल एडॉप्शन का लाए हैं, इससे जिन महिलाओं के बच्चे पैदा नहीं होते जिस कारण वे बहुत मानसिक तनाव में रहती हैं, आज इस बिल के माध्यम से उनको राहत मिलने वाली है। देश में इतनी समस्या है और न्यायालयों में इतनी प्राबलम्स चल रही हैं कि उसका फायदा परिवार के दूसरे लोग ले लेते थे। आज मैं धन्यवाद करूंगा कि इस बिल की वजह से सबको राहत मिलेगी। मैं अपनी पार्टी की ओर से मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं और कहना चाहता हूं कि सभी सदस्य इस बिल को पारित कराने में सहयोग करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों ने सरकार की प्रशंसा की है कि बड़ा भारी विमैन एम्पावरमैंट हो रहा है। महोदया, बुद्धकाल में जब भगवान बुद्ध वैशाली में आए थे, विमैन एम्पावरमैंट वहीं वैशाली से शुरू हुआ। मैं वहां से आता हूं इसलिए अधिकारपूर्वक बताना चाहता हूं। जब कभी महिलाओं को इजाज़त नहीं थी बौद्धिक संघ में जाने की, वहीं से शुरूआत हुई थी और वहीं से उनकी माँ गौतमी, उनकी पत्नी और सभी का प्रवेश हुआ था बौद्ध धर्म के संघ में। लेकिन अब यह दावा इन्होंने किया है और विमैन एम्पावरमैंट की बात कर रहे हैं जिसकी माननीय सदस्य भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। अभी के समय में जितना महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार और जुल्म हो रहा है, अब से पहले कभी नहीं हुआ। मेरा पहला सवाल यह है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, उसके वाइस चांसलर हैं वी.एन. राय। क्या लिखा है उन्होंने और महिला लेखकों के प्रति उनकी क्या टिप्पणी है? मैं लज्जित हूं उस शब्द का सदन में उच्चारण करने में कि उन्होंने क्या कहा।...*(व्यवधान)*

सारा देश लज्जित है। देश भर के 150 लेखकों ने एक साथ कहा कि उसको हटाया जाए। अभी तक सरकार ने क्यों नहीं हटाया है? महिला लेखिका के प्रति किन शब्दों का उच्चारण किया है? एक वाइस चांसलर ने ऐसा किया और क्यों उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? हम यह पहला सवाल उठाते हैं। ये कहते हैं कि महिला का सशक्तीकरण कर रहे हैं और कहते हैं कि सभी ऊंचे पदों पर महिलाओं को बैठाएं। सरकार इसका जवाब दे कि क्यों नहीं उसे हटाया गया जिसने महिला लेखिका के प्रति इस तरह से कुशब्द कहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी की है। देश भर में लेख छाप दिया महिला लेखिका के खिलाफ। देश भर के लेखक, साहित्यकार, कलाकार, रचनाकार, सब लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह सवाल मैं उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : आपका समय समाप्त हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं दो पॉइंट और कहूंगा।

अध्यक्ष महोदया : आपकी पार्टी को जो समय मिला था, वह समाप्त हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम पार्टी की तरफ से ही तो कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सवाल नंबर दो यह है कि विधवाओं के साथ कितना भारी अन्याय हुआ। विधवा पैंशन में कहा कि 40 वर्ष तक की विधवा को पैंशन नहीं देंगे। कोई सुनने वाला नहीं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपका समय समाप्त हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं केवल दो प्वाइंट और कहूंगा।

अध्यक्ष महोदया : आपकी पार्टी को बोलने का जो समय दिया गया था, वह समाप्त हो गया है। इसलिए आप समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि विधवा के साथ कितना भारी अन्याय हुआ है, कहा गया कि 40 वर्ष तक की विधवा को हम पेंशन नहीं देंगे।...*(व्यवधान)* कोई सुनने वाला नहीं है। यदि हमें हमारे सवालों का एक भी जवाब दे देंगे तो हम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

नहीं बोलेंगे।...*(व्यवधान)* सरकार ने कहा कि 40 वर्ष तक की महिला को विधवा पेंशन नहीं देंगे। महिला जब विधवा होती है। तो सबसे भारी पीड़ा उसी को होती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है। इसलिए आप बैठ जाइए।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं एक मिनट में सामप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदया : आपका एक मिनट का ही समय है। आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए, बहुत लम्बी खींचते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा दूसरा सवाल है कि 40 वर्ष से कम की विधवा को पेंशन क्यों रोकी गई है? सवाल नंबर तीन, पूरे देश में सात लाख आशा कार्यकर्त्ता हैं, उनको रैम्यूनरेशन नहीं मिलता है। जबकि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की समिति ने पारित किया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : महोदया, विधवा पेंशन की कोई सीमा नहीं है।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आशा की कार्यकर्त्ताओं को भी रैम्यूनरेशन क्यों नहीं दिया जाता है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : अब, श्री प्रशान्त कुमार मजूमदर।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : केवल श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार का भाषण कर्यवाह-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

****श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस स्वीय निधि (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं क्योंकि यह बहुत प्रगतिशील विधेयक है।

तथापि, मैं इस संबंध में इस सम्मानित सदन में कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा। प्रथमतया, जब पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम क्रियान्वित किया तथा भूमि विलेख गरीबों, सीमांत किसानों को वितरित किए, तो राज्य की महिलाओं को समान अधिकार दिए गए। उन्हें शक्तियां देने हेतु पुरुषों के साथ संपत्ति का अधिकार दिए गए है। परन्तु महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कतिपय अन्य कदम उठाए जाने चाहिए। उदाहरणार्थ, जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कन्या विद्यालयों का अभाव है। देश के अन्य क्षेत्रों में आपको विभिन्न कन्या विद्यालय मिलेंगे परन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है जिन स्थानों में जनजातीय आबादी अधिक है वहां कन्याओं की शिक्षा के लिए एक भी विद्यालय नहीं है इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

आज भी हमारे राष्ट्र की महिलाओं का उत्पीड़न होता है एवम् उनका शोषण होता है। यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जब हम साईकल चलाते हैं तो दोनों पहिए घूमने चाहिए। इसी प्रकार, यदि राष्ट्र की महिलाएं प्रगति नहीं करती हैं तो समाज की वास्तविक प्रगति कमी नहीं होगी। उन्हें शिक्षित करना होगा तथा अधिक जागरूक करना होगा।

हमारे यहां बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जो अभाव में जी रही हैं। उन्हें इस समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए – अन्यथा यह राष्ट्र पिछड़ जाएगा। भारत में पुरुषों एवम् महिलाओं का अनुपात लगभग समान है। इसलिए महिलाओं की अब और उपेक्षा नहीं की जा सकती है। पंचायतों में, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्राधान क्रियान्वित किया गया है जो सच है। परन्तु विधान सभाओं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**मूलत: बंगाल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

तथा लोक सभा में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करके आरक्षण नीति को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मेरे दल आरएसपी तथा समग्र लेफ्ट की ओर से यह मेरा विनम्र अनुरोध है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : अध्यक्ष महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों का अत्यधिक आभारी हूं कि उन्होंने दलगत भावना से ऊपर उठकर इस विधेयक का पूरा समर्थन किया।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि महिलाओं के लिए समानता की शासन पद्धति सुविस्तृत है। हमने जो कुछेक उपाय शुरू किए है, उसका यह नमूना मात्रा है।

विस्तृत, मैं डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्ष महिला आयोग सहित माननीय सदस्यगणों से सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि लिंग समानता बनाए रखने के लिए कई उपाय किए गए हैं तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 52 प्रस्ताव दिए गए हैं। हम इस मामले की वास्तविक तौर पर जांच कर रहे हैं। मेरे विचार में विधायी विभाग में एक भी हफ्ता नहीं गुजरा जब महिलाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं जिसमें लिंग समानता और महिलाओं पर अत्याचार को कम करना शामिल है, पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार हम इस पर ध्यान दे रहे हैं।

वस्तुत: यह संप्रग सरकार की मुख्य योजना है। उसका विचार महिलाओं को सभी क्षेत्रों पूर्ण समानता देना है तथा इसे विशेषरूप से भेदभावपूर्ण कानून को हटाकर एवं महिलाओं को समान अधिकार दिलाकर इसको व्यवहारिक तथा वास्तविक बनाना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा; कभी-कभी तकनीकी और व्यवस्था जन्य कारणों से सभी विधानों को एक साथ लाना कठिन हो सकता है। किन्तु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में हम सुनिश्चित करेंगे कि गतिविधियों के सभी क्षेत्र के विधि विभाग और सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा निश्चित रूप से निपटा जाएगा। वास्तव में लैंगिक भेदभाव रहित कानून बनाने की लगातार मांग हो रही है जिसमें कानून के सामाजिक और आर्थिक विषय वस्तु में परिवर्तन भी शामिल है। केवल कानून ही पर्याप्त नहीं है; हमें लोगों में नई मानसिकता तथा नई सोच को लाने की आवश्यकता है।

मैं आपको इतिहास के कई उदाहरण देना चाहता हूं जहां महान समाज सुधारकों ने महिलाओं की आजादी के लिए बड़ी कठिनाई से संघर्ष किया। लेकिन मैंने पाया कि हमारा समाज स्वयं को परिपक्व बना चुका है जहां वे समानता से संबंधित कानून को अपनाने के लिए तैयार हैं। जब यह कानून बनाने के उपयुक्त आधार है, तब मेरे विचार से मैं संसद के इसी कार्यकाल में यह सुनिश्चित करूंगा कि हम उसका लाभ लेंगे और महिला समानता का एक व्यापक कानून लाएंगे।

सभी माननीय सदस्यों ने ध्वनिमत से इस विधेयक का समर्थन किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि विधि मिशन, जिसे हमने लाया है, में हम महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों का वर्गीकरण करने और प्राथमिकता भी देने जा रहे हैं, ताकि मुंसिफ न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक उन मामलों को पहले किया जा सके। हम इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं ताकि उन्हें न्याय के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े।

न्याय सुपुर्दगी प्रणाली बड़ी चुस्त-दुरुस्त होगी ताकि उन्हें न्यायालय में न्याय के लिए कतार में प्रतीक्षा न करनी पड़े। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन भेदभाव अभी भी है; हमें निश्चित रूप से बड़े परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

यहां बहुत से मामले उठाए जाते है; डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी एक मामला उठाया; हम उसका समाधान करना चाहते हैं लेकिन हमारे समक्ष साक्ष्य नहीं है। मैं नहीं मानता कि अब उन चीजों पर बोलना बहुत प्रासंगिक है।

कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, कतिपय कानून हैं, जो लैंगिक भेदभाव सहित हैं, हमें उन्हें लाने की आवश्यकता है। वह दिन दूर नहीं होगा जब अध्यक्ष महोदया की सम्मानित अध्यक्षता में महिला आरक्षण विधेयक इस सभा में वास्तविक बनेगा। यह एक बड़ा कदम है और इसमें व्यापक सुधार किया जा सकता है। मैं आशावान हूं, कारण जो भी हो, विधेयक पारित हो। यदि परवर्ती चरण में यदि कोई संशोधन अपेक्षित होता है, तो हम निश्चित रूप से वह करेंगे। लेकिन साथ ही सभा को देश और विश्व के समक्ष पुरुष वर्चस्व का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमें इस अवधारणा को ठीक करने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही, सभी माननीय सदस्यों विशेषकर अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित करने का समय दिया।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

''कि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 तथा हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े दिए गए।

श्री एम. वीरप्पा मोइली : मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.43 बजे

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : श्री बी.के. हान्डिक की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

''कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।''

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 विद्युत उत्पादन, लोह और इस्पात उत्पादन में शामिल निजी कंपनियों तथा ऐसे उपभोक्ताओं, जिन्हें केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी, को अपने रक्षित अंतिम-उपयोग के लिए कोयला खनन जारी रखने की अनुमति करता है।

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : मंत्री जो विधेयक पेश कर रहे हैं क्या वह खान और खनिज विधेयक है?

अध्यक्ष महोदया : यह वही है। उन्होंने मुझसे अनुमति ले ली है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : कोयले का रक्षित खनन करने के लिए, निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आबंटन करने के लिए विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार करने के लिए एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से, कोयला मंत्रालय में एक जांच समिति का गठन किया गया। जो विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले आवेदनों पर विचार करती है। जांच समिति, एक अंतर-मंत्रालयीय और अंतर-सरकारी समिति है, जिसमें केन्द्र सरकार के विभिन्न संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों जहां पर कोयला ब्लॉक स्थित हैं, कोयला कंपनियों आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

कोयला ब्लॉकों के प्रगामी आबंटन के कारण आबंटन के लिए उपलब्ध कोयला ब्लॉकों की संख्या में कमी आ रही है, जबकि प्रति ब्लॉक आवेदकों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि कोयला की मांग बढ़ती जा रही है। इससे किसी ब्लॉक के संबंध में एक आवेदक का चयन कठिन तथा पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता के अभाव के आधार पर आलोचना का पात्र हो जाता है।

सरकार कोयला ब्लॉकों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु अपने अन्वेषण में वृद्धि करने के लिए नियमित प्रयास कर रही है। तथापि ऐसी एक चयन प्रक्रिया, जो न केवल अधिक वस्तुनिष्ठ हो बल्कि अधिक पारदर्शी भी हो, को लाना भी आवश्यक है।

अत: निजी कपंनियों को कोयला ब्लॉकों के आबंटन, जांच समिति वाले तरीके को बदलकर, प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के माध्यम से नीलामी द्वारा खाने और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में एक संशोधन करके एक चयन प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की मांग की जा रही है।

उसी समय, राष्ट्र के लिए कोयला खनिजों की महत्ता को समझते हुए, सरकारी कंपनियों तथा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर चयनित विद्युत परियोजनाओं को कोयला ब्लॉकों के आबंटन करने के संबंध में प्रतिस्पर्धात्मक बोली लागू नहीं होगी।

विधेयक 17.12.2008 राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया तथा कोयला और इस्पात संबंधी समिति के द्वारा विधेयक पर विचार किया गया। 19.02.2009 के अपने प्रतिवेदन में समिति ने सिफारिश की थी कि विधेयक पर आगे कोई कार्रवाई करने से पहले राज्यों तथा अन्य पणधारियों के साथ आगे परामर्श किया जाना चाहिए। तद्नुसार मैंने 10.8.2009 को राज्यों के खनन और भूविज्ञान मंत्रियों के साथ आगे विचार-विमर्श किया। तद्नुसार 17 अगस्त को राज्य सभा में विधेयक पारित किया गया।

प्रस्तावित संशोधन से हमारे कोयला संसाधनों के प्रभावी उपयोग में सुधार करेगा। तद्नुसार, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक की सराहना करता हूं तथा प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रस्तुत हुआ:

''कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 राज्य सभा द्वारा यथा पारित में, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए''।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार द्वारा खान खनिज अधिनियम में संशोधन का जो बिल लाया गया है, उसका मैं समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बिल को बहुत पहले ही लाना चाहिए था। ऐसी स्थिति होते हुए भी मैं इस सरकार से यह कहूंगा कि इन्होंने जान-बूझकर इस बिल को विलम्ब से राज्य सभा और लोक सभा में पेशन किया है।

हमारे देश में जितना भी कोयले का भंडार है, जिसको आज तक पहचाना गया है, वह करीब-करीब 269 बिलियन टन है। यह जो कोयले का भंडार है, यह पूरे देश की 120 करोड़ की आबादी की प्रापर्टी है। देश में जितनी भी खनिज सम्पदा है, यह किसी उद्योगपति की सम्पदा नहीं बन सकती। लेकिन आज तक इस सरकार ने जिन ब्लॉकों को आईडेंटीफाई किया था, उनमें से अधिक से अधिक ब्लॉक इन्होंने निजी क्षेत्र को कैप्टिव ब्लॉक के रूप में आबंटित कर दिये हैं और जब इन्होंने सारे ब्लाक्स आबंटित कर दिये हैं, उसके बाद यह लोक सभा में आया है।

मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि देश में इसके पूर्व भी कोयले का खनन होता था, लेकिन 1971-1973 में पहले तो उसका राष्ट्रीकरण किया गया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी ने यह कदम उठाया था। जितनी भी कोयले की माइंस थीं, इन माइन्स को निजी क्षेत्र से सरकार के हक में लेने का समर्थनीय एक कदम उठाया था, जिसका सभी दलों ने स्वागत किया था। लेकिन इसी बीच 1996 में इसी सरकार ने, जो इन्दिरा जी पर विश्वास रखती है, इन्हीं लोगों ने निजी क्षेत्रों को ये ब्लॉक जो देने की पॉलिसी बनाई है, इसमें देश की इस अमूल्य सम्पदा की लूट हुई है।

मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि यह देश की इतनी अमूल्य सम्पदा है कि जिसका अगर मूल्यांकन किया जाये, मैंने एक एक्सपर्ट कम्पनी के साथ, जितने सभी कैप्टिव ब्लाक्स बांटे गये हैं, उनकी कीमत निकालने का प्रयास किया तो देश में 49 बिलियन टन से ज्यादा के ब्लॉक आज तक निजी क्षेत्र में और स्टेट पावर सैक्टर में बांटे गये। इसमें करीब-करीब 26 बिलियन टन कोयला निजी क्षेत्र को दिया गया है, इसकी जब हमने कॉस्ट निकाली तो इसकी 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कॉस्ट होती है। मैं लोक सभा में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इतनी कीमती हमारी खनिज सम्पदा को इस तरीके से बांटा गया है, जिसे हम बन्दरबांट कहेंगे। 120 करोड़ जनता की सम्पत्ति को इन्होंने 120 लोगों में बांटा है। मैं सरकार से यह कहूंगा कि इतनी कीमती हमारी खनिज सम्पदा जो कोयला है, इसको इस तरीके से बांटने की जरूरत क्या थी?

देश में इन्दिरा जी ने कोयला क्षेत्र का जब राष्ट्रीकरण किया था तो यह दृष्टिकोण सामने रखा था कि देश में इस सम्पदा के माध्यम से रोजगार निर्माण हो और जितने भी पावर प्लांट्स हैं, किसी भी क्षेत्र के लिए उचित दाम पर वक्त पर कोयला प्राप्त हो। लेकिन इस सब की अवहेलना हुई है, उसका उल्लंघन हुआ है और देश में करीब 218 ब्लाक्स इन्होंने बांट दिये हैं। अब इनके साथ में कोई ऐसे ब्लाक्स नहीं हैं कि उनको नीलाम कर सकें। अभी मैं जिस स्टैंडिंग कमेटी कोल एंड स्टील में हूं, उसमें मेरे सामने कोल इंडिया के अधिकारी यह कहते हैं कि कैप्टिव ब्लाक्स अब निजी क्षेत्र को न दिये जायें।

हमें इसकी जरूरत है, इसके बावजूद वह प्रक्रिया रुकी नहीं है। 138 ब्लाक्स और आईडेंटीफाई किए गए हैं जिनको नीलाम करने का यह प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा

[श्री हंसराज गं. अहीर]

कि देश में बढ़ती बेरोजगारी का अगर कहीं जवाब है, तो वह इस देश की खनिज संपदा और कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र का तो हाल-बेहाल हो गया है, लेकिन खनिज संपदा के आधार पर इस देश के नौजवानों को हम रोजगार दे सकते हैं। यह मेरा दावा है और इसके सिवाय हमारे पास रोजगार देने का और कोई माध्यम नहीं है। कोयला ही नहीं है, आयरन ओर है, बाक्साइट है और भी अनेक संपदायें हैं, इन सभी चीजों के लिए जिसने भी एप्लीकेशन दिया, उसे निजी क्षेत्र की कंपनी को बांटते समय यह आगे-पीछे नहीं देखते हैं। ये इसके बदले क्या लेते हैं? जिस कोयले का दाम दो हजार रुपए प्रति टन है, उसके लिए 45 रुपए से 180 रुपए तक रायल्टी के रूप में लिए जाते हैं। इतनी कीमती खनिज संपदा की लूट हो रही है। कोयले को ये मुक्त में बांटते हैं। इसको आज तक नीलाम नहीं किया गया। इतने सारे ब्लॉक बांटने के बाद सरकार को अब होश आया है और अब इसे नीलाम करने जा रही है। मैं इसका स्वागत करूंगा, लेकिन सरकार ने जो अपराध किया है, इतनी सारी संपदा को लोगों में बांटकर जो गुनाह किया है इसके लिए मंत्री जी यहां जवाब दें। यूं तो इस देश में अगर हम कोयले के ब्लॉक कोल इंडिया को ही देते, उन्हीं के लिए निश्चित कर देते, तो शायद हम इससे रोजगार बढ़ाते। आज अवस्था यह है कि यहां कोल इंडिया में दस साल पहले सात लाख से ज्यादा इंप्लाई काम किया करते थे, वहीं इस समय वहां तीन लाख छियानवे हजार इंप्लाई काम कर रहे हैं।

अपराह्न 12.51 बजे

[**श्री अर्जुन चरण सेठी** *पीठासीन हुए*]

आज वहां उत्पादन बढ़ता जा रहा है। इन्होंने इंप्लायमेंट भी कम किया और देश की कीमती संपदा को लुटा दिया। जिन लोगों को इन्होंने कोल ब्लॉक का आबंटन किया, उनके लिए इन्होंने कुछ शर्तें रखी थीं, जिसमें इनको बैंक गारंटी चाहिए थी। जिन कंपनियों को बैंक गारंटी देनी थी, उनको हर साल उसे रिन्यू करना था। यह वर्ष 1996 से लेकर लगातार ब्लॉक बांटते आ रहे हैं और किसी भी निजी कंपनी से इन्होंने बैंक गारंटी को रिन्युअल नहीं किया। इन कपंनियों को इस शर्त पर ब्लॉक बांटा गया था कि जहां कोयले का ब्लॉक या भंडारण है, वहां अगर फारेस्ट लैंड है, तो उनके लिए 48 माह की अवधि दी गयी थी, लेकिन जहां फारेस्ट लैंड नहीं है, वहां 36 माह में कोयले का उत्पादन प्रारंभ होना चाहिए। जब हम प्रश्न पूछते हैं, तो इनका एक जवाब आता है कि देश में कोयले की जरूरत है, कोल इंडिया इतना कोयले की जरूरत पूरा नहीं कर सकती, इसलिए इसे निजी क्षेत्र में दिया। निजी क्षेत्रों को देने के बाद, निजी क्षेत्र ने इसका उत्खन्न नहीं किया। मैं आपके सामने यहां जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिन-जिन कंपनियों को इन्होंने कोयले के ब्लॉक बांटे हैं, उनमें से अधिकांश कंपनियां ब्लॉक लेने के बाद, उन्हें बेचने की फिराक में हैं। जहां-जहां पर जिन-जिन के हाथ में कोयले के ब्लॉक्स आए हैं, उनमें से अधिकांश ब्लॉक्स का मैनेजमेंट चेंज किया जा रहा है और दूसरी कंपनियों को बेचा जा रहा है। उन्हें बेचने से हजारों करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। इस तरह से देश की जो खनिज संपदा है, इसको इस सरकार ने अभी तक बर्बाद करके अपराध किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिन कैपटिव ब्लॉक की बात ये कह रहे हैं, वे सिर्फ कैपटिव ब्लॉक्स ही नहीं बांट रहे हैं, कामर्शियल ब्लॉक्स भी बांट रहे हैं। कामर्शियल ब्लॉक देकर निजी क्षेत्रों को यह प्रोत्साहन देते हैं कि कोयले का भंडारण आप मुफ्त में लीजिए और कामर्शियल ब्लॉक के रूप में और किसी को बेचिए। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं और उन्हें मैं आपके सामने पेश भी करूंगा। इस तरह से देश की कीमती संपदा को आज तक यह बर्बाद करते रहे हैं और लुटाते आए हैं। इसको अपनी निजी संपदा समझकर, यूपीए ने अपनी सरकार की संपदा मानकर जिस तरह से आज तक अभियान चलाया था, इसमें निश्चित रूप से ब्रेक लगेगा, लेकिन मैं यह सबमिशन करूंगा कि अभी तक जितने ब्लॉक्स बांटे गए हैं, उनमें जिन-जिन निजी कंपनियों ने कोयले का उत्खनन किया है, उन सारे ब्लॉक्स को फिर से कैंसिल करके अपने अधिकार में लेना चाहिए। जो लोग अभी ब्लॉक नीलाम करने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, जितनी भी इसकी नीलामी के बाद बोली की राशि आएगी, उसका एवरेज रेट निकालकर, जिन लोगों को आपने आज तक मुफ्त में ब्लॉक बांटे हैं, उन लोगों से उतना एवरेज रेट लिया जाना चाहिए। आप मंत्री हैं, देश की सरकार है, यह आपकी संपत्ति नहीं थी। यहां पर आपको हमारी बात इसलिए सुननी पड़ेगी क्योंकि देश की 120 करोड़ जनता की प्रापर्टी आपने 120 लोगो को बांटी है। इसके बारे में पुनर्विाचर करना बहुत जरूरी है। देश की सरकार, कोयला मंत्रालय इस देश के ब्लॉक निजी क्षेत्रों को दे रही है और कल भी देना चाहती है, जबकि ब्लॉक लेने के लिए, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि जगहों पर ब्लॉक परचेज करने के लिए जाते हैं।

इसमें सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, मैंने यह देखा नहीं है, लेकिन इल्जाम लगाने का मार्जिन इसलिए बनता है कि यहां के ब्लॉक मुफ्त में बांटते हैं और मलेशिया, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जाकर भी ब्लॉक्स लेने हैं। इस तरह यहां भी कमीशन मिलता है और

वहां भी कमीशन मिलता है। ऐसा दोहरा मापदंड अपनाकर सरकार ने कोयला क्षेत्र में जितनी करप्शन की है, देश में आज तक शायद ही इतना बड़ा करप्शन किसी और क्षेत्र में हुआ होगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी लोक सभा का जिम्मेदार सदस्य हूं, पहली बार चुनकर नहीं आया हूं। हमने इतना कीमती कोयला लोगों को इतनी आसानी से बांटा है, इसकी क्या वजह है। चेयरमैन, कोल इंडिया कहते हैं कि अब हम सारे ब्लॉक्स उत्खनन करेंगे, हमारे लिए रखिए। कोल इंडिया में 1996 में 8 लाख इम्प्लाई काम करते थे, वहां आज 3 लाख 96 हजार इम्प्लाई काम करते हैं। देश की आबादी 120 करोड़ की है। उन्हें इम्प्लॉयमैंट कौन देगा? इस देश के पढ़े-लिखे नौजवान अमरीका, आस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उन्हें यहां इम्प्लॉयमैंट नहीं मिलती। इन्होंने निजी क्षेत्रों को ब्लॉक दिए। मैं आपको अपने क्षेत्र के एक ब्लॉक के बारे में बताऊंगा जो निजी क्षेत्र में कर्नाटक पावर कार्पोरेशन को दिया हुआ है। एमटा कम्पनी उसमें उत्खनन करती है। उसका प्रोडक्शन और डब्ल्यूसीएल की एक खदान दुर्गापुर में है, इन दोनों का प्रोडक्शन समान है। दोनों का प्रोडक्शन दो लाख मिलियन का है। डब्ल्यूसीएल की कोल इंडिया के अंतर्गत आने वाली जो खान है, उसमें 1200 इम्प्लाई काम करते हैं और एमटा माइन्स के अंदर उतना ही उत्पादन होता है, लेकिन वहां 370 इम्प्लाई काम करते हैं। रोजगार कम किया जा रहा है। बेरोजगार लोगों का हक छीना जा रहा है। अगर अनेक मापदंडों से सोचा जाए तो सरकार आज तक अपनी इतनी कीमती सम्पदा देश के बेरोजगार लोगों की आंख में धूल झोंककर बांटती आई है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र के माइनिंग कार्पोरेशन को चार ब्लॉक दिए गए हैं। जिन्होंने चारों ब्लॉक कमर्शियल ब्लॉक के रूप में लिए, महाराष्ट्र सरकार ने उनकी नीलामी की है। इन्होंने मुफ्त में लिए और राज्य सरकार ने उन्हें नीलाम किया। उन्होंने एक ब्लॉक पालम चेखंड की इंडियन बूस्ट पावर कम्पनी को बेचा जिससे 280 करोड़ रुपये पाए। दूसरा ब्लॉक अगरजदी का है जिसमें 137 मिलियन टन कोयला है। उसे अदानी इंटरप्राइसेज़ को बेचा जिसमें राज्य सरकार ने ईयरली 232 करोड़ रुपये की रॉयल्टी के रूप में मुनाफा मांगा था। उसके बावजूद भी राज्य सरकार का 49 प्रतिशत शेयर रहेगा और 51 प्रतिशत शेयर अदानी ग्रुप का रहेगा। एक और ब्लॉक 73 मिलियन का है जिसे राज्य सरकार ने गुप्ता कोल लिमिटेड को बेचा। वह सम्पदा कोल मंत्रालय की है। उससे ईयरली 116 करोड़ रुपये का मुनाफा पाया। एक और ब्लॉक सुनील हाईटैक को बेचा गया जिससे 74 करोड़ रुपये ईयरली प्रॉफिट तीस साल तक मिलते रहेंगे। अगर राज्य सरकार मुफ्त में ब्लॉक लेकर इतना प्रॉफिट पाती है। तो निजी क्षेत्र के लोगों ने कितना पाया होगा, आप इसका अनुमान लगाइए। इसलिए हम इस बिल का इस स्थिति में स्वागत करेंगे, लेकिन पहले जो ब्लॉक बांटे गए, उनके बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि खनन सम्पदा के आधार पर हम देश के पढ़े-लिखे नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। इस देश की कीमती सम्पदा को जिस तरह बांटा गया, उसे कैंसिल करने की जरूरत है और इस बारे में भी अमैंडमैंट आना चाहिए। नीलामी के बाद जो राशि आएगी, जिन लोगों ने अभी उत्खनन प्रारंभ किया है, उन पर उसका एवरेज रेट लगाना चाहिए। इसी में देशभक्ति है। मैं सत्ता दल के नेताओं से कहना चाहूंगा कि 1971 और 1973 में इंदिरा जी ने कोयला खानों का जो राष्ट्रीयकरण किया था, क्या वह गलत किया था, जो आपने निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया है। अगर यह सही है कि इंदिरा जी की पॉलिसी गलत थी, तो आपको इंदिरा जी की फोटो लगाने का भी अधिकार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन इंदिरा जी ने निजी क्षेत्रों को समाप्त कर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया था, उस वक्त सारे राष्ट्रीय दलों ने स्वागत किया था।

अपराह्न 1.00 बजे

देश के सभी कामगार संगठनों ने इसका स्वागत करते हुए कहा था कि यह एक अच्छा निर्णय हुआ है। उसका उल्लंघन करते हुए आपने उस बिल को भी अपमानित किया है और देश के साथ भी आज तक धोखाधड़ी करते आये हैं। आप आज जो बिल लाये हैं, उसे लाने में आपने विलंब किया है। वर्ष 2004 से यह बिल लंबित था, लेकिन उसे आप वर्ष 2010 में ला रहे हैं। इस बीच के समय में आपने पूरे ब्लाक्स निजी क्षेत्रों को बांट दिये हैं, यह मैं इल्जाम लगाता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार देश में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए मेरे कुछ सुझावों के बारे में विचार करें। देश की इतनी कीमती सम्पदा को अगर आपने नीलाम किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका करोड़ों रुपया कोल इंडिया को जाता था और कोल इंडिया इससे भी ज्यादा प्रगति कर सकती थी। अभी कोल इंडिया ने कहा है कि 138 कोल ब्लाक्स उन्होंने आइडेंटिफाई करके रखे हैं, इन्हें यह नीलाम न करें। कोल इंडिया स्वयं कहती है कि हम इसका उत्खनन करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉक्स हमें चाहिए। इसका भी सरकार जवाब दे। अब उन्होंने कैप्टिव ब्लॉक अैर कैप्टिव ब्लॉक के साथ कमर्शियल ब्लॉक की पॉलिसी के बारे में भी अभी तक इसमें कुछ नहीं लिखा है। उस बारे में मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जहां तक कोल रॉयल्टी का सवाल है, तो राज्य सरकारों को जो रायल्टी दी जाती है...*(व्यवधान)* मैं यही कहूंगा कि जब से रॉयल्टी दी जाती

[श्री हंसराज गं. अहीर]

है, तब से कोयले की कीमत पर रॉयल्टी न देरक टनों पर रॉयल्टी दी जाती है। मैं यही सबमिशन करूंगा कि सरकार राज्य सरकारों को कोयले की टन पर रॉयल्टी न देकर कोयले की कीमत पर रॉयल्टी दे। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र देव (आरूकु) : धन्यवाद। मैं इस विधेयक तथा माननीय मंत्री द्वारा जिस संशोधन लाने की मांग की गई है उसके समर्थन में खड़ा हूं।

लेकिन मुझे निश्चित रूप से यह कहना चाहिए कि मैं इस विधेयक के कार्यक्षेत्र, जो काफी सीमित है, से निराश हूं। जिसका संशोधन किया जा रहा है वह खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की एक धारा है जो असल में कोयला सहित सभी खनिजों से संबंधित है।

हमारे समक्ष जो संशोधन है उनका संबंध कोयले से है – कोयला, मूलत: लोह और इस्पात के संबंध में, तथा विद्युत उत्पादन भी है। विधेयक पुर:स्थापित करते समय माननीय मंत्री ने कहा कि असल में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अन्य सरकारी संगठनों जिन्हें कोयला की आवश्यकता है, वरीयता दी जाएगी।

उसके अलावा, वास्तव में विधेयक का उद्देश्य कोयला ब्लॉकों के लिए बोली लगाने की प्रणाली को लाना है। जहां नक, कोयले की उपलब्धता का संबंध है, निजी कंपनियों को सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी जाएगी तथा उनको बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी तथा वे उसमें अंश स्वामित्व भी होना है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आज भी ऐसे कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिनमें कोयला की आपूर्ति न हो पाने की वजह से वे कोयले के लिए तरस रहे हैं। मेरे राज्य तथा जिले में – मैं क्षेत्रीयना का समर्थन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस तथ्य की जानकारी है – विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय इस्पात निगम है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, लेकिन अभी तक उसके पास कोई कोयला ब्लॉक नहीं है। कोककर, कोयला जिसकी आवश्यकता है, को उनकी पसन्द के अनुसार नहीं दिया जाता है; इसको राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है जिनके यहां कोयला विद्यमान है; उन्हें ओपन कॉस्ट खान नहीं दी जाती हैं, लेकिन ऐसी खाने जहां बहुत कठिन परिस्थितियां मौजूद है, गैसीय खान, उनमें से कुछ अभी तक अन्दर से जल रही हैं, वहां खनन करना बहुत कठिन है। इसके कारण कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कष्ट का सामना कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यह ऐसी बात है जिसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा इसे कार्यान्वित भी करना चाहिए।

मैं इस सभा को एक बात का स्मरण कराना चाहता हूं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कब आए थे? ये आजादी के बाद जब उपनिवेश शासक हमें छोड़कर चले गए; आये थे। हमारे पास उस समय देश में बुनियादी सुविधाएं नहीं थी; हमारी कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था है; मुख्य कार्यकलाप कृषि है। हमें परियोजनाएं बनाने की आवश्यकता थी किन्तु उस समय में हम एक बोरी सीमेंट का भी उत्पादन नहीं करते थे।

देश में हमारे पास इस्पात नहीं था। इसलिए, कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए, सिंचाई परियोजना रखने के लिए सर्वप्रथम हमें सीमेंट की आवश्यकता थी। इसको ध्यान में रखते हुए; इन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को बनाया गया। मैं पूरी सभा को स्मरण कराना चाहूंगा कि यह ऐसे समय में किया गया जब कोई भी गैर-सरकारी भागीदार उद्योगों की स्थापना करने का इच्छुक नहीं था। चाहे वह टाटा लौह और इस्पात कंपनी हो या कोई अन्य लेकिन यदि सरकार ने इसे नहीं किया होता, तो आज हमारे पास ऐसी आधारभूत सुविधाएं नहीं होती जिनको हमने बनाया है।

हमें निश्चित रूप से स्वयं को स्मरण दिलाना चाहिए, कि ये सरकारी उपक्रम सार्वजनिक धन से बनाए जाते हैं, जो इस देश के लोगों का धन है। इसलिए भले ही यह कोयला से या लौह अयस्क, मैं समझता हूं कि निजी क्षेत्र के उपक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकारी उपक्रमों को वित्तीय एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड में भेजने के लिए आरम्भ नहीं किया गया था बल्कि इसका प्रयोजन देश को सशक्त करना और यह सुनिश्चित करना था कि हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रगतिशील हो और यह भी सुनिश्चित हो कि हम आत्म-निर्भर हैं जहां तक औद्योगिक उत्पादन और उत्पादों का संबंध है।

मैं इसके बारे में एक विस्तृत विधेयक की उम्मीद है। आपने कहा है कि लौह और इस्पात के उत्पादन के लिए धारा-II (क) में संशोधन किया जा रहा है। हम लोग लौह एवं इस्पात के उत्पादन का पक्ष देखें। उत्पादन संयंत्रों में किया जाता है लेकिन खान और खनिज आपके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। इस सभा में अवैध खनन

के बारे में काफी लंबी चर्चा हुई थी। जो बातें पहले कही गई जा चुकी है मैं उन्हें दोहराने नहीं जा रहा हूं। मैं 1957 के इस अधिनियम और अनुसूची को पढ़ रहा था। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लौह-अयस्क की रॉयल्टी मात्र 24 रुपए या इसके आस-पास है। यह गुणवत्ता दर गुणवत्ता अलग-अलग होती है किन्तु उच्चतम कोटि के लौह अयस्क की रॉयल्टी मेरी जानकारी में 24.50 रुपए प्रति टन है।

पहला प्रश्न जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि यह लौह अयस्क है या कोयला या बॉक्साइट – चूंकि खनिज आपके नियंत्रणाधीन है – क्या वह राष्ट्रीय संपत्ति है या नहीं। हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने भी गैस से संबंधित किसी फैसले में कहा था कि खनिज संसाधन प्राकृतिक संपत्ति है। यह गैस से संबंधित हो सकता है किन्तु ये देश के प्राकृतिक संसाधन हैं। ये राष्ट्रीय संपत्ति है या नहीं? क्या हम इस तरह की राष्ट्रीय संपत्ति और खनिज को कुछ निजी लोगों के हाथों में सौप सकते हैं या उन्हें नगण्य कीमत पर विदेश में बेच सकते हैं? ये बहुत गंभीर प्रश्न हैं जो हमें स्वयं से पूछने हैं और जिनके उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है।

यह समवर्ती सूची में है। इसमें राज्य का अंश स्वामित्व होता है। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि राज्यों को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। राज्यों को निश्चित रूप से उनका हिस्सा मिलेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है? आप निजी पट्टा दे रहे हैं और इनमें से अधिकांश लौह अयस्क का खनन किया जा रहा है। राज्य ऐसा रहे हैं। आखिरकार, ढुलाई, रॉयल्टी; सबकुछ लगभग 1000 रु. या 1500 रुपए होगा और अयस्क की बिक्री 3,500 रुपए या 4000 रुपए में होगी। मैं इसके अवैध हिस्से के साथ-साथ वैध हिस्से की भी बात कर रहा हूं। आपको प्रति टन लौह अयस्त पर 3000 या 4000 रुपए का लाभ हो रहा है बॉक्साइट पर कितनी रॉयल्टी दी जा रही है? यह लंदन धातु विनिमय में उद्धृत दर का 0.35 प्रतिशत है। क्या यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने सरकार की समग्र खनिज और खान नीति की समीक्षा करें और इस पूरे अधिनियम की समीक्षा करें जिसे इस सभा द्वारा वर्ष 1957 में पारित किया गया था? क्या हमारे खनिजों के इस्तेमाल को नियमित करने की कोई आवश्यकता है? मेरे विचार से यह एक ऐसा बुनियादी प्रश्न है जिसका हमारे मन में सर्वोपरि स्थान होना चाहिए?

आज यदि हम वैश्विक परिदृश्य देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि यद्यपि विश्व के कई प्रगतिशील देशों के पास खनिजों का समृद्ध भंडार है, फिर भी वे उनका परिरक्षण कर रहे हैं। कतिपय ऐसे पश्चिमी देश हैं जिनके पास सौ वर्षों तक का तेल उपलब्ध है।

लेकिन अभी तक वे तेल खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वे अपने खनिज संसाधनों का बाद में इस्तेमाल करने के लिए परिरक्षण करना चाहते हैं। हमारा देश जो विकास के संबंध में उदीयमान चरण में है, अब प्रगति की दिशा में अग्रसर है। इस समय, यदि हम अपने सारे संसाधनों को गंवाते जाएंगे, तो अंततः जब हमें अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए उसकी आवश्यकता होगी, अपने रक्षा प्रयोजनों के लिए उसका इस्तेमाल करना होगा, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उसका इस्तेमाल करना होगा, तब हम किन-किन लोगों से खनिजों के लिए भीख मांगेंगे अथवा मांग करेंगे? ऐसा एक समय आ जाएगा जब उसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहने के बावजूद आपको वह नहीं मिलेगा। अतः, मेरे विचार से ज्यादा देरी होने से पहले, यह बहुत आवश्यक है कि हमें इस दिशा में विचार करना शुरू करना चाहिए।

अतः, जहां तक कोयला का संबंध है, उसे राष्ट्रीयकृत किया गया। उसके राष्ट्रीयकृत के पश्चात् इसे निरस्त किया गया तथा कोयले का निजीकरण किया गया। जो बात मुझे परेशान करती है, वह यह है कि कई कोयला – क्षेत्रों में खानों की अवस्था का पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। क्या उनका समुचित ध्यान ऐसे निजी व्यक्तियों द्वारा रखा जा रहा है जो उन्हें पट्टे पर लेते हैं? पहले वे एक हिस्से में खनन करते हैं। जब खनन कार्य उनके लिए वहां कठिन हो जाना है तो वे उसे छोड़ देते हैं और कहीं दूसरी जगह चले जाते है। क्या ऐसा करना राष्ट्रीय संसाधनों और संपत्ति को नष्ट करना नहीं है? अतः, मेरे विचार से निजी कंपनियों को लाते समय सरकार का यह प्रयास होना चाहिए, कि उन्हें ये नीलामी देते समय जिसकी आप मांग कर रहे हैं, आपको पर्याप्त निगरानी तथा सावधानी बरतनी होगी कि खनिज संपत्ति नष्ट नहीं हो रही है अथवा उसे गंवाया नहीं जा रहा है।

अगला, आपने कहा है कि विदेशी निजी कंपनियां भी आकर निविदा में भाग ले सकती हैं। यह ठीक है कि यह सरकार की नीति है। किस कीमत पर वे आकर निविदा में भाग ले सकती है? किस सीमा अथवा स्तर पर वे आ सकते हैं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसपर निर्णय हमारे देश की जरूरतों, हमारे उद्योग की जरूरतों तथा हमारे पास उपलब्ध मौजूदा भंडार और आपूर्तियों पर ध्यान रखकर लिया जाना है। मेरे विचार से, आज, पहले से कहीं और ज्यादा आवश्यकता यह सुनिश्चित करने की है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल केन्द्र सरकार की एक राष्ट्रीय नीति के द्वारा विनियमित तथा मार्ग-निर्देशित हो। मुझे यकीन है कि जहां तक इसका संबंध है, इससे राज्य सरकारों को कोई समस्या नहीं होगी। इसका विभिन्न राज्यों के अधिकारों के

[श्री वी. किशोर चन्द्र देव]

अनुकूल या प्रतिकुल वाली बात में नहीं है। इससे केवल यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों और खनिजों का लाभ कुछ लोग न उठा लें या उनका दुरुपयोग न करें।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर यहां मौजूद माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे इन मुद्दों पर विचार करें। जो चर्चा हुई थी, उसमें सभा के विभिन्न पक्षों से कई सदस्यों ने मांगें रखीं। मेरे विचार से अब वक्त आ गया है कि आप अवैध खनन के पहलू की जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठन करें।

मेरे विचार से अब इसका भी समय आ गया है। कि हम खनिजों चाहे वह कोयला हो, लौह अयस्क अथवा बॉक्साईट हो, की मात्रा का निर्धारण करें। हमें यह पता लगाना है कि कुल खनिजों में से हमने कितनी मात्रा का इस्तेमाल किया है, कितनी मात्रा का अवैध रूप से खनन किया गया है।

मेरे विचार में यदि किसी चीज का पता लगाने का रास्ता है तो वह हमारे संसाधनों प्राप्त रॉयल्टी के द्वारा लगाया जा सकता है और अंतर वही है जो है अवैध खनन करने वाले लोगों द्वारा लिया जाता है। राष्ट्रीय संसाधन, विशेषकर कोयला सहित खनिजों को मुट्ठीभर अवैध खनन करने वाले लोगों के लिए संरक्षित नहीं है। हम अहस्तक्षेप की नीति नहीं अपना रहे है। यह सबके लिए मुफ्त नहीं है। अत: हमारे लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय खान और खनिज नीति बनाएं।

मैं माननीय मंत्री को कोयला सहित अन्य खनिज के संबंध में सचेत करना चाहता हूं। जो बन क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों में हैं। परंपरागत वन के वासियों और जनजातियों को अधिकार देने के लिए वन अधिकार विधेयक लाने हेतु संपग्र सरकार की यह एक अग्रणी योजना थी। ऐसे क्षेत्रों में यदि आप सर्वेक्षण किए बिना खनन करते हैं और अधिकार स्थापित करते हैं तो बनाए गए अधिनियमन के मूल प्रयोजन को खो देगा।

मेरे विचार में ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार के अवैध खनन से जुड़े या इसमें लिप्त लोगों द्वारा किए जा रहे अत्यधिक विदोहन से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां हजारों लोग बेघर हो गए हैं। उन्हें अपने मूल बसावटों से बाहर कर दिया गया है। मैं यह कह सकता हूं कि यही एक मुख्य कारण है जिसके कारण बहुत से आदिवासी और वनवासी असहाय महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं हैं परिणामत: अंतिम उपाय के रूप में उन्हें असंवैधानिक कार्य करने पड़ते हैं तथा चरमपंथियों की शरण में जाना पड़ता है। आपको अवश्य याद होगा कि हम ऐसी स्थिति न बनाए जिससे गरीब लोगों ऐसी गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करें जो अवांछनीय है। ऐसी स्थिति में, आप वास्तव में उन्हें दोष नहीं दे सकते हैं। हमें भी जिम्मेदारी लेनी होगी और उन्हें हमारे देश के खनिज संपदा में अधिकार या स्टेक या हिस्सेदारी देनी होगी और हमारे पास उपलब्ध इन मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधनों के उपयोग को विनियमित करना होगा।

जहां तक इस विधेयक की बात है, आप ने इसे विशेष रूप से कोयले के लिए लाए हैं और एक-एक संशोधन के द्वारा आपने क्षेत्र खंड-II(क) को जोड़ा है। लेकिन यह केवल लौहा और इस्पात के उत्पादन, विद्युत उत्पादन, खान के लिए कोयले की सफाई के लिए है। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, चाहे वह किसी राज्य की हो या केन्द्र को इसकी आवश्यकता हो तो उसे निजी या अन्य कंपनियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं वे हमारे देश में खानों और खनिजों के उपयोग और विनियमन के लिए एक व्यापक विधान बनाएं। मैं आशा करता हूं कि वे यथाशीघ्र इसे करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे खान और खनिज, विकास और विनियमन, संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी इसी सप्ताह हम लोगों ने अवैध खनन को लेकर यहां नियम, 193 के अंतर्गत बड़े विस्तार से चर्चा की थी। उस चर्चा में मैंने कहा था कि प्रकृति ने हमें अपने गर्भ में बहुत बड़ी सम्पदा दी है जिस पर सभी का अधिकार है। हिन्दुस्तान में जितनी भी प्राकृतिक सम्पदा है, उस पर सभी नागरिकों का बराबर का अधिकार है। उस चर्चा में खनिज माफियाओं के बारे में ज्यादा चर्चा हुई थी। उस चर्चा में देखा गया था कि चाहे आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश राज्य हो, सब की चर्चा उसमें हुई थी। जिसमें लौह-अयस्क, कोयला, बालू और पत्थर के बारे में भी बातें हुईं यानी तमाम हमारी प्राकृतिक सम्पदा के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। यह बात सत्य है कि चाहे निजी कंपनियां हों या अवैध खनन के माफिया हों, उन्हीं का खानों पर

अधिपत्य है। कुछ जगह पर तो राज्य सरकारों को बड़े-बड़े लीडर्स से मिलकर अवैध खनन हुए हैं, जिस पर मैं यहां जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन देखा गया है कि इस अवैध खनन से भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

वर्ष 2000 के बाद देखा गया है कि प्रति वर्ष तापमान में वृद्धि हुई है। यहां तक कि कभी-कभी हल्के भूकम्प के झटके भी आते हैं। हमारे कौशाम्बी में तो धरती फटने की शिकायतें प्रति वर्ष आती हैं। ज्यादातर सम्मानित सदस्यों ने कोयला खनन को लेकर चर्चा की है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि आने वाले 50-60 वर्षों का ही हमारे पास कोयले का भंडार है, जिससे हमारी तमाम परियोजनाएं जो कोयले पर आधारित हैं, उन पर असर पड़ेगा। आज यह चिंता का विषय है, इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारी जो अन्य प्राकृतिक सम्पदाएं हैं, जिन पर हमें अनुसंधान करके उनकी खोज करनी पड़ेगी।

झारखंड में 75413 हजार टन कोयला प्रति वर्ष निकाला जाता है। कोयला, बाक्साइट, अभ्रक, तांबें का ज्यादातर उत्पादन झारखंड में होता हैं जब से झारखंड नया राज्य बना है, तब से वहां की राजनीतिक बहुत उथल-पुथल है। वहां प्राकृतिक सम्पदा बहुत ज्यादा है। अगर उस सम्पदा का सही रूप से खनन हो, तो मेरे ख्याल से वहां का विकास भी होगा और जो नवयुवक हैं, उन्हें रोजगार भी मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड की स्थिति देखते हुए पांच वर्षों का मूल्यांकन करें, तो 1500 मजदूर कोयला खदानों में मर चुके हैं। जो कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी स्थिति, उनके परिवार और उनके स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। लीज आबंटन की जो बात है, झारखंड में सरकार ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन वहां कोई खनन नहीं हुआ है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड कम्पनी है, जहां कोयले का ब्लॉक पर्वतपुर में आवंटन हुआ है। दो वर्ष में कोयले के खनन को देखा जाए, तो हल्दिया पोत पर लाया जाता है और विदेश भी भेजा जाता है। आज जरूरत है कि कोयले से उत्पादित हमारी जो इंडस्ट्री या दूसरे बड़े उद्योग हैं, वे चलाने के लिए अगर हमारे पास कोयले की कमी हो जाएगी, तो बहुत परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। हमें इसलिए इसे रिजर्व करके रखने की जरूरत है।

पेनम कोल दुमका में जो पावर प्लांट है, उसे चलाने के लिए आधा कोयला पावर प्लांट में आता है और आधा बीच में से गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है। अवैध चोरियों पर सरकार को गंभीरता से अपने संज्ञान में लेने की जरूरत है। मैं अभी बुकलेट में देख रहा था कि 20 जुलाई, 2009 को 18 संकटग्रस्त कोयला खादानों को पुनर्जीवित करने के लिए दस बड़ी चुनिंदा कम्पनियों को देने पर सरकार विचार कर रही है।

इसलिए आज हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि भविष्य में ये जो तमाम उत्पादक हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए हमारे पास कितना स्टॉक है, उसका सही रूप में खनन हो और उसका उपयोग हो, इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा।

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे यहां कौशाम्बी में एक इलाका शमशाबाद कहा जाता है। वहां की मिट्टी में क्या बात है कि वहां पर पहले पीतल, तांबे के बर्तन बनते थे और अन्य पदार्थों को मिक्स करके वहां पर फूल के थाल, बटुए और तमाम बर्तनों का उत्पाद होता था। मेरे पिता जी स्वर्गीय धर्मवीर जी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने वहां पर छोटा सा एक अनुसंधान केन्द्र खोला था कि वहां पर जो भी प्रोडक्ट बने, उसे मुरादाबाद लाकर जो हमारा पीतल का बहुत बड़ा स्टॉक होता है और बहुत बड़ा उत्पादन होता है और जिसे विदेशों तक भेजा जाता है लेकिन आज वह बंद पड़ा हुआ है। आज भी वहां पर व्यापारी भूखमरी के कगार पर हैं, उत्पादन ठप्प पड़ा है। मैंने सतर्कता निगरानी समिति में यह बात रखी थी कि तमाम तरीके की चीजें वहां उन लोगों को मुहैया कराकर वहां का जो उत्पादन होता था, उसको हमेशा पुनर्जीवित करके, थोड़ी सी मदद करके उनके भी जीवन स्तर को सुधारा जाए। आज बाहर के लोग आते हैं, वहां की मिट्टी बोरों में भरकर ले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि तमाम ऐसे इलाके हैं, आज भी हमें जो प्रकृति ने धरोहर दी है, अगर उसका कायदे से खनन और अनुसंधान हो तो बहुत ऐसी जगह हैं, जहां पर खनन करके हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं तथा उत्पादन करके, निर्यात करके अच्छी विदेशी मुद्रा इकट्ठा करके अपने देश का विकास कर सकते हैं।

डॉ. बलीराम (लालगंज) : सभापति महोदय, आपने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का मुझे मौका दिया। हमारा जो भारत देश है, यह जो खान और खनिज है, यह हमारी सम्पत्ति है और यही कारण है कि लोगों ने भारतदेश को सोने की चिड़िया कहा है। जितने नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश में है, उतने नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया के किसी दूसरे मूल्क में नहीं है। जहां तक झारखंड का सवाल है, अकेले झारखंड में 17 तरह के मिनरल्स पाये जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना

[डॉ. बलीराम]

चाहूंगा कि यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। इसे पहले लाना चाहिए था क्योंकि जिस तरह से हमारे खनिजों का दुरुपयोग हो रहा है जिसे रोका जाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस खनिज से हमारे तमाम ऐसे उत्पाद बनते हैं और विशेषकर जो हमारी बिजली है, हम कोयला से पर्याप्त मात्रा में इस देश को बिजली दे सकते हैं।

आज हमारे देश में बिजली का बहुत संकट है। हर प्रदेश में लोग बिजली को लेकर चिंतित हैं। हम कोयले से पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पादित कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, यहां बिजली की आपूर्ति सही ढंग से हो सके और पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए कोयले से चलने वाले 12 प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। लेकिन खेद का विषय है कि ये 12 प्रोजेक्ट्स कोयले से चलते थे लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को कोयला नहीं दिया है। इस कारण हमें दो प्रोजेक्ट्स निजी क्षेत्रों को देने पड़े। जब निजी क्षेत्र को दो प्रोजेक्ट्स दे दिए गए तब मालूम नहीं उसे कहां से कोयला मिल गया जबकि सरकारी तौर पर प्रोजेक्ट्स को कोयला नहीं मिलता है।

महोदय, इस देश में बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी है। अगर हम अपने नैचुरल रिसोर्सिस का सही ढंग से उपयोग करें तो हम बेरोजगारी को नियंत्रित कर सकते हैं, बेकारी दूर कर सकते हैं। मैं झारखंड के बारे में बताता हूं कि वहां पर्याप्त मात्रा में कोयला है। धनबाद जनपद में लगभग 40-45 वर्षों से कोयले की खदानां में आग लगी हुई है। कोयला जल रहा है, कोयले का भंडारण खत्म हो रहा है लेकिन सरकार इसके प्रति चिंतित नहीं है। वहां पर्याप्त मात्रा में चोरी होती है, मौतें होती हैं। सरकारी खदानों में ठेकेदारी प्रथा हैं कोयला निकालते हैं तो गड्ढों को मिट्टी या बालू से पाटना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है और धंस जाता है या किसी न किसी तरह से आग लग जाती है। इससे जन और धन, दोनों की क्षति होती है। आज यह विधेयक लाया गया है, इस भंडारण को सुरक्षित रखने की जरूरत है। हमें भविष्य को भी देखना है कि आने वाले समय में नैचुरल रिसोर्सिस हमारे पास रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगर हम विदेशों को इसी तरह से कौड़ियों के मोल देते रहेंगे तो कुछ ही दिन में सारे नैचुरल रिसोर्सिस खत्म हो जाएंगे और हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं इस संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (वर्धमान-दुर्गापुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं जिसमें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-II में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

विधेयक पहले खान मंत्रालय द्वारा पुर:स्थापित किया गया था लेकिन बाद में यह कोयला मंत्रालय के पास चला गया। समस्या यह नहीं है।

सर्वप्रथम, मैं विधेयक के मूल उद्देश्य का विरोध करता हूं क्योंकि हम कोयला ब्लॉकों को निजी कंपनियों जिनमें विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं, को दे रहे हैं इसका दुरुपयोग होने की हर संभावना है। हमारे पास कोल इंडिया लिमिटेड है। इस प्रकार के काम कोल इंडिया लिमिटेड को सौंपा जा सकता था ताकि वह उन सभी खानों की अन्वेषण कर सकती थी जिनका अन्वेषण नहीं किया गया था। इस प्रकार के कार्य निजी निवेशकों, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं, न देकर कोल इंडिया लिमिटेड को सौंपा जाना चाहिए। आपका क्या अनुभव है? हमने पहले ही कोयला ब्लॉकों को निजी कंपनियों को दे दिया है। जहां तक मुझे जानकारी है, निजी निवेशकों को 228 कोयला ब्लॉक दिए गए हैं लेकिन लगभग 200 ब्लॉकों का अन्वेषण किया जाना है।

अत: ऐसी बात पुन: होगी। हुआ यह कि कई वर्षों बाद भी कैप्टिव यूज के लिए आवंटित अधिकतर कोयला ब्लॉकों का अन्वेषण नहीं हो पाया।

वर्ष 1972 और 1973 में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को अन्वेषण न हुए कोयले के अन्वेषण का प्राधिकार दिया गया जिसका अन्वेषण नहीं किया गया था। इस्पात और बिना किया गया भंडार है के मामले में यह जिसका अन्वेषण नहीं हुआ है और जो खनन न सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कराया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा न करके हम इसे निजी निवेशकों और विदेशी भागीदारों को दे रहे हैं। अब राष्ट्रीयकरण की नीति का उलटा हो सकता है, जिसे सरकार अब अपनाने जा रही है।

दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य का खतरा है इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव होंगे क्योंकि निजी भागीदार या विदेशी भागीदार विस्थापित लोगों के पुनर्वास के बारे में नहीं सोचेंगे। वे पर्यावरण की समस्या के बारे में

नहीं सोचेंगे। वे नवीनतम तकनीक का उपयोग करके बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधनों का संरक्षण करने और कचरे को न्यूनतम करने के बारे में नहीं सोचेंगे। स्वभाविक रूप से वहां खुली कोयला खदाने होंगी। यह जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए चुनौती होगी। इससे यह होगा कि निजी भागीदार इसे अन्य पक्ष को दे देंगे। अवैध खनन में वृद्धि होगी। राजस्थन में अरावली और उत्तराखंड में गढ़वाल के मामले में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि अवैध खनन में वृद्धि हो रही है जिससे मृदा अपरदन और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अत: उच्चतम न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करे और इन दोनों क्षेत्रों में खनन रोके।

एक दूसरा विरोधाभाष है जिसे निजी क्षेत्र द्वारा पैदा किया था। वर्जिन कोयला ब्लॉकों को निजी दोहन के लिए दिया जा रहा है जबकि कोल इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से कोयला मांग रही है। तर्क दिया जा सकता है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि गुणवत्ता युक्त कोयला उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह व्यवहारिक था स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमें अपने कोयले के भंडार के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। यदि हम इसे नहीं जानते तो हम गुणवत्ता स्थिति के बारे में कैसे जान सकते हैं? अत: सरकार को इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अपराह्न 1.37 बजे

[**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

मैं राज्यों की भूमिका के बारे में दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूं। बोली की प्रक्रिया में राज्यों को शामिल नहीं किया जाता। यदि राज्य शामिल नहीं होंगे तो वे इन बोलीदाताओं से कोयला पाने के पात्र नहीं होंगे। राज्य प्राकृतिक संसाधनों के मालिक हैं। अत: यह राज्यों के अधिकारों को कम करेगा और देश की संघीय संरचना पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अत:, बोली की प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब राज्य कोयला चाहता है – उदाहरण के लिए हमारे राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, को ताप विद्युत उत्पादन के लिए कुछ कोयला ब्लॉकों की आवश्यकता है तो राज्य को वह देना चाहिए। लौह-अयस्क के मामले में यदि राज्यों को कुछ अधिकार है तो कोयले के मामले में क्यों नहीं? राज्यों का यह कहना है कि बोली प्रक्रिया के माध्यम से पट्टा देते समय उनसे संपर्क किया जाए।

एक और महत्वपूर्ण बात है। कोयला और इस्पता संबंधी स्थायी समिति ने इस मामले पर 9 फरवरी, को अपना 39वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, अब एक वर्ष बीत गया है। स्थायी समिति ने दो बड़ी और महत्वपूर्ण सिफारिशें की है। मैं पहले का उदाहरण देना चाहता हूं:–

> ''कोयला मंत्रालय को उपलब्ध कोयले का आरक्षित भंडार, खनन योग्य कोयला अभी तक आवंटित कोयला ब्लॉकों वर्तमान स्थिति, ऐसे ब्लॉकों को समयबद्ध तरीके से विकसित करने के लिए आकस्मिक योजना के साथ इनके विकास में विलंब का विवरण देते हुए विस्तृत स्वेत पत्र लाना चाहिए था ताकि ऐसे ब्लॉकों की नीलामी शुरू करने से पहले निर्धारित कोयला उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।''

यह स्थायी समिति द्वारा दी गई बड़ी और महत्वपूर्ण सिफारिश है तथा विधेयक तैयार करते समय इस पर विचार नहीं किया गया है।

समिति द्वारा दी गई दूसरी सिफारिश यह है कि आरक्षित बनों तथा संरक्षित वनों में कोयला ब्लॉकों का आवंटन वन, पर्यावरण और स्थानीय जनसंख्या को बचाने के लिए न किया जाए। इस खंड को इस विधेयक में सम्मिलित किया जाए अन्यथा वह वनों और स्थानीय जनसंख्या को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा इसलिए कि विधेयक में परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास, पुनर्स्थापना और उनके जीवन की रक्षा के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। सर्वाधिक प्रभावित लोग कौन हैं, ये जनजातीय लोग हैं।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गठित राज्य कृषि संबंध तथा भूमि सुधार का अपूर्ण कार्य संबंधी स्थायी समिति की 2008 के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि नौ प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है लेकिन वे ऐसे खनन के लिए जो भूमि दे रहे हैं, वह 40 प्रतिशत है। आकड़े बताते हैं कि इस तरह के खनन के लिए आदिवासियों से 7,50,000 भूमि के टुकड़े लिए गए हैं। अत: आदिवासी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। निजी भागीदार या विदेशी भागीदार आदिवासी लोगों के पुनर्वास, पुनर्स्थापना, हर्जाना और रोजगार अवसरों की चिंता नहीं करेंगे। इस पर भी विचार किया जाए।

मेरा अगला मुद्दा यह है कि बोली की प्रक्रिया में यह बताया गया है कि सरकारी कंपनी बोली प्रक्रिया में नहीं जाएंगा। लेकिन विधेयक में कहीं नहीं लिखा है कि सरकारी कंपनी को प्राथमिकता दी जाएगी।

[शेख सैदुल हक]

क्या हो रहा है? सेल को अभी भी चिरिया लौह-अयस्क के खनन से वंचित किया जा रहा है, जिसे स्वयं सेल द्वारा ही विकसित किया गया था। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम कैप्टिव लौह-अयस्क की खानों तथा समुचित कोकिंग कोयला ब्लॉकों के पाने के लिए दर-बदर भटक रहा है। अभी तक नहीं दिया गया है। जो कोयला क्षेत्र उन्हें आवंटित किया गया है, उन सभी में खनन लागत ज्यादा है। इसलिए सेल, आरआईएनएल, एनटीपीसी तथा कोल इंडिया सभी नवरत्न कंपनियों को देश के बाहर कोयला संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए संयुक्त उपक्रम बनाना पड़ा है जबकि हमारे देश में ऐसे भंडार हैं जिनका दोहन नहीं किया गया है। यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाए।

मेरा अगला मुद्दा यह है कि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे। मुद्दा यह है कि वे खनन नहीं करेंगे। वे खनन संविदा के आधार पर देंगे। यदि ऐसा है तो खनन सबसे खतरनाक और गंदा है। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे? गरीब कामगार सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। निजी भागीदारी, विदेशी निवेशक कोयला कामगारों की चिंता नहीं करेंगे। मेरा ठोस प्रस्ताव यह है कि जब सरकार कोयला ब्लॉकों की नीलामी करे, तब नीलामी दस्तावेज में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के माध्यम से निर्धारित बेंचमार्क के अनुसार खान के कामगारों की भुगतान की शर्तों और मजदूरी को अवश्य शामिल किया जाए। इसके बारे में विधेयक में कुछ नहीं कहा गया। अत: इसे भी विधेयक में शामिल किया जाए। इस विधेयक इस चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है।

मेरा आखिरी मुद्दा यह है कि हमें ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि गैर-परपंरागत स्रोतों और नवीकरणीय ऊर्जा से केवल तीन प्रतिशत ऊर्जा मिलती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन पहलुओं पर सभलकर विचार करे क्योंकि हम इस विधेयक के माध्यम से थोपें नहीं। मैं पुन: इस विधेयक पर अपनी आपत्ति उठाता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय सभापति महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

जैसाकि हम सभी जानते हैं, यह विधेयक आरंभ में वर्ष 2008 में पेश किया गया था बाद में संशोधित विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया। इस पर राज्य सभा में चर्चा की गई। यह राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। अब, यह संशोधित विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित हमारे समक्ष विचार-विमर्श के लिए है।

परन्तु इस विधेयक के ब्यौरे में जाने से पूर्व मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह विधेयक पहले परिचालित किए गए विधेयक का संक्षिप्त रूप है। यह केवल कोयला एवम् लिग्नाइट तक सीमित है। पिछला विधेयक इसलिए अत्यधिक चिन्ताजनक था कि अधिकतर खनिज बहुल राज्य, उनके मुख्यमंत्री तथा माननीय राज्यपालों ने भी इसका विरोध किया था। हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने भारत के प्रधानमंत्री को बार-बार लिखा था, एक समूह में उनसे मिले तथा विचाराधीन खनिज नीति तथा विधेयक से संबंधित बनाए जा रहे मत पर विरोध भी प्रकट किया।

अब, मैं इस विधेयक के उस सीमित पहलू की चर्चा करूंगा जो कोयला एवम् लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा देने तक सीमित है तथा इसका चयन ऐसी शर्तों पर प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से किया जाएगा जो लौहे एवम् इस्पात के उत्पादन, बिजली के उत्पादन, खान से प्राप्त कोयले की सफाई अथवा ऐसे अन्य प्रयोग में संलग्न कम्पनी के लिए विहित किए जाएं। मैं यह नहीं जानता कि यहां ''अथवा'' का प्रयोग क्यों किया गया है। दूसरा एक व्यापक विचार है: ''ऐसे अन्य मूल उपयोग जो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।''

इसलिए, यह एक सीमित मुद्दा है जिस पर हम आज विचार-विमर्श कर रहे हैं। क्या हम नहीं जानते कि हमारे देश में कहां-कहां कोयला खाने हैं और वहां कितना लिग्नाइट है? यह बॉक्साइट के लिए उपलब्ध नहीं था यह लौह-अयस्क के लिए उपलब्ध नहीं था और यह अन्य खनिज के लिए उपलब्ध नहीं था। यही कारण है कि वहां इस शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्होंने इसे यहां क्यों रखा? यदि यह जरूरी है तो क्या यह हमारे देश के भागीदारों, स्थानीय भागीदारों, भारतीय कंपनियों तक सीमित है या यह विदेशी बोली दाताओं के लिए भी खुला है।

पूर्वेक्षण लाइसेंस, खनन पट्टा आदि के संबंध में समझता हूं कि ये तकनीकी शब्द हैं और माननीय मंत्री और हममें से वे लोग भी जो इन कार्यों से जुड़े है इसे समझते हैं। किन्तु यहां मैं कहना चाहूंगा

कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने हमें याद दिलाया और 1957 के अधिनियम के बारे में उल्लेख किया और जैसा यहां इस चर्चा की शुरूआत करने वाले प्रमुख विपक्षी दल के सदस्य ने कहा कि यह चर्चा 1973 के कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम के बारे में है।

यह एक राष्ट्रीयकरण अधिनियम है, परन्तु यह अधिनियम प्राइवेट कंपनियों की अनुमति देती है। ऐसा नहीं है, कि यह अनुमति नहीं देती है। यह बिजली उत्पादन, लौह-इस्पात उत्पादन, कोयला साफ करने, आदि में लगी प्राइवेट कंपनियों को अनुमति देती है। उन सभी बातों की अनुमति राष्ट्रीयकरण अधिनियम में दी गई है। ऐसा नहीं है कि श्रीमती गांधी ने सभी निजी भागीदारों को पूर्णत: हटा दिया है। उन्हें अनुमति दी गई है। अधिनियम में ऐसा है उसे यहां भी शामिल किया गया है। ''खान से प्राप्त और अन्य अंतिम उपयोग विनिर्दिष्ट की जाएं''।

''मैं यह कहूंगा कि यह अधिनियम खान और खनिज विकास विनियम अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है। 1957 के अधिनियम के अनुसार पूर्वेक्षण या खनन कार्य पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। यह लाइसेंस पट्टा प्रदान करने के लिए नियम विनिर्दिष्ट करता है। इस विधेयक का आशय राज्य सरकार को प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को कोयला और लिग्नाइट के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने की अनुमति देना है।

विधेयक में ही यह बात कही गई है कि 'राज्य सरकार कोयला या लिग्नाइट के संबंध में ऐसा सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टा प्रदान करेगी'। राज्य सरकार प्रदान करेगी। सभापति महोदय ''करेगी'' शब्द भली भांति जानते हैं कि इसका अर्थ है ''करना होगा'' राज्य के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह अनिवार्य है। यहां पर राज्य की शक्ति और राज्य की समक्ष को छोड़ दिया गया है। राज्य की कोई भूमिका नहीं रही है। केन्द्रीय द्वारा एक बार निर्णय लेने के पश्चात् राज्य सरकार को उसका पालन करना ही होगा। आपने उन पंक्तियों पर हस्ताक्षर करने होंगे जिन पर मैंने आपत्ति उठाई है।

यह कोई तरीका नहीं है। खनिजों का मालिक कौन है? यहां यह कहा जाता है कि यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है। विशेषकर यह कौन कहता है? मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं परन्तु वो जो खनिज आधारित राज्य नहीं है इसे राष्ट्रीय संपदा कहते हैं। परंतु इस संपत्ति का अभिरक्षक कौन है। संपदा के अभिरक्षक वे राज्य है जहां वह संपदा है परन्तु आप उनसे सलाह लिए बिना ही बोली लगाने जा रहे हैं। आप सर्वेक्षण लाइसेंस के लिए जा रहे हैं; आप सब कुछ आवंटित करने जा रहे हैं और राज्य सरकार से कह रहे हैं कि वे खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर दें। हमारा संघीय ढांचा है। संविधान ने कुछ राज्यों, सभी राज्यों को कतिपय अधिकार दिए है। क्या सही तरीका है?

राज्य सभा ने विधेयक पारित कर दिया। सप्ताहांत में हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं और यह विधेयक भी पारित हो जाएगा। परन्तु मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि यह उस बड़े विधेयक की शुरूआत है जो बाद में आने वाला है।

वे कंपनियां बोली लगा सकती है जो लौहा और इस्पात के उत्पादन में लगी होनी चाहिए और उन पहलुओं का उल्लेख यहां किया गया है। इस विधेयक का आशय पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अनुमति देना भी है। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य खनिज संसाधनों के स्वामी हैं और कोई नई नीति अपनाने से पूर्व सरकार को चाहिए कि वह उनसे परामर्श करे।

कोयला ब्लॉकों का आवंटन पहले ही हो चुका है परंतु जो मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार विकसित नहीं किए गए हैं उनका निपटान नए नियमों के द्वारा किया जाना चाहिए। नए ब्लॉकों का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली से किया जा सकता है। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु जिस तरह विभिन्न राज्यों, विशेषकर उड़ीसा में ब्लॉकों का आवंटन हुआ है उस पर मुझे कड़ी आपत्ति है। मैं समझता हूं मंत्रीजी इस बात से अवगत होंगे। कई राज्यों को कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए जिन्हें कोयले की कोई खास जरूरत नहीं है। वे निकट भविष्य में अगले पांच या दस वर्षों तक कोई केप्टिव पावर प्लांट नहीं लगा रहे हैं। न ही उनके पास कोई योजना है। परंतु उनके नाम पर कोयला ब्लॉक आवंटित किये गये हैं। जबकि एनटीपीसी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उड़ीसा में वृहद संयंत्रों की स्थापना पर जोर दे रही है। उड़ीसा में बहुत से उद्योग स्थापित हो रहे हैं और उन्हें बिजली चाहिए। हम ईस्टर्न ग्रिड या सेन्ट्रल ग्रिड से बिजली नहीं ले सकते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि कोयला प्राप्त कर लिया जाए। उड़ीसा में कोयला बहुतायत में हैं, यह झारखंड में उपलब्ध है, पश्चिम बंगाल और आस पास उपलब्ध है और हम इस कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए कर सकते हैं। परंतु आज उड़ीसा के पास बहुत कम कोयला उपलब्ध है। यही पर उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करने वाली प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को कठिनाई

[श्री भर्तृहरि महताब]

का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री ने इसके बारे में कोयला मंत्री को अवगत कराया है।

उड़ीसा की राज्य सरकार और बहुत से अन्य खनिज आधारित राज्यो ने बार-बार आपत्तियां उठाई है। एक आम धारणा यह भी है कि संघ सरकार कोयला ब्लॉकों के आवंटन के मामले में राज्य सरकार के अधिकारों को हडपने की बुरी नीयत रखती है।

आपके पास प्रशासनिक आदेश के माध्यम से बनाई गई स्कीनिंग कमिटी है जो विभिन्न कंपनियों के आवेदन पत्र पर विचार करती है। यह एक अंतर-मंत्रालयी और अंतर-सरकारी निकाय थी। संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी उसमें थे। परंतु कोयला ब्लॉकों के इस भारी आवंटन के कारण आवंटन की उपलब्धता कम होती जा रही है और प्रति ब्लॉक आवेदकों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है क्योंकि कोयले की मांग में भी वृद्धि हो रही है। इसीलिए आपने इस नए बोली के विचार को अपनाया है।

कोयला ब्लॉकों के आबंटन को पारदर्शी और उद्देश्यपरक बनाया जाना चाहिए। ऐसा पहले नहीं किया गया था। क्या आप उन निर्णयों की समीक्षा करने जा रहे हैं? यह कठिन काम है, मगर इसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। निस्संदेह, देर आए दुरुस्त आए। अब आप बोली के लिए जा रहे हैं। इस संशोधन के जरिए निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए प्रतियोगी बोली के माध्यम से नीलामी के द्वारा चयन प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग है।

इस विधेयक को दूसरी सभा में उनके पूर्ववर्ती श्री शीश राम ओला द्वारा वर्ष 2008 में पेश किया गया था; मैं उस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में से यह उद्धृत करना चाहूंगा, जिसके अनुसार:-

> ''जबकि कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973, राष्ट्रीयकरण और संबद्ध उपबंधों की व्यवस्था के साथ-साथ विनिर्दिष्ट करता है कि भारत में कोयला खनन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोयला खनन करने की अनुमति-प्राप्त कंपनियां खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का खनिज अधिकार, खनन पट्टा प्राप्त करने और खनिज प्रशासन से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में अनुपालन करती है।''

मुझे कतिपय सुझाव देने हैं। क्या माननीय मंत्री जी कोई तकनीकी विनियामक बनाने का प्रस्ताव करते हैं? मैं नहीं चाहता कि मौजूदा मंत्री जी कोई बदनामी लें क्योंकि यह कोयला मंत्रालय के प्रमुख हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं। परन्तु कोई तकनीकी विनियामक क्यों नहीं बनाते। वह ऐसा क्यों नहीं कर लेते? मुझे बताया गया था कि संशोधन विधेयक तैयार करते समय इस विचार पर चर्चा हुई थी लेकिन किसी कारणवश वह लागू नहीं हुआ। क्या वह इस बात पर प्रकाश डालेंगे? यह मंत्रालय से बाहर एक अधिकरण की तरह कार्य करता और स्वतंत्र लोगों से मिलकर बनता।

आज भारतीय खान ब्यूरों इस क्षेत्र के लिए मौजूदा तकनीकी विनियामक है और हम सभी जानते हैं कि लौह-अयस्क और बॉक्साइट के मामले में कैसी लूट मची थी और न के बराबर कार्रवाई हुई थी।

मेरा सुझाव एक तकनीकी अधिकरण बनाने का है जहां मंत्रालय तक के आदेश समीक्षाधीन रहेंगे और वह एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में भी कार्य करेगा। यदि इसे आज नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर कल करना ही पड़ेगा क्योंकि अब काम इसी तरह से हो रहा है।

देश के खनन क्षेत्र, जिसमें पिछले कुछ समय में तीव्र वृद्धि देखने में आई है, में मंजूरी दिए जाने में अनियमितताएं और विलम्ब बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोयला मंत्रालय बोली प्रक्रिया के लिए प्रतिष्ठित सलाहकार को नियुक्त करने जा रहा है। मैं नहीं समझता कि वे अपने-आप को दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े अपने सहयोगी के साथ पुन: सहयोजित करेंगे। लेकिन क्या वह किसी प्रतिष्ठित सलाहकार को नियुक्त करने जा रहे हैं? क्या वह कोई व्यावहारिकता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करवाने जा रहे हैं? क्या प्रत्येक ब्लॉक की नीलामी से पहले खान मूल्यांकन और वित्तीय खाका तैयार किया जाएगा क्योंकि जब सब को इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक आप दर कैसे बढ़ा सकते हैं? कौन कोयला ब्लॉकों की चयन प्रक्रिया के दस्तावेज बनाएगा? मंत्रालय या कोई और?

महोदय, मैं आरक्षित या संरक्षित वनों से कोयला ब्लॉकों का आबंटन रोकने के संबंध में सरकार से आश्वासन प्राप्त करना चाहूंगा। उचित मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर ब्लॉक को श्रेणीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है; और आबंटन से पहले कोयले की वास्तविक मांग निर्धारित की जानी चाहिए।

अंत में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजनाओं, जो अधिकांश खनिज आधारित राज्यों में बड़ी चिंता का

विषय है; तथा समुदाय कल्याण योजना का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं कर दिया जाता तब तक कोयला-बहुल क्षेत्रों में गंभीर समस्या और असंतोष बना रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 2.00 बजे

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़) : सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वस्तुत नियम 193 के अधीन अवैध खनन पर चर्चा के दौरान मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने का मैंने अनुरोध किया था। लेकिन मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया गया है।

खैर, मुझे जो भी अवसर दिया गया है और लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

यह मूलत: कोयले की आबंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए है।

अपराह्न 2.01 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

मुझे बहुत थोड़े शब्दों में कतिपय बिन्दुओं पर अपनी बात कहनी है। मूलत: मेरे मन में एक प्रश्न है। यह प्रश्न नीलामी के बारे में है। इस्पात उत्पादन और विद्युत उत्पादन दोनों इस नीलामी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। यह प्रश्न स्थायी समिति में भी उठाया गया है। जहां तक मेरा संबंध है चूंकि मैंने स्थायी समिति का प्रतिवेदन देखा है, उसका भी संतोषजनक रूप से जवाब नहीं दिया गया है। एक नियमित है और दूसरा नियमित नहीं है। इस संदर्भ में महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ही अनुरोध करता हूं कि इस बारे में समुचित स्पष्टीकरण दें क्योंकि बिजली सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि हमें कोयला खनन करना ही है तो वह मूलत: बिजली का उत्पादन करने के लिए करना है। देश को और अधिक बिजली की आवश्यकता है। बिजली आज की निहायत जरूरत है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र को अग्रता दी जानी चाहिए। मैं इस पक्ष का उस पक्ष का पक्षधर नहीं हूं। मूलत: बिजली आज की जरूरत है। यही मेरी चिंता है और आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध भी।

दूसरा मुद्दा जो मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं वह है कि इस संशोधन इस सीमित विधान को लाने से पहले, क्या उन्होंने पर्यावरण की समस्या पर विचार किया है क्योंकि जहां तक हम जानते हैं, यद्यपि हमें बिजली की आवश्यकता है और यह समय की मांग है, फिर भी साथ ही, पृथ्वी का संरक्षण भी हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता और परम उत्तरदायित्व है। उत्पादित विद्युत का प्रयोग करने के लिए हमें इस संसार में जीवित रहना होगा, हमें इस पृथ्वी पर जीवित रहना होगा।

मैं यह मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जुलाई में फ्रन्ट लाइन में छपी रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता-प्राप्ति के प्रथम 45 वर्षों में, ''हमने 1.64 लाख हैक्टेयर वन भूमि खनन के लिए दी है – तथा यह एक माना गया तथ्य भी है– ''और खनिज के खनन के कारण वर्ष 2006 में, केवल एक वर्ष में, 1.4 बिलियन टन अपशिष्ट निकला तथा भारत में लौह-अयस्क खनन में केवल एक वर्ष में 77 बिलियन टन जल का प्रयोग हुआ जो भारत की 30 मिलियन आबादी की पेयजल आवश्यकता के लिए पर्याप्त है।''

स्थिति यही है। कोयला अथवा लौह-अयस्क के खनन से पहले, क्या यह सरकार और हम सभी का कर्त्तव्य नहीं है कि पर्यावरण के पहलु पर विचार करें? जहां तक मेरी जानकारी है इसका कारण यह है कि पर्यावरण मंत्रालय ने बहुत-से सुझाव दिए हैं तथा काफी पत्र-व्यवहार हो रहा है। सरकार में बहुत विचार-विमर्श चल रहा है तथा मैंने यह भी समझा है कि पर्यावरण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों में मतभेद हैं।

मंत्री से मेरा एकमात्र अनुरोध यह है कि यह सब करते समय, ऐसा कानून लाते समय हमें पर्यावरण को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि हमने यह चर्चा पहले ही आरंभ कर दी है कि जो भी बाढ़ तथा वर्षों के समय में परिवर्तन आज हो रहे हैं तथा इन सभी बातों के पीछे ग्लोबल वार्मिंग करण है। इसके कारण, कृषि उत्पादन भी प्रभावित होता है। इतना ही नहीं हम वर्ष 2020 तक उत्सर्जन में 20 से 25 प्रतिशत की कमी करने के प्रति कटिबद्ध हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की विश्व के प्रति वचनबद्धता है। अत:, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि आर्थिक विकास अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद अथवा इसे जो भी कहें, तथा पर्यावरण के बीच सन्तुलन बनाएं।

ऐसा करने के लिए मेरा तत्पर अनुरोध है कि खनन पर नियंत्रण रखने के लिए एक व्यापक कानून लाएं जिसके द्वारा हम मूलत: अवैध खनन को नियंत्रित कर पाएंगे।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि हमें जानकारी है कि हमारे देश में वैध खनन से अधिक अवैध खनन

[श्री प्रहलाद जोशी]

हो रहा है। एक स्रोत के अनुसार, जहां तक प्रमुख खनिजों का संबंध है लगभग 2496 अवैध खनन कार्य होते हैं तथा गौण खनिजों के मामले में 28,055 अवैध खनन कार्य होते हैं, जो वैध खनन से दोगुना से अधिक है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इसे नियंत्रित किया जाए? क्या यह समय की मांग नहीं कि अवैध खनन को नियंत्रित किया जाए जिसके कारण, जहां तक पर्यावरण का संबंध है और अधिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं।

मेरे पास एक और सुझाव है। बिजली की आवश्यकता के कारण हमारे पास कोयला खनन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यद्यपि मूल रूप से यह विधेयक कोयला नीलामी प्रक्रिया के लिए लाया गया है फिर भी मेरा सरकार से अनुरोध और मांग है, अर्थात् जहां तक लौह-अयस्क का संबंध है, हमें इस पर पूर्णतया रोक लगानी होगी। जहां तक कोयला खनन का संबंध है हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। परन्तु, जहां तक लौह-अयस्क का संबंध है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, अवैध खनन अधिकतम सीमा तक हो रहा है। इसी प्रकार, अवैध खनन कोयले में भी हो रहा है।

ब्राजील, चीन, जापान जैसे देश हैं जहां खनिजों की मात्रा हमारे देश की तुलना में अधिक खनन नहीं कर रहे। वे अभी भी आयात कर रहे हैं। चीन में प्राकृतिक खनिजों की दृष्टि से दोगुना भंडार है और वह हमसे अधिक सम्पन्न हैं। अभी भी वे उनका खनन नहीं कर रहे। वे हमारे निर्यातकों को कुछ अल्प धनराशि देकर भारत से उनका आयात कर रहे हैं। हमारे प्रचुर खनिज समाप्त हो जाएंगे और हम अपनी भावी पीढ़ी के प्रति उत्तरदायी होंगे क्योंकि वे हमें कोसेंगे। इसी कारण, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन सब पर रोक लगाने के लिए तत्काल व्यापक कानून लाए।

अवैध खनन को नियंत्रित करने हेतु अन्य उपाय यह है कि बंदरगाहों पर सख्त चौकसी बरती जाए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बन्दरगाहों पर सभी संबंधित अधिकारियों को अनुदेश दें कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन सभी बन्दरगाहों के जरिए एक ग्राम लौह-अयस्क का भी निर्यात न हो। यह किसी राज्य सरकार के हाथों में नहीं है। हमें समझना चाहिए कि एक स्रोत के अनुसार, भारत सर्वाधिक खनन वाले देशों में से एक है। जहां तक खनन का संबंध है, भारत विश्व में प्रथम दस देशों में आता है, जो खतरनाक बात है।

जहां तक इस कानून का संबंध है, मेरे दो-तीन प्रश्न हैं। मैंने सामान्य तौर पर कुछ मुद्दे रखे हैं जहां तक लौह-अयस्क और अन्य चीज़ों का संबंध है। परन्तु जहां तक इस कानून विशेष का संबंध है, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे कोयले ब्लॉक के पुनः आबंटन की अनुमति दी जाएगी जिन्हें विशेष समय-सीमा के भीतर विकसित नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत से लोगों ने इस विधेयक के प्रवृत्त होने से पूर्व अनुमति ली है; उनमें से 60 प्रतिशत से अधिक प्रचालनरत भी नहीं हैं तथा विकसित करना आरंभ नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे ब्लॉकों का निपटान नई बोली लगाने वालों को अवसर देने हेतु नीतिगत पहलकदमियों के माध्यम से किया जाएगा। दूसरे, इस संशोधन में ब्लॉकों के मूल्यांकन के लिए मानदंड निर्धारित करने हेतु स्पष्ट उपबंध नहीं है। यह उचित ढंग से उल्लिखित नहीं है कि प्रत्येक ब्लॉक का मूल्य नियत करने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार करती है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या भूमि मानचित्र को किसी अन्य उद्योग की स्थापना के लिए कोयला भूमि के आबंटन से बचने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। क्या प्रस्तावित संशोधन में परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त उपबंध है।

जहां तक खनन का संबंध है, चाहे यह कोयला हो, लौह-अयस्क अथवा बॉक्साइट हो पिछले 63 वर्षों में, 2.4 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

2.5 करोड़ से अधिक लोगों को विस्थापित किया गया है तथा उनमें से 25 प्रतिशत तक का भी पुनर्वास नहीं किया गया है। इस विधेयक अथवा किसी अन्य विधेयक में इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री प्रहलाद जोशी : अतः, मैं मंत्री जी से अनुरोध और मांग करता हूं कि इन मुद्दों पर उत्तर दें तथा एक व्यापक विधेयक भी लाएं ताकि हम अगली पीढ़ी के लिए अपने समृद्ध खनिज संसाधनों को सुरक्षित रख सकें।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर) : धन्यवाद महोदय, मैं खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिस पर हमारे माननीय मंत्री जी पहले ही चर्चा आरंभ कर चुके हैं।

जैसाकि मैंने समझा है इस विधायी दस्तावेज की परिधि बहुत सीमित है। मूल रूप से, यह बोली प्रक्रिया से संबंधित है जिस इस विधान के माध्यम से प्रवृत्त किया जाएगा।

माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को बनाते समय, शुद्धि के अध्यधीन, यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकारों के विचारों को किसी भी बोली के अंतिम निपटान से पूर्व संज्ञान में लिया जाएगा। खान और खनिज का विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में है तथा हमारे देश में सभी राज्य सरकारें हमारे देश के खनिज संसाधनों के विनियमन तथा रख-रखाव में मुख्य भूमिका निभा रही हैं।

सर्वप्रथम, अलग-अलग राज्यों को हमारे देश के दुर्लभ संसाधनों के प्रति और अधिक सावधान तथा और अधिक चिन्तित होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि कोयला एक सीमित स्रोत है। अनुमानों के अनुसार, भारत में कोयला संसाधनों का 267.11 बिलियन टन भौगोलिक भंडार है। अब, वार्षिक उत्पादन 500 मिलियन टन है। भारत में 106 बिलियन टन कोयला को सिद्ध के रूप में मान्यता दी जाती है; 124 बिलियन टन कोयला को निर्दिष्ट के रूप में तथा 37 बिलियन टन अनुमान के रूप में है। इसमें से, ईंधन (कॉकिंग) कोयले का अंश 33.4 बिलियन टन है तथा गैर-ईंधन (नॉन-कॉकिंग) कोयले का अंश 233.8 बिलियन टन है। हमने यह देखा है कि भारत में 81 प्रतिशत उत्पादन खुली खदान से आता है तथा केवल मात्र 19 प्रतिशत भूमिगत खनन प्रक्रिया से आता है। कोयला हमारे देश के 14 राज्यों में उपलब्ध है तथा भारतीय कोयला की राख (ऐश) की मात्रा 4,500 जीसीबी है तथा इसमें गंधक कम है।

यह देखा गया है कि कोयले का निष्कर्षण योग्य भंडार 55 बिलियन टन तक सीमित है जो 50 वर्ष तक रह सकता है तथा लिग्नाइट के लिए यह 38.93 बिलियन टन है। इसलिए, मैंने इसे पहले ही हमारी आवश्यकता का सीमित स्रोत कहा था। इसलिए, हमें अपने दुर्लभ संसाधनों को विनियमित करने के लिए स्वस्थ और सुदृढ़ तंत्र की आवश्यकता है। अन्यथा, हमें भविष्य में इसका अभाव रहेगा।

सर्वप्रथम, बहुत से मुद्दों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। इसलिए, मैं उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता। परन्तु मैं संबंधित मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जहां तक पर्यावरण मंत्रालय का संबंध है, इसने देश के नौ प्रमुख कोयला ब्लॉकों में हरे एवम् लाल क्षेत्रों को पहले ही यह कहकर रेखांकित कर दिया है कि यह घने एवम् मझौले वन वाले क्षेत्र में वन भूमि को अन्य प्रयोजनों हेतु प्रयोग करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगी। पर्यावरण मंत्रालय ने भी 35 प्रतिशत क्षेत्र 'नो गो एरिया' नियत किया है तथा शेष 65 प्रतिशत वन की मंजूरी जमीन पर आकलन के अध्यधीन दी जा सकती है। सामान्य तौर पर, पर्यावरण मंजूरी के लिए 250 दिन लगते हैं तथा वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए 150 दिन लगते हैं।

आजकल, अवैध खनन के संबंध में, देश भर में कोलाहल मचा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक हे कि अवैध खनन के विरुद्ध और अधिक दृढ़तापूर्वक आवाज़ उठाई जानी चाहिए। बोली प्रक्रिया में, संबंधित मंत्री जी को मेरा प्रथम सुझाव यह है कि उन्हें बोली प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय को इसमें शामिल करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे देश में कोयला सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ता ईंधन है तथा इसमें निकट भविष्य में अधिकाधिक वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही, एशियाई देशों में, हम देखते हैं कि कोयले की मांग विशेष रूप से भारत और चीन में अत्यधिक बढ़ रही है। अत:, हमें सभी प्रक्रियाएं अपनाकर अपने दुर्लभ संसाधनों को बचाने की आवश्यकता है।

कोयला खनन एक पूंजी प्रधान क्षेत्र है जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। अत:, हमें इस क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता है। परन्तु मैं मानता हूं कि मात्र बोली प्रक्रिया समस्या का समाधान नहीं कर सकती क्योंकि विधायी दस्तावेज का आशय बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। कुछ दिन पहले हमें आईपीएल बोली प्रक्रिया संबंधी घोटाले के बारे में पता चला। इसलिए, हमें कोई भी कार्रवाई करने से पहले और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर भी बोली प्रक्रिया पारदर्शी ही होनी चाहिए।

मुझे कुछ सुझाव देने हैं। स्थायी समिति ने विधेयक का विश्लेषण पहले ही कर लिया है तथा संबंधित मंत्रालय को बहुत से अच्छे सुझाव दिए हैं। इसमें से, मैं इस परियोजना से प्रभावित लोगों के पुन: स्थापना और पुनर्वास की प्रक्रिया का उल्लेख करूंगा तथा इसका स्पष्ट उल्लेख, जिसमें वित्तीय पैकेज, रोजगार अवसर तथा उसकी क्रियान्वयन अनुसूची भी शामिल है, नीलामी दस्तावेज में किया जाना चाहिए।

दूसरे, समुदाय के विकास और कल्याण को विनियमित करने के लिए विशेष स्थानीय कोयला क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाना चाहिए। महोदय, मैं पश्चिम बंगाल राज्य से आता हूं जहां दशकों से बहुत-सी खानों की खुदाई हो रही है। यह ज्ञात है कि भूमिगत कोयले का जलना इस आग को बुझाने के सभी प्रयासों के बावजूद जारी रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या इस आग को आधुनिक तंत्र एवम् आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाकर रोका जा सकता था। पश्चिम बंगाल में, कोयला खनन क्षेत्र में, लूट आज का चलन बना हुआ है। यदि आप कोयला खान क्षेत्र में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रशासन एवम् पुलिस की आंखों के सामने वर्षों से लूट बेरोकटोक चल रही है। इसे रोकना चाहिए। केन्द्रीय सरकार की ओर अपनी अंगुलि उठाने से पहले राज्यों को अपनी ओर से आवश्यक

[श्री अधीर चौधरी]

तथा तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे देश के दुर्लभ संसाधनों की लूट रोकी जा सके। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक लाया गया है, वह कोयले से संबंधित है। मैं मानता हूं कि इस देश के मिनरल्स, खासकर कोल के बारे में भारत सरकार की तरफ से खंड-खंड में विधेयक नहीं आना चाहिए। यह समस्या आज गंभीर बनी हुई है। आप इस विधेयक में जिस रास्ते से चले हैं, मैं मानता हूं कि इस देश के लोगों के हाथ नए क्षेत्र नहीं पड़ेंगे। मेरे साथियों ने पर्यावरण से लेकर अन्य चीजों के बारे में कहा है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सारे नियम, कानून होते हुए हमने उन्हें तोड़ने का काम भी यहीं किया है। मैं विशेष तौर पर इसलिए खड़ा हुआ हूं कि इस देश की दौलत, खासकर मिनरल्स, कोयला अभी तक उन्हीं इलाकों में है जहां आदिवासी रहते हैं। यह हालत अपने देश में नहीं है बल्कि दुनिया भर में है। इस देश की जीडीपी का 2.3 प्रतिशत मिनरल्स की कमाई के जरिए ऐड हो रहा है। लेकिन परिस्थिति बहुत विकट है। मैं इस मामले को एक बात के साथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि इस देश में जो नक्सलिज़्म है, वह पहले कभी इतने व्यापक रूप में नहीं था। वह मिनरल्स की लूट से पैदा हुआ है और वह ट्राइबल इलाके में ज्यादा है, उन इलाकों में ज्यादा है जहां जंगल हैं। इससे इस देश के वातावरण का संतुलन बना रहता है जिस तरह का विधेयक लाया गया है, मैं मानता हूं कि उसमें इस देश के लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जो ऑक्शन करेंगे, वह कुवत बाहर के लोगों की है। आप सबसे बड़ी बात एक और कह रहे हैं कि राज्य सरकार को पूरी तरह बाहर कर रहे हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहां फैडरल सिस्टम है। वहां लोग बसे हुए हैं, खेती है, जंगल बने हुए हैं, अगर वहां कानून-व्यवस्था का मामला उठेगा तो उसकी जिम्मेदारी अकेले राज्य सरकार को उठानी पड़ेगी। इसलिए इस विधेयक में सबसे बड़ी कमी है कि राज्य सरकार को आपने पीछे करके इसे लाने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश कश्मीर से लेकर बहुत सी समस्याएं हमारे गले पर हैं, देश को बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इस देश में जो नक्सलिज्म है, नक्सलवाड़ियों का आंदोलन है, 20 हजार हैक्टेयर, 10 हजार हैक्टेयर, जो ट्राइबल लोग हैं, वे बेजुबान हैं। जितने भी नक्सल मूवमैंट चल रहे हैं, उनमें ज्यादातर ट्राइबल्स की लीडरशिप नहीं है, सब नॉन ट्राइबल्स हैं। उन इलाकों में जो सत्याग्रह है, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, वह सब इररिस्पैक्टिव ऑफ गवर्नमैंट है। कौन गवर्नमैंट है, किस पार्टी की है, वह आप छोड़ दीजिए। उन इलाकों में प्रतिरोध पर हमारा जो रास्ता रहा है, उसे बंद कर दिया गया है। वहां सिर्फ पुलिस का रास्ता खुला हुआ है कारपोरेट्स, मल्टी नैशनल्स आते हैं और अपने तरीके से डील करते हैं, अपने तरीके से वहां चीजों को बनाते और बिगाड़ते हैं। आज नतीजा यह है कि देश के बड़े हिस्से के लोगों ने हथियार उठा लिये हैं। हथियार उठाने वाले आदिवासी हैं। उनके जंगल हैं, उनकी रोजी-रोटी है और जहां आपने बड़ी इंडस्ट्री लगायी है, चाहे भिलाई हो, राउरकेला हो, वहां जो विस्थापित लोग हैं, उनका क्या हाल है? सबने देख लिया क्योंकि सबकी नाते-रिश्तेदारी है। सबने देख लिया है कि विस्थापन के बाद क्या दुर्गति होती है?

उपाध्यक्ष जी, आपका सूबा तो इस बात से सबसे ज्यादा पीड़ित है। वहां भी बड़े कारखानों के चलते लोग हटे हैं, उनका विस्थापन हुआ है। वहां हालत ऐसी है कि चाहे आरयन ओर हो या दूसरे तरह के मिनरल्स हों, हम उन्हें देने का काम कर रहे हैं, उनकी खुदाई करने का काम कर रहे हैं, हालांकि यह विधेयक उनसे वास्ता नहीं रखता है। लेकिन मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि वहां 10 हजार हैक्टेयर, 20 हजार हैक्टेयर और बड़ी-बड़ी मल्टी नैशनल कम्पीज़ आदि सब तरह के लोग वहां चले आये हैं और वहां बैचेनी है। जब एक हजार हैक्टेयर के इलाके में खनन होता है, तो कम से कम एक हजार हैक्टेयर में असर करता है, क्योंकि नाते-रिश्तेदारी, भाई-बहन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे देखते हैं कि न सरकार सुन रही है, न पुलिस सुन रही है, न प्रशासन सुन रहा है यानी उनको लगता है कि हमारा भविष्य ठीक नहीं है। उनकी अनिश्चितता इतनी बढ़ जाती है। कि वे लोग हथियार उठा लेते हैं। पूरे देश में जो नक्सलिज्म हैं, चिदम्बरम जी, होम मिनिस्टर साहब यहां सदन में नहीं हैं, यदि वे उपस्थित होते, तो मैं कहता। मैं कहना चाहता हूं कि जो नक्सलिज्म है, उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे ज्यादा आग जो लगी हुई है, जो सबसे ज्यादा फैल रहा है, उसका कारण है कि यह मिनरल्स की लूट का मामला बना हुआ है। कर्नाटक में क्या हो रहा है? आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है? दुनिया के जितने देश हैं – चीन, अमेरिका, जापान आदि एक रत्ती भी अपने वहां की सम्पत्ति को हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं। चीन में सबसे ज्यादा यहां का आयरन ओर जा रहा है। मैं जबलपुर का रहने वाला हूं। वहां एक श्योहरा है। श्योहरा के पास पांच-सात पहाड़ियां है। मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि

वह सदन में नहीं है। उसके पास अरबों रुपया हो गया है। वह पैसे से चारों तरफ पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहा है। उसने पूरे पहाड़ खोद दिये हैं। केवल मिनरल्स की बात नहीं है, आप राजस्थान की तरफ चले जाइये या किसी और इलाके में चले जाइये। जो जंगल और पहाड़ सदियों से हिन्दुस्तान के पर्यावरण के लिए संतुलन का काम करते हैं, पहाड़ के पहाड़ जैसे लकड़ी को चीरा जाता है, उसी तरह उनको चीरकर खड़े कर दिये गये हैं।

क्या है यह दिल्ली से लेकर जयपुर तक, सारे पहाड़ खोद डाले हैं। इसी का नतीजा है कि जहां पानी रहता था, वहां आज सूखा है और जहां पानी का नाम नहीं था, रेगिस्तान था, वहां आज बाढ़ आ रही है। मुझे लगता है कि यह धरती, यह दुनिया 50 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगी। उसके बाद भी हम होश संभालने को तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं हम इसका राष्ट्रीयकरण कर देते? कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ है, इसमें आपने रास्ता खोल लिया है। निजीकरण का ऐसा रास्ता खोला है जिससे देश का पर्यावरण बिगड़ेगा, देश के बाहर के लोग आकर इसको खोदने का काम करेंगे, उसको उठाने का काम करेंगे। व्यापक तरीके से क्यों नही यहां सारे मिनरल्स का एक विधेयक आप लाते हैं? सभी मिनरल्स के लिए एक विधेयक लाइए, तीन दिन यहां उस पर बहस कीजिए। आज आप जीडीपी का पूरी दुनिया में बड़ा भारी तमगा लगाकर घूम रहे हैं, क्या वह जीडीपी इतनी महत्वपूर्ण है कि इस देश की दौलत को चारों तरफ से खोदकर दुनिया भर में बेच दिया जाए? क्या यह इसीलिए है? हम जो बोल रहे हैं, उसका असर नहीं हो रहा है। पहले असर होता था, पहले जो बात बोलते थे, उसका कोई न कोई असर होता था। आज हमारी संवेदनाएं मर गई हैं, हम जरा सा सोचने को तैयार नही हैं। दुनिया तबाही की कगार पर खड़ी हैं। पहाड़, ग्लेशियर, मौसम सभी बदल रहे हैं। मैंने बचपन में जो मौसम देखा, मेरा गांव में बीस-बीस दिनों तक लगातार बरसात होती थी। आज हमने नगर भी ऐसे बनाए हैं कि दिल्ली में लोग हाय-हाय कर रहे हैं। आज यह मीडिया और टीवी आ गया है, 24 घंटे इनको एक ही काम है कि दिल्ली की रोड बंद हो गयी है। अरे, रोड बंद क्यों नहीं होगी? नाश कर दिया है तुमने। यहां दुनिया भर के जितने भी लोगों के पास पैसा आ रहा है, मकान बना रहे हैं। पूरे देश की सबसे उपजाऊ जमीन दिल्ली से लेकर जयपुर तक, दिल्ली से लेकर मथुरा, आगरा और अलीगढ़ तक, दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक सड़क के दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर की जमीन यहां दिल्ली के, जयपुर के दो नम्बर से पैसा कमाने वाले लोगों ने खरीद ली है, फार्म हाउस बना रहे हैं। फार्म हाउस का क्या मतलब है? इन बेइमानों को जमीन देने की क्या जरूरत है, वहां कालोनी बना देते। यह जमीन यदि आपकी चली गयी, ये मिनरल्स चले गए, तो आने वाला भविष्य, यह देश, हमारे आने वाले लोग हहमको कोसेंगे, पूरा इतिहास हमको कोसेगा। पूरे दोआब की जमीन, अभी अलीगढ़ और मथुरा में क्या हो रहा है। क्या जरूरत है यह हाइवे बनाने की? दिल्ली से लेकर मथुरा और आगरा तक, आप ताजमहल किसको दिखा रहे हैं। ताजमहल को लोग पहले भी देख रहे थे, अभी भी देखेंगे, इतनी कीमती जमीन पर सड़क बनाने का क्या मतलब है? हम बगैर हाइवे के भी दुनिया के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, तो गांधी ने इस देश को ऑस्टेरिटी से चलाया था। उनका पूरा आंदोलन ऑस्टेरिटी का आंदोलन था। आज क्या हो रहा है? आप कॉमनवेल्थ गेम्स कराते हैं, तो क्या-क्या कर रहे हैं उसमें? किस चीज को दिखाना चाहते हैं दुनिया को? जो हमारी सच्चाई है उसे क्यों नहीं देखने देते हैं दुनिया को? क्या फर्क पड़ रहा है? 70-80 फीसदी आदमी हमारे गरीब हैं, यह हमारी चुनौती है। इस चुनौती से हम निकलेंगे। ये जो मिनरल्स हैं, कोयला है, आज उसकी लूट मची है। जितने माफिया हैं हमारी तरफ, आपके यहां बनारस से लेकर वहां तक, इस कोयले के चलते ही सारी लूट चली है। जितने गुंडे हैं, माफिया हैं, वे इस कोयले के पैसे से चल रहे हैं। मैं जब आया था, तो सोचता था कि आप इनकी नसबंदी करेंगे, इनको बधिया करेंगे, लेकिन मुझे एक भी जगह यह देखने को नहीं मिला कि इन बदमाशों को जेल में डालने का कोई काम किया गया हो। अब आप एक नया विधेयक ले आए हैं। यह विधेयक पास होने के बाद यह कोयला आस्ट्रेलिया की कंपनी ले जाएगी, कोई बाहर की कंपनी ले जाएगी, यहां के लोगों के हाथ नहीं पड़ेगा। उन लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं है, ये ऐसी मुल्क हैं, जिन्होंने दुनिया की तबाही की, दुनिया की लूट की, इस दुनिया को लूटकर उनकी संपन्नता है, उनकी अपनी संपन्नता नहीं है। दुनिया भर के गरीब लोगों को गुलाम बनाकर, उनको लूटकर उनकी संपन्नता आई है। आप उनकी संपन्नता से क्यों इतने प्रभावित हैं? क्यों आप बिल्कुल पसरकर उनके सामने खड़े हैं? क्यों उनसे इतना प्रभावित हैं? हमारे यहां की जो संस्कृति है, जो तहजीब है, हमारी अंगुलियों से ताजमहल निकला है, हमारी अंगुलियों से कोणार्क और खजुराहो निकला है। जिन अंगुलियों ने कड़े पत्थरों पर इतनी खूबसूरत मूर्तियां उकेरी हैं, वह हमारी सभ्यता है। गांधी जी ने खुद ऑस्टैरिटी में 40 साल तक पत्थर चलाने का काम किया है। वह खुद साल भर दो या तीन की धोतियां पहनते थे। लेकिन इस सदन में हमने अपनी तनख्वाह के लिए कैसा काम किया। आप उसके लिए कोई कानून नहीं बना सके। आप ऐसा काम नहीं कर सके कि सांसदों के वेतन के लिए अलग से संस्था बनाई

[श्री शरद यादव]

जाए या कोई कमीशन बने। इसलिए मजबूर होकर हमारे सांसदों को यहां बोलना पड़ा है। मैं तीन दिन यहां नहीं था। मुझे बहुत कलीफ हुई यह जानकर कि इस सदन में सांसदों को इस मामले को लेकर सदन के वैल में मजबूर होकर आना पड़ा। मैं 36 साल से यहां हूं, लेकिन कभी ऐसा मैंने नहीं देखा। हम लोग कहां पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये जो कॉमनवैल्थ गेम्स हो रहे हैं, आप कीचड़ में कमल उगाकर दिखना चाहते हैं। आप क्यों इस तरह की चीजों को दिखाने के शिकार हो रहे हैं? गांधी जी जब सेकंड गोलमेज कांफ्रेंस में शरीक होने गए थे, तो अपने साथ अपना खाना-पीना लेकर गए थे, अपना लिबास पहनकर गए थे। वहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे और साथ में गंगाजल लेकर गए थे। गांधी जी ऐसे आदमी थे कि जब चाय आई तो वह सरकार दी और गंगाजल ले जाने वालों ने चाय पी ली। इस एक एक्शन से उन्होंने वहां अपने देश को खड़ा कर दिया था। उन्होंने इस देश की पूरी नब्ज पहचानी थी। मैं बताता हूं कि मेरी माँ साल भर में चार ड्रैस पहनती थी। मेरा घर कोई कमजोर घर नहीं है। मेरा बड़ा भाई अफसर था, वह कपड़े लेकर आता था, लेकिन मेरी मां उन्हें नहीं पहनती थी। मेरे पिता जी चार या छः कपड़े पहनते थे। वही हमारी ताकत थी। हम जोड़ना जानते थे इसलिए जोड़ते थे। आप कहते हैं कि दुनिया के बाजार में इतनी मंदी आई, लेकिन हम टिके रहे। हम इसलिए टिके रहे कि हमारी जो परम्परागत संचय की प्रवृत्ति है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, उसके चलते हम टिके रहे।

यदि यूपीए सरकार में एनडीए के लोग नहीं होते, वामपंथी साथ नहीं होते तो आज एलआईसी और बैंकिंग सिस्टम भी प्राइवेट वालों के लिए और बाहर वालों के लिए पूरी तरह खोल देते, जिससे यह सिस्टम भी तबाह हो जाता। आप उन्हीं बैंकों को ये बेचने वाले थे, जो आज डूब गए हैं। आप उनसे क्यों प्रभावित हैं, क्यों उनके सामने नतमस्तक हैं, क्यों आप उनकी सभ्यता अपनाना चाहते हैं? हमारे देश की सभ्यता सबसे प्राचीन और बड़ी है, लेकिन उनकी सम्भ्यता हमारी संस्कृति और सभ्यता का नाश करने वाली है। उनकी सभ्यता दुनिया के सारे इन्वायरन्मेंट को खराब करने वाली है, जबकि हमारी सभ्यता इन्वायरन्मेंट को बचाने वाली सभ्यता है।

हम अपने साधनों को, अपने गांवों, हर चीज को अपने अंदर पैदा करते थे। आप इस विधेयक को यहां लेकर आए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ कोयले के लिए ही क्यों लाए हैं, क्यों नहीं पूरी खनिज नीति पर विधेयक लाते? आप सारे मिनरल्स का राष्ट्रीयकरण करें। भले ही जीडीपी बढ़े या न बढ़े, सीधी बात है कि इस देश की दौलत का मितव्ययिता से, ऑस्टैरिटी से इस्तेमाल करेंगे। आने वाले पीढ़ी को भी हम ऐसा देश कर जाएं, जो हमारे ऊपर गर्व करे। इसीलिए मैं गांधी जी पर गर्व करता हूं। उनके साथ जो लोग आजादी के लिए लड़े, उन पर गर्व करता हूं। यहीं संसद में सेंट्रल हाल है, जहां हमारे देश का संविधान बना था। उस समय एक दिन का भत्ता 45 रुपए मिलता था, जो आज 2,000 रुपए मिलता है। हम लोग कोई नौकर नहीं हैं, सरकारी नौकर नहीं हैं। हम देश की जनता के सेवक हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे घर के लोगों ने मुझे जब मैं पढ़ता था, तो पैसे नहीं दिए, क्योंकि मैं राजनीति में था और वे चाहते थे कि मुझे राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मेरी आवश्यकताओं को लोग पूरा करते थे। मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो मुझे 25,000 की बचत हुई। लोग मेरी सेवा करते थे। आज भी जो हमारा खर्च चलता है, वह तनख्वाह से नहीं चलता है, लोगों की मोहब्बत से, प्रेम से चलता है। लेकिन आप यह जो सारा काम कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। आप कोयले को भी लुटाने के लिए विधेयक में लाए हैं।

बिहार को आपने बांट दिया। यहां पर आडवाणी जी बैठे हैं। बांटते समय इन लोगों ने कहा कि हम बिहार की पूरी मदद करेंगे। मंत्री जी कोल लिंकेज के बारे में बिहार में बात करते हैं। कोल लिंकेज और कोल ब्लॉक में जमीन-आसमान का फर्क है। कोल ब्लॉक के लिए पर्यावरण का क्लियरेंस चाहिए। उसमें जो विस्थापित होते हैं, उनके रिहैब्लिटेशन के लिए व्यवस्था करनी होती है। कोल लिंकेज का मतलब होता है कि सीधा कारखाना बन जाएगा। बिहार में उसकी कमर टूट गई। कई सूबे बंटे, लेकिन उनका ऐसा हाल नहीं हुआ, जैसा बिहार का हुआ, क्योंकि इससे उसकी कमर टूट गई।

सब सूबे बंटे, लेकिन उनका ऐसा हाल नहीं हुआ, बिहार की कमर टूट गयी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें आप लिंकेज दीजिए। बिहार भी देश का हिस्सा है, इसलिए बैठकर-मिलकर लिंकेज दीजिए। वहां एक और दूसरी जगह 100 मैगावाट बिजली बन रही है, तो सारा का सारा कोयला आपके सूबे में चला गया। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि देश का भविष्य बचाने के लिए, इन मिनरल्स को बचाने के लिए, देश का एनवायरनमेंट बचाने के लिए, इन मिनरल्स का आप राष्ट्रीयकरण कीजिए। आप सब चीजों में

राष्ट्रीयकरण कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन जहां आदिवासी सदियों से अपनी विरासत पर, इन मिनरल्स पर बैठें हैं, पहले कभी भी वहां छेड़खानी नहीं की गयी, लेकिन आज छेड़खानी ऐसी बढ़ रही है कि नक्सलवाद आपके बस की बात नहीं रह गया है। अगर नक्सलवाद मिटाना है तो आपको मिनरल्स पॉलिसी लानी पड़ेगी और मिनरल्स का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा।...*(व्यवधान)* मैं केवल इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, बाकी क्षेत्र में आप जो कर रहे हैं, करिये. ..*(व्यवधान)* इस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर को लाइये, पास्को को लाइये। अगर इस क्षेत्र में लाएंगे तो देश बचने वाला नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त बात के लिए यह विधेयक आया है। यह विधेयक इसलिए आया है कि सरकारी कंपनी है, निगम है, लौहा बनाने का काम होता है, स्टील बनाने के काम होता है और उस सब में जो कोयला लगेगा और पहले था कि प्राइवेट लोगों के लिए बोली लगायी जाएगी और सरकार कंपनी के लिए बोली नहीं लगायी जाएगी। लेकिन बिजली पैदा करने के लिए, प्राइवेट कंपनी देसी हो या विदेशी, सब के लिए हो गया है कि बोली नहीं लगायी जाएगी और उन्हें ब्लॉक एलॉट कर दिया जाएगा। कोई कंप्टीशन नहीं होगा, कोई बोली नहीं लगायी जाएगी। महोदय, यह कितना खतरनाक विधेयक है क्योंकि सरकार दावा करेगी कि बिजली पैदा करने के लिए हम बहुत जोर लगा रहे हैं और देश में बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। कोयला जो हमारी जमा निधि है, वह समाप्त होने वाली चीज है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बचे या नहीं बचे, उसे धड़ाधड़ जला दिया जाए और बिजली ली जाए।

हम मानते हैं कि बिजली की जरूरत है, बिजली के बिना देश नहीं चलेगा और कोई विकास नहीं होगा। जिंदगी की जरूरत जितनी है सांस से, उतना ही देश के विकास के लिए बिजली की जरूरत है। सरकार को जानकारी है कि देश में पन-बिजली की क्षमता डेढ़ लाख मैगावाट है लेकिन अभी तक केवल 46,000 मैगावाट के लिए ही उपाय हुए हैं। एक लाख चार हजार मैगावाट के लिए आप पन-बिजली पैदा क्यों नहीं करे हैं, क्यों देश की सम्पत्ति कोयला, खान, खनिज लेकर जला रहे हैं। सरकार इसका जवाब दे। देश में प्रकृति ने हमें खुदा की तरफ से डेढ़ लाख मैगावाट की क्षमता हिमालय-रीज़न में दी है। उत्तराखंड प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में डेढ़ लाख मैगावाट की क्षमता है, जबकि अभी तक केवल 46,000 मैगावाट की ही व्यवस्था हुई है। इसलिए एक लाख चार हजार मैगावाट की आप व्यवस्था कीजिए। इसलिए मूल रूप से हम इस विधेयक से सहमत नहीं हैं।

अभी ये कहते हैं कि हम उन्हें ब्लॉक देंगे, कोई बोली नहीं लगायी जाएगी और प्राइवेट के लिए और देसी-विदेशी कंपनियों के लिए भी बोली नहीं लगायी जाएगी। देश का कोयला जल रहा है और विदेश से भी कोयला मंगाया जा रहा है, तब थर्मल पावर प्लांट चलता है। अवैध खनन की देश में बहुत गंभीर स्थिति है। देश की सम्पत्ति को निकाल कर देश-विदेश में माफिया भेज रहे हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं अवैध खनन का सवाल उठाता हूं कि 2496 मेजर अवैध खनन और 28 हजार छोटे अवैध खनन हिन्दुस्तान में हो रहे हैं या नहीं? आपका खान खनिज कानून कहां हैं? अवैध खनन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि खान खनिज डवलपमेंट रेग्यूलेशन के लिए विधेयक लाए हैं। क्यों जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश करे रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को कठिनाई में डालने के एिल जमा धन को बर्बाद कर रहे हैं।

बोकरो, भिलाई का भी एक प्रश्न है। बोकारो जिला में इलेक्ट्रो स्टील कोस्टिक लिमिटेड को खान का ब्लॉक मिल गया। उसका अभी 30 परसेंट ही कारखाना बना है और वहां से कोयला निकाल कर विदेश भेजा जा रहा है। सरकार को इसकी जानकारी है, इसलिए मैं इसका सवाल उठाता हूं। क्या यह बात सही है कि कोयला के ब्लॉक का आपने आवंटन कर दिया, वह हल्दिया जा रहा है और विदेश कोयला भेजा जा रहा है औ आप विदेश से कोयला थर्मल पावर प्लांट के लिए ला रहे हैं। कोल माफिया का साम्राज्य है। वहां विधि व्यवस्था चौपट है। कोल माफिया के चलते खान खनिज की भरपूर लूट हो रही है। इसे कोई स्पेसिफिक देखेगा? दुमका में पेनमकोल कम्पनी है। यहां थर्मल पावर प्लांट में कोयले भेजने का काम होता है। पेनमकोल कम्पनी संथाल जिला दुमका में है, वहां से कोयला कहां जाता है, रास्ते में ही कोयला बेच देते हैं। यह स्पेसिफिक प्रश्न है कि कितने दिनों का देश में कोयला बचा हुआ है और हम कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कोयला समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? देश से कोयला ही गायब हो जाएगा। बाहर से कोयला मंगाया जा रहा है। ये कहते हैं कि थर्मल पवर प्लांट से कोल लिंकेज होता है। श्री शरद जी ने सवाल उठाया कि बिहार का जो थर्मल पावर प्लांट है, उसका लिंकेज ही नहीं हो रहा है।

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

अब वहां बिजली का कितना संकट है। वहां नया थर्मल पॉवर प्लांट जो है, उसका कोल लिंकेज जो है, वहां राज्य सरकार कहती है कि लम्बित है, भारत सरकार कुछ और कहती है। असल में क्या है, यह हम जानना चाहते हैं। जो सरकारी अंडरटेकिंग हो, उसको हम बिना बोली लगाये हुए दे देंगे और कमेटी बनाकर रखी हुई है, दे देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के लिए वह कमेटी कहां चली गई? लिंकेज क्यों नहीं है? कहां पर खोट है, बिजली का संकट देश में सबसे ज्यादा वही है।

अंत में,...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : इसको नेशनेलाइज करना चाहिए। ऐसा भी तो कहिए।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इंदिरा गांधी जी थी तो कोयले का राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण के बाद यह स्थिति है। हम चाहते हैं कि सारे माइन्स और मिनरल्स का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।... *(व्यवधान)* इसलिए कई लोगों ने समर्थन कर दिया था, हम तो अल्पमत हैं, क्या करें? जो अभी मुजफ्फरपुर में थर्मल पॉवर प्लांट है और बरौनी में भी है, उसमें कोयले के बदले पत्थर जा रहा है। इसको कौन देखेगा? कोयला यहां से आता है और उसको क्रश करते हैं। अगर कोयले के बदले पत्थर जल जाता है तो वह सबकुछ नष्ट कर देगा। दो रोज चार रोज वह फैक्टरी चलेगी। बिजली के बिना बिहार में हाहाकार है। इसलिए कोयला कम भेजना और लिंकेज नहीं जोड़ना, कोयले के बदले पत्थन भेजना और यदि देखा जाए तो दोनों थर्मल पॉवर प्लांट में इतनी बड़ी पत्थर की ढ़ेरी लगी हुई है।...*(व्यवधान)* बिजली का वहां घोर संकट है, इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि जमा सम्पत्ति को इस तरह से जलने नहीं दिया जाए। सम्पत्ति जलाकर बिजली नहीं मिल सकती। पानी तो वहां मुफ्त में बह रहा है। पानी से पहले बिजली हासिल की जाए। उसके बाद फिर कोई उपाय नहीं हो तो कोयला जलाया जाए, न्यूक्लिअर से बिजली हो, तेल से बिजली हो।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने खान खनिज विकास अधिनियम संशोधन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इस संबंध में मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इसमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे देश में कोयले का कितना प्रचुर भंडार है और हम कितने वर्षों में उसका दोहन करेंगे, यह हमारी सबसे पहली नीति होनी चाहिए कि कितना उसका उपयोग कितने सालों में करेंगे? उसके बाद हम प्राइवेट सैक्टर की खदानों को नीलाम करने की व्यवस्था करें। अब क्योंकि यह देखा गया है कि हम जो कोयला उत्पादन कर रहे हैं, हमारा सीआईएल कर रहा है, उसके द्वारा यह देखा गया है कि जो हमारी ओपन ग्राउंड खदानें हैं, उन खदानों को प्राइवेट सैक्टर को दिया जा रहा है और जो अंडरग्राउंड खदानें हैं, उनमें हम काम कर रहे हैं। सरकारी कंपनियां कर रही हैं। सबसे पहली आवश्यकता तो इस बात की है जो ओपन ग्राउंड खदानें हैं, उन खदानों को सुरक्षित रखकर जो हमारा सीआईएल है, कोल इंडिया है, उनको हम प्रथम वरीयता दें।

दूसरी बात यह है कि आज हमने जिस तरह से इन खदानों की नीलामी करके दी है और बड़े-बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों ने लम्बे समय से अपने पास आरक्षित कर लिया है लेकिन उनमें काम नहीं कर रहे हैं। उसमें जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को जिनको हमने खदानें दी हैं, उनको निरस्त करने की जरूरत है क्योंकि तमाम बड़े पूंजीपतियों ने खदान को ले लिया है। उन खदानों में अभी भी समय पर काम नहीं किया गया है। हालांकि आपने कुछ लोगों की खदानें निरस्त की हैं, यह बात सही है लेकिन अभी कुछ लोग कोई न कोई बहाना करके खदानों पर काबिज हैं। 1884 के भूमि अधिग्रहण में किसानों के साथ अन्याय हुआ है और यह बहुत गंभीर बात है। आप प्राइवेट सैक्टर को खदानें देते हैं। उत्तर प्रदेश में दो-चार दिन पहले क्या स्थिति हुई है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपको मालूम है। आप किसानों के बिक्री रेट के बारे में कहते हैं कि तीन-चार साल का रेट बना लें और आप उस रेट का एवरेज देते हैं। आपने भूमि अधिग्रहण कर लिया और उसको पैसा देते हैं। यह नहीं सोचते कि वह जिस जमीन पर फसल उगाता था, दो-चार साल फसल रुक जाएगी और जब वह जमीन खरीदेगा तब वह उत्पादन करेगा। उसका नुकसान होता है, वह कृषि उद्योग में लगा हुआ है, उसका काम बंद हो जाता है, आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। आपने उसे विस्थापित किया, वह कृषि करता था वह प्रभावित हो गया। आपने कभी इसके बारे में सोचा है? हम हिन्दुस्तान के किसानों की बात कहते हैं कि यहां 70 प्रतिशत किसान हैं जिनका कृषि के अलावा कोई और सहारा नहीं है। इन किसानों का काम बंद हो जाता है। आपने जमीन ले ली और कह दिया कि जमीन का मुआवजा दे दिया है। उनका धंधा कृषि बंद हो जाता है, आपने कभी उसके बारे में सोचा है? यह चर्चा बहुत दिनों से चल रही है कि आप किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण नियम में मुआवजे के लिए बदलाव करेंगे। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। कंपनियों ने जमीन लेने के बाद

शर्तें लगाई है। मैं पहले कोल इंडिया की बात कहूंगा कि कोल इंडिया के अंतर्गत कंपनियों ने जिला प्रशासन और विस्थापितों के बीच में शर्तें तय की गई कि हम इतनी जमीन लेंगे और इतना मुआवजा और रोजगार देंगे। इन शर्तों के बाद भी किसानों को ठगा जा रहा है। उनकी जमीन ली जा रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और रोजगार देने की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। कोल इंडिया आदेश करती है कि यह नियम बना दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि कोल इंडिया कौन होती है? कंपनी ने किसानों और जिला प्रशासन के साथ जो शर्तें मंजूर की, उन शर्तों को लागू होना चाहिए। यही नहीं, सीएसआर वर्क किसानों के सामुदायिक विकास के लिए होता है, इनका रेट है कि इतने परसेंट उत्पादन के आधार पर देंगे, वह भी समय पर नहीं होता जबकि ये कहते हैं कि हमारा बजट लैप्स हो गया है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उस एरिया के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसे देखने की जरूरत है। आप ही टेंडर कर रहे हैं, आप ही काम स्वीकृत कर रहे हैं और काम समय पर नहीं कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि उस पैसे को जिला प्रशासन को डिपोजिट करके दें और वहां से काम हो। आज परिस्थितियां बहुत गंभीर हो गई हैं कि हिन्दुस्तान का किसान लूट का अखाड़ा बना हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने और तत्कालीन कंपनियों हमारे क्षेत्र सीधी जिले के किसानों से खदानें लेते हुए तय किया था कि आपको इंडियन माइनिंग इंस्टीट्यूट देंगे। कोयला मंत्री जी ने घोषणा की थी और वहां के तत्कालिफ चीफ मिनिस्टर ने लोगों से शर्तें की थी और आम जनता से खदानें ले ली गई। बाद में क्या हुआ कि दूसरे मंत्री आए और कहा कि नहीं। इस तरह से शर्तों में सुविधाएं देने की बात होती है। आज दस खदानें ओपन ग्राउंड चल रही हैं, आप कम से कम 4000 करोड़ वार्षिक ले रहे हैं। इस क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जब कॉलेज खोलने की बात आई, स्वीकृति देने के बाद अब मंत्री कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। यह बड़े दुख की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो मिनट का समय मांगा था, हमने दो मिनट का समय दे दिया।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र : मेरा कहना यह है कि जो कोयले की रॉयल्टी का प्रश्न है, आपने प्रति टन का हिसाब लगाया था। आज मार्केट ट्रेड में जो कोयले का रेट है, उससे क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज उसकी रॉयल्टी के बारे में भी सोचने की जरूरत है। रॉयल्टी का जो पूरा ढर्रा है, स्टेट्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें भी उस तरीके का लाभ उस क्षेत्र और उस जिले के लोगों को मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : उपाध्यक्ष जी, मुझे इस बात की खुशी है कि इस छोटे से संशोधन को लेकर हमारी सदन के माननीय सदस्यों में इतनी जागरुकता है और पूरी दिलचस्प के साथ उन्होंने इस संशोधन को अपनी सहमति प्रदान की है, अपनी स्वीकृति प्रदान की और अमूल्य मशविरे भी दिये हैं। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो अमूल्य मशविरे दिये हैं, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करेगी और लम्बे समय तक हमें आपके मशविरों का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। केवल एक माननीय सदस्य, जिन्होंने राजनीतिक भाषण ज्यादा दिया, मुझे मशविरा बहुत कम दिया। जबकि वह बड़े ही गंभीर सदस्य हैं और ऐसे क्षेत्र में आते हैं कि उस क्षेत्र के वह हमें बहुत बड़े मशविरे दे सकते हैं। लेकिन उनका भाषण राजनीतिक रहा। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक्स जिस तरीके से बांटे गये हैं, इस सरकार ने जो कोल ब्लॉक्स बांटे हैं, वे रेवड़ी की तरह बांटे हैं।

मैं पहली बात कहना चाहता हूं कि इन कोल ब्लॉक्स का आबंटन 1996 में शुरू हुआ। हमारी सरकार 2004 में आई। जो परम्परा पिछली सरकारों ने डाली थी, उसी परम्परा को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। अगर रेवड़ी की तरह कोल ब्लॉक्स बांटे गये हैं तो पिछली सरकारों ने भी बांटे हैं अैर उसे रेवड़ी समझकर हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। *...(व्यवधान)* आप बैठ जाइये। इस तरीके के आरोप लगाना बड़ा आसान है। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है। उस समय की तत्कालीन सरकारों ने ऐसा क्यों किया और हमारी सरकार ने ऐसा क्यों किया? आज अगर हम अपने देश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं, आज अगर हम अपने देश का वाणिज्यीकरण करना चाहते हैं, आज अगर हम अपने देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, आज अगर हम अपने देश की बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो औद्योगीकरण की आवश्यकता है। यदि औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो बिजली की आवश्यकता है। यदि हम बिजली लाना चाहते हैं तो कोयले की आवश्यकता है। मजबूर होकर पिछली सरकारों और हमारी सरकार ने राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के रहते हुए भी निजी क्षेत्रों को कोल ब्लॉक्स का आबंटन किया, ताकि इनके माध्यम से हमारे देश में कोयले की कमी

[श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र]

पूरी की जा सके। यह तथ्य है, यह हकीकत है। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि चाहे पिछली सरकारों ने किया हो, चाहे हमारी सरकार ने किया हो, कोल ब्लॉक्स के माध्यम से जितनी कोयले की हमें उम्मीद थी, उतना कोयले का खनन नहीं हुआ। इस बात से हम सहमत हैं और शायद यही कारण है कि हमारी सरकार ने यह तय किया कि हम कोयले के खनन में निजीकरण को रोकेंगे तो नहीं, लेकिन हम ऐसे प्लेयर को लाना चाहते हैं, जो जेनुइन प्लेयर हो। जो वास्तव में आकर खनन करके हमारे देश की कोयले की आपूर्ति की कमी को पूरा करे। जेनुइन प्लेयर्स कैसे आ सकते हैं? किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि यह जेनुइन है या नॉन-जेनुइन है।

जेनुइन प्लेयर्स लाने के लिये जो लोग बिडिंग प्रोसैस से आयेंगे, कोयले के आवंटन के पहले ही निवेश करेंगे, उन्हीं को सरकार जैनुइन प्लेयर्स मानेगी और वही जेनुइन हैं। अगर ऐसे लोग बिडिंग प्रोसैस से कोल ब्लॉक लेंगे तो कोल उन्हें अलॉट किया जायेगा। निश्चित रूप से हमारे देश में कोयले की कमी की आपूर्ति होगी। सरकार ने इस बात का अंदाजा लगाया है, इसलिये सरकार यह अमैंडमेंट लेकर आयी है। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पैसा बिडिंग प्रोसैस से आयेगा, समस्त राज्य सरकारों को जायेगा, केन्द्र सरकार की जब में एक पैसा भी नहीं आयेगा। हम बिडिंग प्रोसैस इसलिये अपनाना चाहते हैं ताकि जो आरोप लगते हैं, उन से छुटकारा हो, उस कार्य में पारदर्शिता हो। हम चाहते हैं कि बिडिंग प्रोसैस के माध्यम से हमारे देश में कोयले का उत्पादन बढ़े और अपने देश ने जो ग्रोथ कायम की है, वह ग्रोथ और आगे बढ़ा सकें, यह बिडिंग प्रोसैस के माध्यम से कोल उत्पादन को बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बहुत से माननीय सदस्यों – श्री हंसराज अहीर, श्री किशोरचन्द्र देव, श्री शैलेन्द्र कुमार, डॉ. बली राम, श्री सैदुल हक, श्री बी. महताब, श्री प्रह्लाद जोशी, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री शद यादव, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र ने अपनी-अपनी राय दी है। हम उनकी राय को अपने सिर-माथे लगाते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी चिन्ता को दूर करने के लिए समय-समय पर प्रयास करते रहेंगे। अगर माननीय सदस्य थोड़ा सा कोयले तथा लिग्नाईट तक सीमित रहते तो शायद समय कम लगता और ज्यादा विस्तार से सब के बारे में बता सकते थे लेकिन माननीय सदस्यों ने अपने आपको कोयले तक सीमित नहीं रखा बल्कि मिनरल पर ज्यादा चले गये। यह संशोधन विधेयक केवल कोयले और खनिज को लेकर है, मिनरल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिये मैं केवल कोल के बारे में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह कोल और लिग्नाईट से संबंधित मामला है। हालांकि, यह मामला मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स ही देखती है, इसलिये माइन्स और मिनरल्स के नाम से बिल आया है।

उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इल्लीगल माइनिंग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं सदन में माननीय सदस्यों की जागरूकता इल्लीगल माइनिंग के मामले में देख रहा हूं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इल्लीगल माइनिंग पर जरूर अंकुश लगेगा। जिन माननीय सदस्यों ने इल्लीगल माइनिंग के बारे में कहा है, उन राज्यों में चाहे श्री शरद यादव जी की पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या बीएसपी की सरकार हो – ये माननीय सदस्य बहुत सतर्क हैं, चिन्तित हैं। मैं यह कहूंगा कि जहां तक इल्लीगल माइनिंग का सवाल है तो लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का क्षेत्र है, पुलिस राज्य सरकार की परिधि में आती है, इससे भारत सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। राज्य सरकार ही इल्लीगल माइनिंग रोक सकती है। क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं का है कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है। इसलिये माननीय सदस्यों की जागरुकता को देखकर अंदाजा हो रहा है कि शायद आने वाले समय में इल्लीगल माइनिंग पर अंकुश लग सकेगा।

महोदय, किसी माननीय सदस्य ने झरिया-धनबाद में आग लगने के बारे में बात कही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 30-40 सालों से वहां आग लगी हुई है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि 30-40 सालों से राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने यह प्रयास किया होगा कि हम लोगों को रिहैबिलिटेट कर दें, लेकिन अभी तक वह काम नहीं हुआ है। मुझे बर्ड गर्व के साथ यह कहना पड़ता है कि पहली बार केंद्र सरकार ने रिहैबिलिटेशन करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत किया है। उस पक्ेज के माध्यम से राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि रिहैबिलिटेशन के काम को आप लोग अंजाम दें। इसके लिए पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार देना चाहती हैं क्योंकि हमारे देश की एक-एक जान कीमती है और उस पर लाखों लोग बैठे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित राज्य सरकारें, चाहे वह पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, ये दोनों राज्य सरकारें रिहैबिलिटेशन के काम को जल्दी से जल्दी से पूरा करेंगी और उस पैकेज का सदुपयोग करके हजारों जानों की रक्षा करने का काम करेंगी।

महोदय, बहुत सारी बातें कोयले से अलग हटकर भी की गयीं। नीलामी प्रक्रिया की बात की गयी, यह कहा गया कि नीलामी प्रक्रिया कैसी होगी? माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जब रूल्स बनाये जायेंगे तब नीलामी प्रक्रिया सामने आयेगी और इन सारी चीजों का ध्यान रखकर ही नीलामी प्रक्रिया बनायी जायेगी। उसमें किसी तरीके का नुकसान सरकार को न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं। हमारे माननीय रघुवंश बाबू कह रहे थे कि कोयला उठाकर सब विदेश ले जायेंगे। रघुवंश बाबू, एक किलो कोयला भी विदेश ले जाने की किसी को न अनुमति है और न कोई ले जा सकता है। वे आकर माइनिंग कर सकते हैं, अगर कम्पीट करेंगे, अगर उनकी कुटेशन एल वन होगी तो वे माइनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन एक किलो कोयला भी कोई बाहर नहीं ले जा सकता है।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : हल्दिया पोत पर...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैं समझता हूं कि रिहैबिलिटेशन की जो बात की गयी है, इस बात पर विशेष ध्यान रखा जायेगा कि रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में किसी भी तरह की असावधानी न होने पाये। असावधानियां हुई हैं, जिसकी वजह से वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। अगर उन क्षेत्रों में नक्सल प्रॉब्लम आयी है तो उसमें तमाम सरकारों की असावधानियां कहीं न कहीं जरूर शामिल हैं। बगैर असावधानियों के वहां पर नक्सल प्रॉब्लम न होती। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि रिहैबिलिटेशन के लिए किसी भी तरह की असावधानी न होने पाये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पास कराया जाए क्योंकि साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी लेना है।

उपाध्यक्ष महोदय : लाल सिंह जी, आप सिर्फ सवाल पूछिये।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें जो मिनिरल्स हैं, हमारे अपनी स्टेट में खासकर मेरी कांस्टीट्यूएंसी में नीलम की खान है, सैफायर है और वह मिनिरल इतना कास्टली है कि उसमें गाहे-बगाहे चोरी होती है, अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है? दूसरा मैं यह चाहूंगा कि बॉक्साइट और मैंगनीज, ये दोनों कटरा की पहाड़ियों के ऊपर हैं। साथ में आपका लाइम सीधा-सीधा डूब रहा है, वह सबमर्ज हो जाएगा जिससे 90 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने जा रहा है।...*(व्यवधान)* प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं। क्या माननीय सदस्य को समझ में नहीं आ रहा है?

मैं जनाब से जानना चाहता हूं कि जो तीन चार मिनिरल्स मैंने कहे हैं, इनके लिए सरकार क्या करने जा रही है? आप अपना मैसेज आगे करेंगे या आप ही जवाब देंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह संशोधन कोल और लिग्नाइट को लेकर है। माननीय सदस्य ने जिन मिनिरल्स की बात की है, वह मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स देखती है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इनकी भावनाओं और शिकायतों को हम माननीय खान मंत्री तक पहुंचा देंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने तो पूछ लिया है। अन्य सदस्य भी पूछेंगे। आप बैठ जाइए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, यदि माननीय सदस्य कुछ पूछना चाहते हैं तो हम जवाब दे देते हैं।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका वाजब मंत्री जी देने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि जवाब देने दीजिए। देश की बेशकीमती प्रापर्टी है, उसके बारे में वे जवाब दे रहे हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : आप प्रश्न पूछिये।

श्री हंसराज गं. अहीर : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि कोल इंडिया ने 138 ब्लॉक स्वयं के लिए मांगे हैं। उन्हें भी आप नीलाम करने के लिए क्या नीलामी प्रक्रिया में डालने वाले हैं, इसका जवाब मुझे चाहिए। मैं एक बात और कहूंगा कि 221 ब्लॉक में से एनडीए सरकार के कार्यकाल में सिर्फ दो ही ब्लॉक बांटे गए हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सवाल हो गया है। आपकी बाकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। आपने सवाल पूछ लिया है।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय सदस्य ने जो कही है कि कोल इंडिया ने 132 ब्लॉक मांगे हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोल इंडिया एक से लेकर 1000 ब्लॉक तक जितना कोल इंडिया मांगेगी, जो कि सरकारी कंपनियां हैं, हम सबसे पहले प्रायारिटी के आधार पर उनको कोल ब्लॉक आबंटित करेंगे, उसके बाद बिडिंग का अवसर देंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो हमारे खनिज का कोयला खान हैं, वहां जो आदिवासी बसते हैं, जिनके पुश्तैनी वंशज वहाँ रहे हैं, क्या उनको भी 25 परसेंट या 26 परसेंट जैसे जनजातीय मंत्री ने कहा कि हम उनको भी फायदा देंगे, क्या कोल इलाके में रहने वाले आदिवासियों को शेयर देंगे? उनको लाभ पहुंचाएंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय शैलेन्द्र जी ने जिस प्रश्न को उठाया है, हालांकि फिर से मुझे कहना पड़ेगा कि यह हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है, शायद कोई एमएमडीआर नया एक्ट संशोधित रूप में लाने पर सरकार विचार कर रही है और अगर वह आएगा तो निश्चित रूप से वह 20 परसेंट हो या 25 परसेंट हो, या 30 परसेंट हो।

श्री शैलेन्द्र कुमार : 26 प्रतिशत की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब सरकार बिल लाएगी, तब पता चल जाएगा।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जितनी भी हो, चाहे वे आदिवासी हों, अनुसूचित जाति या वनवासी हों, सभी के लिए लागू होगा, लेकिन जब सरकार लाएगी। मुझे पता नहीं है कि सरकार कब ला रही है? लेकिन जैसा आपने कहा, वैसा ही इन्डीकेशन हमें भी मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ज़ीरो ऑवर नहीं होगा।

...(व्यवधान)

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर) : महोदय, केवल चार-पांच लोग ही हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ज़ीरो ऑवर कैसे होगा? साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मैम्बर्स बिल है।

...(व्यवधान)

श्री तूफ़ानी सरोज : महोदय, माननीय सदस्य सुबह से ज़ीरा ऑवर के लिए बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों काम नहीं हो सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल से एक स्पष्टीकरण की मांग करूंगा जो यहां पर उपस्थित है। मैं यह जानता हूं कि वह बहुत विद्वान वकील हैं तथा उन्हें अन्य की अपेक्षा कानून की जानकारी अधिक है। अन्य माननीय मंत्री भी यहां हैं। इस संशोधन तथा अधिसूचना जारी होने के कारण चूंकि आपने इस विधेयक में उल्लेख किया है ''राज्य सरकार ऐसे सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, आदि की अनुमति दे सकती है'', इसलिए क्या आप राज्य सरकार को सर्वेक्षण करने तथा अनुमति देने के लिए जोर नहीं दे रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सीधे प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन चरण सेठी : यह राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण हैं। मुझे यह कहना चाहिए कि यह अतिक्रमण है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, माननीय सिब्बल साहब कह रहे हैं कि जब तक मैं बिल न देख लूं, इसका जवाब नहीं दे सकता हूं। आपने सिब्बल साहब से ही यह प्रश्न किया था। माननीय मंत्री जी बाद में आपके जवाब दे देंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के किसी भी क्षेत्र का कोई एनक्रोचमेंट नहीं होगा। हमने आपसे कहा कि बिडिंग प्रोसैस से जितनी आय होगी, जितना पैसा आएगा, वह राज्य सरकार के खाते में जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री के.एस. राव।

डॉ. के.एस. राव : मैं प्रसन्न हूं कि माननीय मंत्री यह विधान लाए है तथा यह भी सुनिश्चित किया कि नीलामी एवम् प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा ही कोयला आबंटन करके भारत सरकार को हजारों करोड़ों रुपए की बचत हुई। परन्तु मैं केवल एक वाक्य पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह विधेयक कहता है कि ''परन्तु यह कि प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी कोयले अथवा लिग्नाइट वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होगी ... (क) ऐसे मामलों में, खनन अथवा ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोग के लिए सरकारी कंपनी अथवा निगम के लिए आबंटन हेतु ऐसे क्षेत्र पर विचार किया जाता है।''

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

डॉ. के.एस. राव : मैं केवल प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि कोयला ब्लॉक का आबंटन सरकारी उपक्रम के लिए किया जाएगा तथा इसके बदले सरकारी उपक्रम कोयले के खनन के पश्चात् इसे उनकी पसंद के पक्ष को देगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे ऐसे मामले में अनुबंध करना चाहेंगे जहां प्रतिस्पर्धी बोली नहीं लगाई जाती है तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को दिया जाता है तथा क्या ऐसे सभी कोयला जिसका निष्कर्षण किया जाता है पुन: सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को दिया जाएगा न कि निजी क्षेत्र की बिजली कम्पनी को दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : इस बिल को लाने से पहले राज्य सरकारों के खान मंत्रियों की हमने एक बैठक बुलायी थी, जिसमें सभी राज्य सरकारों के खान मंत्री आए थे। उन्होंने इस बिल के संशोधन के लिए अपनी सहमति दी थी। इसलिए राज्य सरकारों की तरफ से ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह अन्तिम है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : आपकी अनुमति से चूंकि मुझसे यह पूछा गया था कि यह बहुत विरल स्थिति है कि मैं अब इस सदन में विपक्ष के माननीय सदस्य को नि:शुल्क परामर्श देने के लिए खड़ा हूं। मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी है। यदि आप वास्तव में धारा-11क पर ध्यान दें जो मुख्य धारा है, इसे निम्नवत पढ़ा जाए:-

> ''केन्द्रीय सरकार कोयला अथवा लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ति अथवा खनन पट्टा देने के लिए, ऐसी शर्तों पर प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से ऐसी कम्पनी, कम्पनी को चयन करेगा जो, विहित है।''

एक बार चयन प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नीलामी द्वारा होती है तथा वह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है एवम् कम्पनी का चुनाव होता है, तत्पश्चात्, राज्य सरकार एक लाइसेंस देगी, स्वाभाविक रूप से, जब एक बार इसका चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तो राज्य सरकार को पूर्वेक्षण के अनुज्ञाप्ति देनी होगी। राज्य की शक्ति में कोई अतिलंघन नहीं है।

श्री अर्जुन चरण सेठी : समुचित व्यवस्था नहीं है।

श्री कपिल सिब्बल : आपने मुझसे यह प्रश्न पूछा था कि क्या राज्य की शक्ति का अतिक्रमण हुआ है। मैंने कहा था नहीं।

[हिन्दी]

डॉ. बलीराम (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि हम सरकारी क्षेत्र में कोयले की जितनी जरूरत होगी, उतनी देंगे। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोयले से बिजली उत्पादन के लिए, हमारी जो 12 परियोजनाएं चल रही हैं, क्या मंत्री जी उन्हें कोयला उपलब्ध कराएंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : इस बिल से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन माननीय सांसद हमारे राज्य से आते हैं और हम अपने राज्य के किसी सांसद को संतुष्ट न कर सकें तो यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी भी कोल लिंकेज के लिए हामरे पास एप्लीकेशंस भेजी हैं, वे सब 12वें फाइव ईयर प्लान की हैं और यह 11वां फाइव ईयर प्लान चल रहा है। 12वें फाइव ईयर प्लान पर जब कंसीड्रेशन शुरू होगा, और अगर उत्तर प्रदेश सरकार की सारी एप्लीकेशंस पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिकोमेंड करके हमारे पास भेजेगी तो हम निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।

मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप जरा राज्य सरकार से कहिए

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

कि जो कोल ब्लॉक दिए गए हैं, उस पर भी उत्पादन शुरू करें। *...(व्यवधान)*

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, हालांकि यह बात इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी मांग की थी। इसलिए हमारी विनती है कि महाराष्ट्र में बिजली की बहुत मांग है और उसके लिए उन्होंने मांग की है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। सरकार इस पर थोड़ा ध्यान देगी तो अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: ''

कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में और सशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब इस विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़े दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा पूरा नाम विधेयक में जोड़े दिए गए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्रीमती मीना सिंह (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:-

''कि यह सभा 18 अगस्त, 2010 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

''कि यह सभा 18 अगस्त, 2010 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना और उनके कल्याण हेतु किए गए उपाय – *जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 12 लेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। हम लोगों को ट्रेन पकड़नी है। इसलिए आप कृपया अब जीरों ऑवर को ले लीजिए।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर सायंकाल छः बजे होगा। जो

निर्णय हुआ है, उसी के अनुसार सदन की कार्यवाही चलेगी।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन : उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर बैठे हैं। निर्णय तो आपकी मर्जी पर आधारित है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो निर्णय हुआ है उसी के अनुसार सदन की कार्यवाही चल रही है।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन : महोदय, मैं आपके साथ-साथ माननीय सदस्यों से भी निवेवदन करता हूं कि हम लोग केवल दो-तीन हैं। अगर दो-दो मिनट सबको बोलने का मौका दे दिया जाए, तो शीघ्र ही जीरो ऑवर समाप्त हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आप दो कह रहे थे। अब तीन कह रहे हैं। इस प्राकर जब बोलना शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे बढ़ते जाएंगे।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन : उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन की सहमति ले लें। जो विषय आप ले रहे हैं, उस पर आज चर्चा पूरी भी नहीं करा पाएंगे। यह हम भी जानते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि दो-दो मिनट का समय दे दीजिए। चार या पांच लोग हैं। उन्हें बोलने का मौका मिल जाएगा और हम अपनी ट्रेन पकड़ कर चले जाएंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आप चार कह रहे थे। अब आप चार-पांच कह रहे हैं। इस प्रकार चार और पांच मिलकर नौ हो गए।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन : उपाध्यक्ष जी, बहुत इम्पौर्टेंट मैटर होते हैं, तभी तो उन्हें जीरो ऑवर में उठाया जाता है। मैं सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं। चूंकि जाना है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अगर नहीं जाना होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि शून्य-काल सायंकाल 6.00 बजे ही प्रारंभ होगा।

अब श्री बी. महताब जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारा बहुत इम्पौर्टेंट इश्यू है। इसलिए यदि आप रात को 12.00 बजे भी लेंगे, तो भी हम बैठेंगे। लेकिन मेरा निवेदन केवल है कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)...**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महताब, क्या आप बोल रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समझ रहा था कि आप जीरो ऑवर ले रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं दूसरे वक्ता के रूप में बोलूंगा अभी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अगले वक्ता श्री अधीर चौधरी है।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, मैं माननीय सदस्य डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जो हम सबके प्रिय हैं, की प्रशंसा करूंगा क्योंकि उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने तथा उन गरीब लोगों और हमारे समाज के दुर्बल वर्गों के लिए आवश्यक कल्याणकारी उपायों से संबंधित यह संकल्प प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

जिस दिन से मैं इस सदन में आया हूं, उस दिन से लेकर आज तक मैं बी.पी.एल. की चर्चा सुनता आ रहा हूं। मुझे यह भी मालूम है कि यह चर्चा साल दर साल चलती रहेगी। मुझे यह नहीं मालूम कि कब इसका हल निकालने में हम लोग कामयाब होंगे? मुझे एक चीज़ अजीब लगती है कि जब हम लोग चन्द्रयान अभियान करते

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अधीर चौधरी]

हैं, इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी के मामले में सारे जहां से हम लोग अपनी लीडरशिप हासिल कर सकते हैं तो अब तक इस बी.पी.एल. आईडेंटीफिकेशन को हम लोग क्यों नहीं जमीनी हकीकत में तब्दील कर सके। यह मुझे बड़ी पीड़ा देता है। हिन्दुस्तान में विषमताओं की भूमि है। एक तरफ धनवान और दूसरी तरफ गरीबी से लड़ते हुए आम जनता को हम देख रहे हैं। कुछ दिन पहले यू.एन. की रिपोर्ट निकली, उसमें यह कहा गया कि हमारे देश में 65 मिलियन लोग हैं, जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं।

अपराह्न 3.37 बजे

[**श्री अर्जुन चरण सेठी** *पीठासीन हुए*]

लेकिन उस हिसाब से हमारे देश में टायलेट नहीं हैं, यह मुझे बड़ा अजीब आंकड़ा लगता है। जब वर्ल्ड बैंक आपने आंकड़े देता है, तब यह कहता है कि हिन्दुस्तान में 420 मिलियन बी.पी.एल. हैं, जब सक्सैना कमेटी आंकड़े पेश करती है तो बताया जाता है कि बी.पी.एल. 500 मिलियन हैं। इकोनोमिक सर्वे कहता है कि 600 मिलियन हैं और अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी कहती है कि 770 मिलियन हैं तो मुझे यह पूछना है कि इसमें सही क्या है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? हम लोग आज तक ऐसा कोई पैरामीटर, ऐसा कोई क्राइटीरिया निकालने में कामयाब नहीं हुए, जिससे कि हम सही दिशा में जाकर हमारे देश में जो असली बी.पी.एल. पोपुलेशन है, उनका आंकड़ा तैयार कर सकें, क्योंकि हिन्दुस्तान जैसे देश में यह एक क्रिटिकल कम्पोनेंट है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने एक कठिन कार्य है विशेषकर गरीब लोगों तक कल्याणकारी उपाय पहुंचाने में। जैसे अभी यूनियन गवनमेंट की तरफ से होता है, सूबे की सरकार की तरफ से भी होता है, लेकिन जहां भी हो, बी.पी.एल. लिस्ट होनी जरूरी है और यह बी.पी.एल. लिस्ट आज तक हम तैयार नहीं कर पाये हैं। हम लोगों को यह तो देखने को मिलता है कि कभी सुप्रीम कोर्ट इसमें इस्तक्षेप करता है। कभी-कभी लगता है कि हम लैजिस्लेटर क्यों बने, जब हर मुद्दे पर कोर्ट फैसला सुनाती है। बाद में यह पता चलता है कि यह हमारा खमियाजा है, जिसके लिए हम पर सुप्रीम कोर्ट से डायरैक्शन आता है।

यह हम सबको सोचना चाहिए कि आज तक हम लोग बीपीएल आइडेंटिटीफिकेशन क्यों नहीं कर सके? इस बारे में सब को विचार करना चाहिए। एक के बाद एक कई सरकारें आयीं और हर सरकार के सामने यह सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मुद्दा होकर रह गया। रघुवंश बाबू जो इस संकल्प को लेकर आए हैं, उन्होंने कभी मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पद संभाला, लेकिन फिर भी वे इसमें कामयाब नहीं हो सके, इसलिए उन्हें रियोल्यूशन लाकर सरकार से यह मांग करनी पड़ी है कि आइडेंटीफिकेशन ऑफ बीपीएल की लिस्ट जल्द से जल्द तय की जाए। महोदय, मैं हिन्दुस्तान की गंभीर हालत को पेश करना चाहता हूं। कल ही अखबार स्टेट्समैन में छपा।

[अनुवाद]

दिनांक 5 अप्रैल के एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के दिल्ली संस्करण के प्रथम-पृष्ठ में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जन्नी गांव के कमज़ोर, कुपोषित बच्चे नाम कीचड़ जिसमें सिलिका मिला होता है। जो कांच शीट और साबुन के लिए कच्चा माल है, खा रहे हैं क्योंकि उन्हें औपचारिक रूप से गरीब के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और इसलिए सरकारी सहायता के लिए वे पात्र नहीं है।

हमारे देश के गरीब लोग, जो सभी प्रकार के मानदंडों की दृष्टि से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए निर्धारित कल्याणकारी उपायों का लाभ उठाने के लिए पात्र की ऐसी दुर्दशा हैं। लेकिन यह दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि वैसे लोगों को हम न्यूनतम राहत प्रदान कर पाने में भी विफल रहे हैं जिससे वे कम से कम जीवन-यापन तो कर पाए। यह है हमारे देश भारत का सबसे महत्वपूर्ण और खेदजनक विषय है।

हमें पता चला है कि सरकार हमारे देश के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक विधान लाने वाली है। मैं पहले ही इस सरकार को पुरजोर और हार्दिक बधाई देता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधान को शीघ्रातिशीघ्र सदन में पेश करें। *[हिन्दी]* इकॉनामिक सर्वे यह कहता है कि हमारे देश में एक तरफ प्लानिंग कमीशन है और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और नेशनल सैंपल सर्वे बीच में आ गया। एक के साथ दूसरे का कोई तालमेल नहीं है। प्लानिंग कमीशन अपना रास्ता अपनाता है, वह नेशनल सैंपल सर्वे के ऊपर भरोसा करता है, दूसरी तरफ रुरल मिनिस्ट्री का काम इनको आइडेंटीफाई करना है। रुरल मिनिस्ट्री हर सुबह यह डायरेक्शन देता है कि तुम भी आइडेंटीफाई करने में लग जाओ। जब कोई कट ऑफ लाइन तय कर देगा, और प्लानिंग कमीशन कह दे कि यह कट ऑफ लाइन है और इसके ऊपर नहीं जा सकोगे, लेकिन जमीनी हकीकत दूसरी छवि प्रस्तुत करती है। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक तरफ प्लानिंग कमीशन,

बीच में एनएसएसओ और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेवलपमेंट, तीनों को एक जगह बैठाकर इनसे पूछा जाए कि आपस में एस्टीमेट को लेकर आप विवाद बंद करो और सही ढंग से जो असली बीपीएल लिस्ट होनी चाहिए, उस लिस्ट को जल्द से जल्दी निकालो।

सरकार ने इस बीच आइडेंटिटी कार्ड के बारे में इनजीशिएटिव लिया। आप जानते हैं कि यूनिक आइडेंटिटी कार्ड आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए सरकार बहुत राशि नियोग करती है जिससे बीपीएल परिवारों को सुविधा मुहैया कराने की जो मंशा है, वह उन्हें उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

एनएसएसओ के इकसठवें चक्र पर आधारित घरेलू उपभोग व्यय के आधार पर किए गए नमूना सर्वेक्षण के आधार पर वित्त आयोग का आकलन यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात 28.3 प्रतिशत है, शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत और समस्त देश में आकड़ा 27.5 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में तद्नुरूप गरीबी अनुपात 21.8 प्रतिशत है, शहरी क्षेत्रों में 21.7 प्रतिशत है और समग्र देश में यह 21.8 प्रतिशत है। *[हिन्दी]* कभी तीस दिन कभी पूरा साल (प्रत्याह्वान अवधि) अपना एस्टीमेशन करने में इस्तेमाल करते हैं। इस बीच प्लानिंग कमीशन ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी सैट-अप की है। *[अनुवाद]* यह मुद्दे की जांच करके एक नई गरीबी रेखा और आकलन का सुझाव देने के लिए था। जबकि योजना आयोग द्वारा गरीबी का आकलन पहले ही किया जा चुका था – जिसके बारे में मैंने पहले ही उल्लेख किया है – ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए एक जनगणना करायी गई थी। *[हिन्दी]* मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डैवलपमेंट ने 1992, 1997 और 2002 में एक कमेटी बनाई और कोशिश की कि बीपीएल लिस्ट बन जाए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का नाम बीपीएल लिस्ट में होगा तो वह पीडीएल, आरएसबीपी, इंदिरा आवास योजना का लाभ उठा सकता है, ओल्ड एज पैंशन का लाभ उठा सकता है, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व रोजगार योजना का लाभ उठा सकता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता में बीपीएल कॉर्ड को लेकर काफी तनाव पैदा हुआ है। यह देखा जाता है कि जिनके पास धन है और पावर है, वे अपना नाम जबरदस्ती बीपीएल में इनक्लूड करवा लेते हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्ग की जनता है, जिनके पास पावर नहीं है, दबदबा नहीं है, वे इससे एक्सक्लूट हो जाते हैं। आज पूरे हिन्दुस्तान में विशेषकर शेड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

[अनुवाद]

वर्ष 1979 में भारत सरकार, योजना आयोग ने न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोगिता मांग के प्रक्षेपण के लिए एक कार्य-दल का गठन किया था जिसने पौष्टिक की आवश्यकता के क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी और 2100 किलो कैलोरी राष्ट्रीय प्रतिमानक की सिफारिश की थी। इन आंकड़ों को जनगणना 1971 के अखिल भारतीय जनसांख्यिकीय डाटा का उपयोग करके आयु, लिंग, आजीविका-विशिष्ट और पौष्टिक प्रतिमानों के विवरण के साथ निकाला गया था।

आधार वर्ष (1973-74) के लिए राष्ट्रीय स्तर, सरकारी गरीबी रेखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोगिता व्यय 49 रुपए मात्र तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 57 रुपए प्रस्तुत किया गया जो वस्तु और सेवाओं की ऐसी टोकरी से संबद्ध है जो ग्रामीण क्षेत्रों की 2400 किलो कैलोरी की प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकता तथा शहरी क्षेत्रों की 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता जिसे स्वस्थ जीविका के लिए न्यूनतम आवश्यक मात्रा माना गया है, को संतुष्ट करता है। तद्नुवर्ती वर्षों के लिए मूल्य वृद्धि हेतु विभेदक रेखा को अद्यतन बनाया गया है। तथापि, नई गरीबी रेखा, न्यूनतम कैलौरी प्रतिमान के अनुरूप नहीं है क्योंकि एनएसएसओ डाटा के अनुसार न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता पूरा करने के लिए गरीबों को, मासिक विभेदक रेखा जिसपर मुद्रास्फीति के लिए मात्र 49 रुपए तथा 57 रुपए का समायोजन करके निकाले गए उपभोगिता व्यय से कहीं अधिक की जरूरत है।

उदाहरणार्थ, वर्ष 1999-2000 के लिए न्यूनतम कैलौरी आवश्यकता प्रतिमानकों से संबंधित आर्थिक विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 565 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 628 रुपए है। जबकि, योजना आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अद्यतन प्रणाली के अनुसार गरीबी रेखा प्रतिमान क्रमश: 328 रुपए और 454 रुपए था। यह कपोल कल्पना है। यह वास्तव में एक पहेली है जो हम सबको परेशान कर रही है। यहां कोई भी व्यक्ति योजना आयोग द्वारा अथवा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सूची से संतुष्ट नहीं है।

वर्ष 2004-05 के मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 356 रुपए था तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 539 रुपए था। जैसाकि स्पष्ट है। आय का स्तर, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को लगभग केवल 1820 किलो कैलोरी का ही उपभोग करने की अनुमति देना है जबकि ग्रामीण

[श्री अधीर चौधरी]

क्षेत्र के लिए 2400 किलो कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 किलो कैलोरी के वांछित प्रतिमान का उपभोग के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की श्रेणी का निर्धारण करने हेतु विभेदक रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 700 रुपए, शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए होना चाहिए था। इस प्रकार 360 रुपए से 700 रुपए की उपभोगिता रेंज में आने वाले काफी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का दर्जा प्राप्त करने से वंचित रह गए। इससे भी अधिक दु:खद बात यह है कि वर्ष 1987-88 के उपरांत गरीबों की कैलोरी उपभोगिता में लगातार कमी आती रही है।

[हिन्दी]

इसका मतलब यह है कि आम जनता की कैलोरी कन्जम्पशन दिन-पर-दिन कम होती जा रही है। मेरा कहना है कि कभी यह कहा जाता है कि इनकम क्राइटेरिया होगा, कभी कन्जम्पशन क्राइटेरिया होगा, कभी कहते हैं कि मिक्स फार्मूला 13 पाइंट स्कोरिंग फार्मूला क्राइटेरिया होगा। सबसे पहले सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द एक फूलप्रूफ बीपीएल लिस्ट तय हो जाये। अगर फूलप्रूफ बीपीएल लिस्ट तय हो जाये, तो सरकार जो वेल्फेयर मेजर्स ले रही है, उन वेल्फेयर मेजर्स को डिलीवर करने में ज्यादा सुविधा होगी। इस रेजोल्यूशन के पक्ष में हम सब हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। इसके साथ-साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द प्लानिंग कमीशन, एनएसएसओ, रुरल डेवलपमेंट आदि सब मिलकर अगर जरूरत पड़े, तो किसी एक्सपर्ट को लाकर एक कन्सेन्सस लिस्ट बनाकर हमें मुक्त करे।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान और उनके लिए कल्याणकारी उपायों के बारे में इस सभा के माननीय सदस्य डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा जो संकल्प पेश किया गया है, वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर इस सभा में चर्चा की जा रही है। इसे इस सभा के एक प्रतिष्ठित सदस्य द्वारा पेश किया गया है। विधायी प्रक्रिया में अनुभव रखने के नाते तथा साथ ही काफी समय तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रभारी होने के कारण, मैं यह समझता हूं कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस संकल्प को हमारे विचार के लिए तथा इस देश के विचार के लिए पेश करना उचित समझा है।

वास्तव में, इस मुद्दे पर उस समय भी चर्चा की जा रही थी, जब वे इस मंत्रालय के प्रभारी थे। यह मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में गया तथा वे उस समय काफी असुविधाजनक स्थिति में थे, क्योंकि उनके कार्यकाल में यह मामला निपटाया नहीं जा सका था। उन्होंने चार महत्वपूर्ण बिन्दुओं को श्रेणीबद्ध किया है। ये बिन्दु हैं: सभी राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान करना; उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उसके बाद ऐसे प्रत्येक परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना; ऐसे प्रत्येक परिवार को, जहां उस परिवार के किसी भी सदस्य को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है, 3000 रु. प्रतिमाह से अन्यून दर पर परिवार पेंशन उपलब्ध कराना; तथा अंतिम बिन्दु है – ऐसे परिवारों से संबंधित सभी बालकों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नि:शुल्क प्रदान करना।

पहला बिन्दु परिवारों की पहचान करना है तथा अन्य तीन बिन्दु ऐसे प्रावधान हैं, जिन्हें ऐसे लोगों को एक विशिष्ट स्तर पर लाने के लिए क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संकल्प के माध्यम से श्री रघवुंश बाबू ने देश से वर्ष 2015 तक गरीबी का उन्मूलन करने के लिए एक समयबद्ध तरीके से कदम उठाने का सरकार से आग्रह किया है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने पांच वर्ष की एक अवधि निश्चित की है तथा इन पांच वर्षों के भीतर, आइए हम इन विशिष्ट मुद्दों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करें तथा यह ध्यान में रखें कि यह एक ऐसी स्वच्छंद स्थिति नहीं बनानी चाहिए, जहां हम गरीबी में सुधार लाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराएं परंतु यह धनराशि बिना किसी लाभ के व्यर्थ हो जाए और कुछ भी ठोस नतीजा न निकल सके।

मुझे स्मरण है कि गरीबी में सुधार लाने का यह कार्यक्रम 40 वर्ष पूर्ण आरंभ हुआ था। भारत सरकार ने श्रीमती गांधी के कार्यकाल के दौरान, मैं समझता हूं कि 1971 के 'गरीबी हटाओ' नारे के बाद वह श्रीमती गांधी का दूसरा कार्यकाल था, केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा योजना आयोग द्वारा विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए गए थे जिनके तहत हमने गरीबी के उन्मूलन को लक्ष्य बनाया था। बाद में यह 'सुधार' शब्द अस्तित्व में आया।

रघुवंश बाबू के कार्यकाल के दौरान लोक सभा के सभी पदासीन सांसदों को यह कहा गया था कि वे अपने जिलों की सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं तथा वे गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ऐसे लोगों की एक वास्तविक सूची की घोषणा करें, जिन्हें इंदिरा आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। मैं केवल

एक ही उदाहरण दे रहा हूं। अत: सूचियां तैयार की गईं तथा मैं समझता हूं कि प्रत्येक संबंधित सदस्य ने वह सूची अवश्य ही तैयार की होगी। इसे केन्द्रीय सरकार को भी भेजा गया था तथा वह बेबसाइट पर भी उपलब्ध थी। प्रत्येक वर्ष यह दर्शाया गया था कि विशिष्ट जिलों में हमें इंदिरा आवास योजना की कितनी इकाइयों का आवंटन किया जा रहा है तथा कितने लोग उसे प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम इन आंकड़ों को कुल योग से घटा सकें और पता लगा लें कि अब प्रतीक्षा सूची कितनी रह गई है। मैं समझता हूं कि हर कोई इस बात से आश्चर्यचकित हो रहा है कि यह सूची कभी भी समाप्त नहीं हो सकी। इसमें कभी कमी भी नहीं हुई। यह सूची वर्ष-दर-वर्ष आगे बढ़ती रही। यह कोई गणित का आकलन नहीं है। इसका उत्तर यह है कि यह कोई गणित का आकलन नहीं है क्योंकि अनेक लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं अथवा उसके कुछ ही ऊपर रह रहे हैं अथवा रेखा के ठीक आस-पास रह रहे हैं, एक सूखा अथवा एक बार मानसून के न आने के कारण वे सभी लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, इस संकल्प के लिए आवंटित किया गया समय समाप्त हो गया है। मेरे पास इस संकल्प पर बोलने वाले छह और सदस्यों की सूची है। यदि सभा सहमत है, तो चर्चा के लिए समय को एक घंटा और बढ़ा दिया जाए। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री भर्तृहरि महताब : पूर्ववक्ता, अर्थात् श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाया गया मुख्य प्रश्न यह है कि इस संबंध में भिन्न-भिन्न आंकड़े क्यों दिए जा रहे हैं? योजना आयोग एक आंकड़ा दे रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय किसी अन्य प्रतिशत को प्रस्तुत कर रहा है, यूएनडीपी कोई और प्रतिशत दे रहा है, विश्व बैंक कोई अन्य प्रतिशत दर्शा रहा है। कुछ कहते हैं कि यह 79 प्रतिशत है; कुछ इसे 81 प्रतिशत बताते हैं; कुछ कहते हैं यह 80 प्रतिशत हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई सक्सेना समिति किसी अन्य अनुमान को प्रस्तुत कर रही है; योजना आयोग कहता है कि यह 27 प्रतिशत थी और अब तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट द्वारा इसमें 10 प्रतिशत की और वृद्धि कर दी गई है तथा यह अब 37 प्रतिशत हो गई है। इस संबंध में इतना संशय क्यों है? नीति की योजना बनाने वाला हर व्यक्ति इससे भ्रमित हो जाएगा। जिस व्यक्ति की इस कार्यक्रम में थोड़ी भी रूचि है, वह पूरी तरह से भ्रमित है। इसकी वास्तविक संख्या क्या है? मैं समझता हूं कि गणित के प्रोफेसर होने के नाते डॉ. रघुवंश प्रसाद जी के पास इसका उत्तर होगा। इसका आंकड़ों से कोई संबंध नहीं है। यह विशुद्ध गणित का मामला है।

महोदय, संसदीय प्रक्रिया के बारे में मेरी सीमित समझ के साथ जहां तक मैं समझ पाया हूं, गरीबी का आकलन योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा संचालित उपभोक्ता व्यय पर नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। योजना आयोग प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, जिसे गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का अवधारण करने के लिए एक मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है, पर आधारित 'गरीबी की रेखा' का प्रयोग करता है। प्रति व्यक्ति उपभोग मानदंड राष्ट्रीय स्तर पर 1973-74 के मूल्यों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रु. प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु. प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। यदि यही पद्धति विद्यमान रहेगी, जिसके द्वारा गरीबी का अवधारण किया जाता है, तो क्या हम सही तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं? परंतु यही वह पद्धति है, जिसके द्वारा योजना आयोग इस कार्य को कर रहा है।

अपराह्न 4.03 बजे

[**डॉ. गिरिजा व्यास** *पीठासीन हुईं*]

महोदया, यहां यह उल्लेख करना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि दलों के गठबंधन पर ध्यान दिए बगैर, आने वाली प्रत्येक सरकार ने समाज को तथा बड़े पैमाने पर लोगों को यह दर्शाने का प्रयास किया है कि उनके ही कार्यकाल के दौरान गरीबी में वास्तविक रूप से कमी आई है। उसे ध्यान में रखते हुए वास्तव में हर कोई, कृपया मुझे इस शब्द का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए, आंकड़ों में फेर-बदल करने का प्रयास कर रहा है। यही समस्त समस्याओं की जड़ है। राज्य-आधारित गरीबी-रेखाएं राष्ट्रीय-स्त की गरीबी-रेखाओं से आकलित की जाती हैं, जिसके लिए राज्य-आधारित मूल्य सूचकांकों और अंतरराज्यीय मूल्य समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 356.30 रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 538.60 रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह थी। परंतु गरीबों की पहचान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा घर-घर किए जाने वाले सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है जिसमें शत-प्रतिशत स्थानों को कवर किया जाता है। मेरी यह राय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला सर्वेक्षण बहुत ही सरीक होता है क्योंकि यह घर-घर जाकर किया जाने वाला सर्वेक्षण होता है। परंतु उसमें

[श्री भर्तृहरि महताब]

एक कमी हैं वह सर्वेक्षण कौन करता है? क्या यह अत्यंत विषयपरक नहीं है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसे बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए 'बीपीएल जनगणना' कराने के लिए राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है, जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। बीपीएल जनगणना सामान्यतया प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आरंभ में संचालित की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी तक ऐसे तीन बीपीएल सर्वेक्षण किए हैं, जिसमें से पहला सर्वेक्षण आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वर्ष 1992 में किया गया था।

वर्ष 1997 में, इसे नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए तथा वर्ष 2002 में, इसे दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संचालित किया गया था। यह बात बहुत मजेदार है कि वर्ष 2002 में संचालित की गई पिछली बीपीएल जनगणना ग्रामीण कुटुंबों की अंक आधारित वरीयता की क्रियाविधि पर आधारित था जिसके लिए 13 सामाजिक-आर्थिक मापदंडों का प्रयोग किया गया था, जैसीकि डॉ. पी.एल. संजीवा रेड्डी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। ये थे – भू-संपत्ति, मकान का प्रकार, कपड़ों की उपलब्धता, खाद्यान्न सुरक्षा, स्वच्छता, उपभोक्ता वस्तुओं का स्वामित्व, साक्षरता की स्थिति, कुटुंब श्रम की स्थिति, आजीविका के साधन, बच्चों की स्थिति, ऋण का प्रकार, प्रवास का कारण तथा सहायता के लिए वरीयता। ये ऐसे 13 मापदंड थे, जिनके आधार पर वर्ष 2002 में बीपीएल जनगणना की गई थी। वर्ष 1992 और 1997 के बीपीएल सर्वेक्षणों के दौरान अपनाए गए आय और व्यय संबंधी मापदंडों की अपनी सीमाएं थीं तथा इन दोनों ही दृष्टिकोणों की विषयपरक होने के लिए अत्योचना की गई थी तथा इन अंकों के साथ ही, इनकी अपनी सीमा भी है। अतः, एक नया सुझाव दिया गया है और मैं उस प्रणाली का समर्थन करूंगा। अंक प्रदान करना उसका एक भाग है। परन्तु क्या आप एक ऐसी प्रणाली अथवा तंत्र स्थापित कर सकते हैं, कि अनेक समृद्ध व्यक्ति भी स्वतः ही बीपीएल सूची के अंतर्गत शामिल हो जाएं? क्या उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकता है? जिस व्यक्ति की बीपीएल श्रेणी में पहचान कर ली जाती है, वह वहां आजीवन बना रहता है, जब तक कि कोई उसका नाम वहां से हटा न दे। परन्तु क्या आप इस अंकीय प्रणाली के साथ ऐसा तंत्र स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि आप उस सूची से किसी व्यक्ति का नाम स्वतः ही निकाल सकें? और यही बात सबसे जरूरी है। अन्यथा, यह सूची आगे बढ़ती ही जाएगी।

वर्ष 2002 की बीपीएल जनगणना के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ऐसे बीपीएल कुटुंबों की संख्या पर सीमा लगाना थी, जिनकी पहचान योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के अनुरूप की जानी थी, और यहीं, कठिनाई उत्पन्न हुई। यही कारण है कि अनेक राज्य सरकारों ने, जिसमें उड़ीसा राज्य सरकार भी शामिल थी, इसका विरोध किया। इसके पश्चात्, उसमें दस प्रतिशत लोगों को और जोड़ा अथवा घटाया गया परंतु मैं उस पहलू की चर्चा नहीं कर रहा हूं।

हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहेंगे कि वे ग्यारहवीं योजना की जनगणना के लिए क्या करने जा रहे हैं। डॉ. एन.सी. सक्सेना की रपोर्ट पहले से ही हमारे सामने आ गई है। विचारार्थ विषय भी पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शित किए जा चुके हैं, परंतु मैं विशेषज्ञ समूह को दिए गए पाँच विचारार्थ विषयों में से एक का उल्लेख करना चाहूंगा। इसे सर्वेक्षण संचालित करने, आंकड़ों के वैधीकरण के लिए संसाधित करने तथा विभिन्न स्तरों पर बीपीएल सूची के अनुमोदन के लिए एक संस्थागत प्रणाली की सिफारिश करनी है, जिसके विषय में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। यह पहला भाग है। आप पांच मुद्दों में से इस भाग का निपटान किस प्रकार कर रहे हैं?

मैं एक अन्य पहलू का उल्लेख करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। मेरे ख्याल से पिछले माह टेलीविजन चैनलों सहित अनेक समाचारपत्रों तथा मीडिया में एक समाचार सुर्खियों में था। इसका शीर्षक था कि नए गरीबी सूचकांक के अनुसार भारतीय राज्य से अफ्रीका से भी बदतर स्थिति में हैं। दूसरे समाचार के अनुसार भारत की आधी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है।

ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीसिएटिव द्वारा पिछले माह वैश्विक गरीबी पर जारी किए गए एक नए अध्ययन से उत्सुकता और भी बढ़ गई। इसके बारे में खुश होने की कोई बात नहीं है तथा इसके बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा करने के लिए भी कुछ नहीं है। यही चिन्ता है और यही उत्सुकता है। इस अध्ययन में पता चला है कि भारत में सबसे गरीब आठ राज्यों में 26 सबसे गरीब अफ्रीकी देशों में कुल मिलाकर रहने वाले लोगों से अधिक गरीब लोग रहते हैं। इसमें भारत की गरीबी दर के लगभग 55 प्रतिशत होने का अनुमान भी लगाया गया है। इससे क्या प्रदर्शित होता है? पिछले 63 वर्षों के दौरान काफी लंबा फासला तय किया है। चूंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है और यह गरीबों तथा उनके विकास के बारे में चिंतित है, इस दिशा में काफी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी प्रणाली के प्रशासनिक

तंत्र में देश के गरीब लोगों की भागीदारी है। परंतु देश के गरीब अनेक कारकों की वजह से अभी भी गरीब बने हुए हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा दिया गया सुझाव व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध मैं है। यह केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय का ही विषय नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है; उद्योग मंत्रालय की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है; उद्योग मंत्रालय की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है, पंचायती राज मंत्रालय की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है तथा इन सभी से ऊपर, योजना आयोग को इस संबंध में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है।

यहां मेरा यह प्रश्न है: जब एक स्वतंत्र बाजार तंत्र हमारी प्रगति का निर्धारण कर रहा है, तो क्या योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना का गरीबी को नियंत्रित करने तथा गरीबी का उपशमन करने में कोई महत्व है? इसका महत्व नहीं है। यही वह बुनियादी प्रश्न है, जिसका हमें हल ढूंढ़ना चाहिए। गरीबों को कुछ धनराशि उपलब्ध कराए जाने से उन्हें एक निश्चित जीवन-यापन स्तर तक उठाने में सहायता नहीं मिल सकेगी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करते हुए मैं केवल यही कहूंगा कि जब तक हम शिक्षा के माध्यम से गरीबों को सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक हम सुधार नहीं कर सकते हैं तथा हम इस देश से गरीबी नहीं हटा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं रघुवंश बाबू को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वे बहुत अच्छा रेज्योलूशन ले कर आए हैं। उनका इतने वर्षों का जो अनुभव है, सांसद और मंत्री होने के नाते उन्होंने अपने अनुभव को इसमें समेटने की कोशिश की है और गरीबों के दुख-दर्द को समझने की कोशिश की है। इसके लिए वे विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं।?

जब से मैं संसद में आया हूं, एक बात मैं बहुत जोर दे कर कहता हूं कि लोग प्वायंट स्कोर करने की कोशिश करते हैं। जितनी भी चर्चाएं होती हैं, वे एक-दूसरे पर आरोप लगाने में गायब हो जाती हैं। ऐसा भी लगता है कि यदि पार्लियामेंट सत्र नहीं चल रहा है, तो शायद देश में कोई समस्या ही नहीं है। संसद सत्र मुश्किल के वर्ष में 70-80 दिन चलता है, लेकिन रोज कही न कहीं गोली चल रही है, कोई न कोई मर रहा है। किसी का धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं सूखा पड़ गया है। लगता है कि 70-80 दिनों को छोड़ कर जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है, तब इस देश में कहीं भी विपत्ति नहीं आती है। इसका कारण यह है कि हम केवल हैडलाइन्स बनाना चाहते हैं, मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और अपने आपको जन प्रतिनिधि बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए रघुवंश बाबू धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आज कोई भी स्कोर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीजेपी से, सीपीएम तृणमूल से, सपा बसपा से यहां लड़ाई करने के लिए आए हैं। इसीलिए ये धन्यवाद के पात्र नहीं है। मैंने बीजेपी और कांग्रेस की बात कही है, मैंने अपनी भी बात कही है। आज सुहाना मौसम है, बाहर बारिश हो रही है, हम गरीबी, बीपीएल की बात अच्छे माहौल में कर रहे हैं और यदि ये 10 आदमी ही पार्लियामेंट चलाते रहे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि देश के बारे में हम कुछ न कुछ निर्णय निकाल पाएंगे। समुद्र मंथन होगा, उसमें से अमृत निकलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसके लिए यह संसद धन्यवाद की पात्र है।

दूसरे, दो तीन चीजें जो मैं बचपन से सुनता आया हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम गरीबी में पैदा होते हैं, उसी में पलते हैं और अपनी पीड़ियों को कर्ज देकर चले जाते हैं। आजादी के इन 63 वर्षों बाद भी आज की स्थिति यही है। हमारे यहां एक कहावत है – गरीब की लुगाई, सबकी भौजाई। पहले मुझे बचपन में समझ में नहीं आता था कि ये क्या बोलते हैं। बोलते सही हैं। जब आप गरीब हैं तो आपको गलत शब्द से बुलाया जाता है। कोई बड़ा आदमी या गरीब बच्चा है तो उसको बुलाया जाता है कि अरे, तुम इधर आओ। यदि वह कुर्सी पर बैठ गया तो पूछा जाता है कि तुम कुर्सी पर क्यों बैठ गये? इसमें जाति या धर्म का सवाल नहीं है।

आज भी इस देश की स्थिति ऐसी ही है। पहले एक फैशन होता था कि गरीब आदमी सोचता था कि उसका बेटा पढ़े-लिखे और वह बड़ा आदमी बन जाए और हम बड़े लोगों की श्रेणी में आ जाएं। कुर्सी पर बैठ जाएं, हवाई जहाज से चलने लगें और रिक्शा छोड़कर मोटर साइकिल मिल जाए। लेकिन आज क्या हो गया है, पिछले 15 साल में यह फैशन बदल गया हैं जब भी हम आप जैसे जनप्रतिनिधि जाते हैं तो सभी यह सोचते हैं कि हमारा नाम बीपीएल में है या नहीं। आज वे गरीब बनना चाहते हैं। जैसे आज से 15-20 साल पहले यह फैशन था कि लोग अपने आप को गरीब कहलाना नहीं चाहते थे। एससीएसटी नहीं होना चाहते थे। लेकिन उसका कारण

[श्री निशिकांत दुबे]

क्या है? इसकी तह में जब तक यह देश यह सरकार नहीं जाएगी, बीपीएल की सूची कुछ भी बना लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उसकी तह में जाने की आवश्यकता है कि आप इसमें जो इंसेंटिव देने की बात करते हैं कि यह जो बीपीएल का लाल कार्ड है, यह वॉयबल है। यह वॉयबल आपके पास होगा, तभी अन्न आपको इससे मिलेगा। इसी से आपको इंदिरा आवास देंगे। क्या घर देते हैं, घर बनाने के लिए 40-45000 रुपये देते हैं। 45000 में क्या छत खड़ी हो सकती है? पैसा लेना है और उसमें भी कमीशनखोरी है। उसमें पंचायत सेवक 5000 ले लेगा और जो पोलीटिकल वर्कर घर दिलाने ले जाएगा, वह 5000 रुपये ले लेगा, बीडीओ पैसा ले लेगा। बाद में आप कहते हैं कि आप एकाउंट में देते हैं। लेकिन एकाउंट में कितना पैसा मिलेगा? मुश्किल से 15-20000 देते हैं। उस 15-20000 में या तो घर बन सकता है या दीवार खड़ी हो सकती है। यह निर्णय करने का सवाल है।

श्री अर्जुन चरण सेठी : घर बनाने के लिए इच्छा नहीं है, इसलिए ऐसे करते हैं।

श्री निशिकांत दुबे : यह बात है। दूसरे, आप बीड़ी मजदूर के नाम पर, आप गरीबों के नाम पर जो भी इंसेंटिव दे रहे हैं, मनरेगा की बात हो रही थी मनरेगा की तहत यही है कि जो गरीब आदमी है, उसे हम 100 दिन का रोजगार देंगे। बहुत बड़ी योजना है। मेरा उसमें विरोध नहीं है। रघुवंश बाबू जो रिजोल्यूशन लेकर आए हैं, उन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने किया है, आप धन्यवाद के पात्र हो सकते हैं। अभी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र गया और निर्वाचन क्षेत्र में कहा गया कि नरेगा की जो योजना है, आप विजिट करने चले जाइए। मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस तरह की योजनाओं की विजिट नहीं करता। मनरेगा का मतलब जो मैं समझ पाता हूं कि एक राजा था जिसे अपनी लेबर से काम कराने का कोई मौका नहीं होता था कि कहां से उसको पैसा देगा तो वह रोज वही दीवार खड़ा करता था। और रोज दीवार तोड़ देता था। मैं समझता हूं कि मनरेगा भी यही है। कोई काम नहीं करना है, मिट्टी का काम करना है और उसे बारिश में बह जाना है। आप गरीबों को पैसा देना चाहते है तो आप उससे कोइ काम कराकर पैसा देना चाहते हैं। आप दीजिए। इसलिए मैं मनरेगा की योजना की न आलोचना करता हूं और न देखने जाता हूं। लेकिन चूंकि वह मेन रोड पर था तो मैंने सोचा कि मैं देख आऊं। 21 मार्च को यह कहा गया कि इस प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन हो गया है। मनरेगा का जो बोर्ड था, इसका बांध बन रहा है और उसमें 31 मार्च को यह काम एवार्ड हो गया। 30 जून को काम पूरा हो गया, यह सब बोर्ड में लिखा हुआ है। इसकी कुल लागत 1,90,000 रुपए है जिसमें लेबर की कॉस्ट 1,84,000 रुपए थी, वह हमने पेमेंट कर दी है। मैंने वहीं से अपने यहां के डीसी को फोन किया। मैंने बीडीओ को फोन किया और कहा – यह क्या किया है? तुमने बोर्ड लगाया है जबकि एक कुदाल मिट्टी नहीं काटी है, एक टोकरी मिट्टी नहीं बनी है, आप आकर देखो। यह क्यों लिखा है? उसने कहा – सर, 15 अक्तूबर के बाद जब बारिश खत्म हो जाएगी तब उसका काम शुरू करेंगे। मैंने उसके लिए कमेटी बनाई और सबको कहा। यह मेन रोड पर है। यह ऐसी मेन रोड है जो नेशनल हाई वे पर है, बगल में है। मनरेगा की यह स्थिति है। हम गरीबों के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं? क्या योजनाएं वहां पहुंच रही हैं?

महोदया, मेरे दो-चार मोटे सवाल हैं। आजादी के 60 साल बाद वे आपसे क्या मांग रहे हैं? हम उसे क्या देने की कोशिश में हैं? मैं फाइनेंस कमेटी में हूं, मैंने प्लानिंग कमीशन सैक्रेट्री से ऑन रिकॉर्ड पूछा – देश में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हम डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा दे रहे हैं और पूरी सरकार रूरल डेवलपमेंट के लिए लगी हुई है लेकिन 27 परसेंट से 37 परसेंट गरीबी क्यों हो गई है? गरीबी 10 परसेंट कैसे बढ़ गई? आप ऑन रिकॉर्ड बयान कोट कर सकते हैं। उन्होंने कहा – पहले हम तय कर लेते हैं कि कितने गरीब हैं। अब हमने क्या किया? तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट के बाद 37 परसेंट गरीब हैं, यह हमने मान लिया। अब तय होगा कि कौन करीब है? इस क्राइटेरिया में कौन आएगा? इसके लिए घर-घर सर्वे होगा। प्रदीप जैन साहब यहां बैठे हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यह तय करेगी। प्लानिंग कमीशन ने तय कर लिया कि 37 परसेंट गरीब हैं और रूरल मिनिस्ट्री तय करेगी कि किस गरीब को क्या देना है, कौन गरीब होगा? जैसे घर में एयर कंडीशन कमरे में तय कर लिया, इसका कोई सर्वे नहीं होना है। पांच साल बाद सर्वे करेंगे, अभी वर्ष 2002 के बाद वर्ष 2010 में शुरू हुआ, आठ साल हो गए हैं। इस तरह से पांच साल का क्राइटेरिया खत्म हो गया। इसके साथ एक बेसिक सवाल मेहताब जी पूछ रहे थे। मान लीजिए बाढ़ आ गई। जब बिहार, झारखंड या उड़ीसा में बाढ़ आती है तब गरीब का पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो जाती हैं आप उसे गरीब मानेंगे या नहीं मानेंगे? हमारे यहां आग की घटनाएं बहुत होती हैं। प्रत्येक साल आग लगती है जिसमें सब कुछ स्वाह हो

जाता है। उनकी फसल भी स्वाह हो जाती है और घर भी स्वाह हो जाता है। आपके क्राइटेरिया के अनुसार जिसके सिर पर छत नहीं होगी उसे बीपीएल मानेंगे। क्या आप उसे बीपीएल की कैटेगिरी में लाएंगे या नहीं लाएंगे? जैसी घटनाएं कच्छ, लेह या उत्तराखंड में होती हैं, लेह में इस तरह के लोगों को बीपीएल कैटेगिरी में मानेंगे या नहीं मानेंगे? मान लीजिए घर में एक आदमी कमाने वाला है और उसकी मृत्यु हो गई, यदि बेटे या बाप की मृत्यु हो गई, आप उसे बीपीएल मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर मानेंगे तो इसके लिए क्या फार्मूला है? मैंने करप्शन की बात कही। मैं पार्लियामेंट हाउस में भी लिखा हुआ देखता हूं–

अयं निज: परो वेत्ति गनना लघु चेतसाम
उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुम्बकम।

महोदया, मैं कहीं और की बात नहीं कह रहा हूं। यह हमारे यहां की घटना है कि चार पंचायत सेवक और डी बीडीओ सस्पेंड हुए हैं क्योंकि पक्के मकान वालों को इंदिरा आवास दे दिया गया। जांच हुई और सस्पेंड हुए? यह क्या तरीका है? आप नियम और कानून बनाने वाले हैं, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है। क्या इन चीजों का इन्कलूड करने वाले हैं? जिसने भी गलत ढंग से नाम चढ़ाया है, क्या आप उसके लिए सजा का प्रावधान करेंगे? जैसा मेहताब जी बता रहे थे कि जब तक आप यह काम नहीं करेंगे गरीबों की लिस्ट बढ़ती रहेगी। इस तरह से 'गरीबी हटाओ' का नारा जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। दो तरह के गरीब हैं – अर्बन पुअर और रूरल पुअर। रूरल पुअर के लिए तो रूरल डेवलपमेंट लिस्ट बना रही है। अर्बन पुअर कौन होगा, इसके लिए अभी कमेटी बनी है। हम कह रहे हैं कि वर्ष 2014-15 तक राजीव आवास योजना के अंतर्गत शहर के गरीबों को मकान दे देंगे। इसी तरह मुम्बई शहर में झुग्गी-झोंपड़ी हटाने का काम हुआ। मुम्बई शहर में जिन्हें नरीमन प्वाइंट और कोलाबा में जिस तरह की झुग्गी-झोंपड़ियां दी गईं, वहां कोई गरीब नहीं रहता है। सारे गरीबों ने वे मकान बेच दिये और क्यों बेचे, क्योंकि जब आप उन्हें गरीब मान रहे हैं तो अपने सोसाइटी बना दी, अब सोसाइट का पैसा कौन देगा, उसकी सिक्युरिटी का पैसा कौन देगा, उसकी बिजली का पैसा कौन देगा, उसके पानी का पैसा कौन देगा? क्या सरकार ने कभी इसके बारे में निर्णय लिया है? आपको लगा कि हमने मकान बना दिये और आप निश्चिंत हो गये। सवाल यह है कि आप अपनी पालिसी में इस चीज को इनक्लूड नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदया : दूबे जी, एक रिजोल्यूशन और है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री निशिकांत दुबे : मैं तीन-चार बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। चाहे वे किसी हिन्दू धर्म की बात कर लें, मुस्लिम धर्म की बात कर लें, बुद्ध की बात कर लें, महात्मा गांधी की बात कर लें, दीनदयाल उपाध्याय की बात कर लें, सभी एक ही चीज कहते हैं कि दरिद्र नारायण की सेवा करिये, नर सेवा ही नारायण सेवा है। ''सुखानि च: दुखानि च: चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च: दुखानि च:'' सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। राजा रंक होता है। और रंक राजा होता है। मेरा यह मानना है कि जब भगवान ने अपना पूरा विराट रूप दिखाया था तो एक ही श्लोक आया था – ''त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्य मेव समर्पये।'' यदि हम गरीबों के बारे में कुछ करना चाहते हैं, हम इस लोकतंत्र में आये हैं, इस प्रजातंत्र में आये हैं, मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट होने के नाते हमारा भी कुछ उद्देश्य है तो पूरा देश को इकट्ठा करिये, हम और आप साथ मिलिये, गरीबों के प्रति न्याय करिये, उनके लिए जो भी योजनाएं हैं, साथ मिलकर आगे बढ़िये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। डॉ. रघुवंश प्रसाद जी जो रिजोल्यूशन लाये हैं, वह उन गरीबों के लिए लाये हैं, जिन गरीबों के पास किसी भी प्रकार के साधन नहीं है। आजादी के 63 साल बीत गये हैं। इन 63 सालों में इन गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने और भारत सरकार के योजना आयोग ने तमाम प्लानिंग बनाई कि इनकी गरीबी को दूर किया जाए। लेकिन 63 साल बीतने के बाद भी ऐसे गरीबों की गरीबी दूर नहीं हो पाई। आज जिस तरह से सदन में चिंता व्यक्त की जा रही है, मैं कहता हूं कि अगर नीति अच्छी है, परंतु नीयत ठीक नहीं है तो ऐसी नीति का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर नीयत सही होती तो गरीबों की गरीबी दूर करने की जो इतनी योजनाएं बन रही हैं, शायद आज उनकी सदन में चर्चा नहीं होती।

महोदया, वर्ष 2002 में जो बीपीएल की सूची बनी, उस सूची के बारे में कमोबेश इस सदन में अधिकांश लोगों ने यह स्वीकार किया कि उसमें धांधली हुई है। वास्तविक रूप से जो गरीब हैं, जिन गरीबों को फायदा पहुंचाना है, उसमें ऐसे बहुत से लोगों के नाम छूट गये और ऐसे लोगों के नाम जुड़ गये या तो राजनीतिक प्रभाव से

[डॉ. बलीराम]

उनके नाम उसमें चले गये या पैसे के आधार पर उनके नाम उसमें चले गये। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं कि बीपीएल का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा या गरीबों के हित में जो सरकारी योजनाएं बनती हैं, उनका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बीपीएल की सूची में हैं। परंतु तमाम ऐसे गरीब लोग, जो बीपीएल की सूची में आने से छूट गये हैं, उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अधिकारी मौके पर जाते हैं और देखते हैं कि सचमुच बीपीएल के लायक नहीं हैं लेकिन बीपीएल की सूची में होने के कारण उसे लाभ मिलता है। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने ठीक कहा है कि घर-घर जाकर हमें सूची बनानी चाहिए। श्री महताब जी ने भी अपने पाइंट्स में कहा है कि हम किस आधार पर उन गरीबों की शिनाख्त करेंगे, कैसे सूची बनायेंगे? अगर इस आधार पर बनायेंगे तो सही रूप में बीपीएल सूची बन सकेगी। इसके अलावा तमाम जो कमेटियां बन रही हैं, सक्सेना कमेटी बनी, तेंदुलकर कमेटी बनी, भारत सरकार का योजना आयोग है, ये तमाम अलग-अलग आंकड़े दे रहे हैं। देश की आजादी को 63 साल हो गये हैं लेकिन इस देश में गरीबों की संख्या कितनी है, कौन-कौन से लोग गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं, मालूम नहीं कर पाये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं और विशेषकर ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप सचमुच गांव में जाकर गरीबों की स्थिति देखिये जिनके बच्चे भूखे सो जाते हैं। आप झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में चले जाइये और विशेषकर ऐसे प्रदेश जहां एस.सी.एस.टी.के. लोगों की बस्तियां हैं, उनके बीच जाकर देखिये, उनका रहन-सहन देखिये, खान-पान देखिये तो आपको लगेगा कि ऐसे लोगों को बीपीएल की सूची में रखना चाहिये था लेकिन वे लोग बीपीएल की सूची में नहीं है।

सभापति महोदया, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो सुझाव दिये हैं कि उन लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाये, उन लोगों को नौकरी दी जाये, माध्यमिक शिक्षा तथा निःशुल्क पढ़ाई-लिखाई सरकार करवाये। ऐसे गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले? आजकल भंयकर बीमारियां चली हैं, उसके पास इलाज करवाने के लिये पैसा नहीं होता है, इसलिए दम तोड़ देते हैं। अभी श्री निशीकांत जी ने करप्शन की बात सही। गरीबों के नाम पर आवास बनाने के लिये पैसा मिल रहा है लेकिन हर स्तर पर लूट-खसोंट हो रही है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ने कांशीराम शहरी आवास योजना बनायी है। हम भारत सरकार से चाहते हैं कि यह पैसा न देकर, जिन गरीबों को लाभ पहुंचाना है, उसकी देखरेख में अगर उनको मकान बनाकर दिया जाये तो लगता है कि शहरी को उसका लाभ मिल पायेगा नहीं तो मिलने वाला नहीं है। ऐसे परिवार जो बीपीएल से हैं, उनमें से किसी न किसी एक को नौकरी मिलनी चाहिये ताकि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। जिस तरह की एजुकेशन है, उससे संबंधित लोगों को रोजगार दिया जा सकता है जिससे उनकी गरीबी और भुखमरी दूर हो सकती है।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदया, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने गरीबों के लिए यह बात रखी है। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो बीपीएल लोग हैं, उनकी हालत क्या है और उनके लिए क्या करना चाहिए। असली बात वह है, जिसे मैंने, आपने और हम सबने प्रैक्टिकली देखा है। हमारा पहाड़ी इलाका है। जब प्लेन इलाके वाले, मैदानी इलाके वालों की ही प्रॉपरली, ठीक तरह से बीपीएल लिस्ट नहीं बनती है तो कौन-सा पटवारी, कौन-सा विलेज लेबर वर्कर, जिसे ग्राम सेवक कहते हैं, ग्राम सेविका कहते हैं, ये वहां तक कैसे पहुंचते हैं। मैं आपसे कह सकता हूं, कि अगर इन्हें गिरदावरी करनी हो तो ये किसी गांव में, किसी घर में बैठकर कर देते हैं। ये फसल देखने तक नहीं जाते हैं। फसल लगी या नहीं लगी, लेकिन गिरदावरी चढ़ा दो। इसी तरीके से जो बीपीएल की लिस्ट बनी है, काफी हद तक जो लिस्ट बनी है, वह ठीक है, लेकिन उसमें बहुत से लोग गलत भी हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो बीपीएल की लिस्ट में नहीं आ पाये हैं। जो गलत फायदा ले रहे हैं, उनके लिए कौन जिम्मेवार है और जो बीपीएल में आने से रह गये हैं, उनके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो बीपीएल की सूची बनाने वाले लोग हैं, जब तक हम इनमें से दो-चार पर सख्ती नहीं करेंगे, तब तक कुछ सही नहीं बनेगा। आप यह कहें कि यह योजना, वह स्कीम, यह करें, वह करें, इससे कुछ नहीं होगा। जो आदमी जिस इलाके में गया, उसने वहां के लोगों को इग्नोर किया, उसने वहां रिलेशंस कायम कर लिये।

महोदया, आजकल बीपीएल की सूची में नाम डलवाने के पैसे भी लिये जाते हैं। क्योंकि बीपीएल की सूची में आने के बाद सुविधाएं मिलती हैं। सिर्फ आई.ए.वाई. का मकान ही नहीं मिलेगा, सिर्फ राशन का सवाल नहीं है और भी सुविधाएं हैं, जो बहुत अच्छी हैं। सिर्फ एक कार्ड बनने से उसका फायदा दूसरे लोग ले जाते हैं। हमारे जो नवोदय स्कूल खुले हैं, केन्द्रीय विद्यालय खुले हैं, इन स्कूलों में जिनके पास बीपीएल का कार्ड है, उनके लिए कोटा रखा गया है। मैंने ऐसे

एक-दो आदमी पकड़े, वे लोगों को राशन देते हैं। वे सप्लायर हैं, उन्होंने डिपो खोला हुआ है, उनकी बहुत बड़ी दुकान है। किसी गांव में, दूर-दराज के इलाके में उनकी दुकान चल रही है। उस बंदे ने अपना बीपीएल कार्ड फूड एंड सप्लाई वालों से मिलकर बनवाया। उसने बीपीएल का कार्ड बनवाकर अपने बच्चे को नवोदय स्कूल में दाखिल करवा दिया। यह मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इस ढंग से एक बीपीएल वाले व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है, बीपीएल के नाम को एक्सपाइड किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सस्पैंड वाली जो धारणा है, जो सस्पैंशन हम किसी भी ऑफीसर की करते हैं, यह सबसे गलत काम है। वह सस्पैंड होता है और एक दुकान खोल लेता है या अगर उसे कोई और पेशा आता है तो वह उसे शुरू कर देता है। वह उस काम में लगा रहता है और एक वकील कर लेता है। बहुत सालों के बाद वह केस भी जीत जाता है और एक अच्छा बिजनेस मैन भी बन जाता है। यह कौन सा ड्रामा है? पहले लोग सस्पैंड होते थे तो उन्हें शर्म आती थी, उन्हें हया आती थी। आजकल सस्पैंड होने को वह ठाठ-बाट समझता है, बहुत अच्छा समझता है और लोग भी उसकी बेइज्जती नहीं करते हैं। आज जमाना बदल गया है। मैं कहना चाहता हूं, मेरी आपसे विनती है कि सस्पैंशन नहीं होना चाहिए, अगर किसी में दम है तो डिसमिस की बात करे। जब तक आप इन्हें सस्पैंड करेंगे, तब तक ये कारनामे करते रहेंगे और इन्हें कोई नहीं रोक पायेगा।

महोदया, मुझे मौका मिला, मैं हैल्थ एवं मैडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था, मैं यादव साहब को भी सुनना चाहता हूं, मैंने 231 डॉक्टरों को डिसमिस किया जो जम्मू और कश्मीर राज्य में काम नहीं करते थे। यह इस देश का रिकॉर्ड होगा। मैंने पूरे कायदे-कानून बनाकर उन्हें डिसमिस किया, उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली है और नये बच्चे जो खजल हो रहे थे, जो हॉस्पीटल खराब थे, वे सारे ठीक से चलने शुरू हो गये हैं। आपको सख्ती करनी है, कोई लाड-प्यार नहीं करना है, कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है, किसी से कोई हमदर्दी नहीं करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन, इंसाफ जब भी किसी ने करना है, उसको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि जब मैं बेईमान हूं, मैं मिला हुआ हूं और 25 खा रहा हूं तो नीचे वाला तो 75 तो सारा रखा ही गया। बदनामी हो गई मेरी जनाब से विनती है और हम नेशनल रूरल इंप्लायमैंट गारंटी एक्ट की बात कर रहे हैं। मेरे एक भाई ने क्रिटिसाइज़ किया। मैं उस क्रिटिसिज़्म में नहीं जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे हमारे इलाके में जो लेबर्स जो बिहार से और दूर-दराज इलाकों से चलकर हमारे इलाकों में आती थी जम्मू और कश्मीर में, वह बंद हो गईं। इसका मतलब यह है कि काम मिला है। *[अनुवाद]* आलोचना न करें। *[हिन्दी]* हमारे इलाकों में गांवों का आदमी जहां आता था बंदरगाहों पर, जहां नीचे जाता था बड़े-बड़े पोर्ट्स पर, बड़े-बड़े मार्केट्स में काम करता था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके के लोग भी अपने घरों में रुक गए, काम चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। सरकार की पालिसीज़ हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ी सख्ती से लागू करने की जरूरत है। *[अनुवाद]* यह एक अच्छी नीत है। *[हिन्दी]* जिसके पास मकान नहीं है, उसकी पहचान भी नहीं है। कौन कहेगा कि कहां का रहने वाला है। स्कीम का मकसद ही यही है कि कोई आदमी से पूछा जाए कि कहां के रहने वाले हो, तो वह कहे कि मैं फलां गांव का रहने वाला हूं। क्योंकि उसका गांव वहां है। जिसका घर ही नहीं है, उसकी कहां की पहचान है, कौन जानेगा कि यह आदमी कहां का रहने वाला है? इसलिए यह स्कीम जो आई है, आपने छोटे लैवल की बनाई है। जितनी तादाद में बीपीएल हैं, जितनी तादाद में उस पंचायत में गरीब हैं, उस गांव में हम क्या करते हैं कि दो घर दे दिये एक पंचायत में। अब दो घर और उन दो घरों की एक्सप्लाइटेशन। दो घरों से पैसा क्यों लिया जाता है। कि पचास घर बीपीएल के वहां हैं। अगर पचास घर नहीं होते, सिर्फ दो घर होते तो शायद उनको सौ प्रतिशत पैसे मिलते। उनको सौ प्रतिशत पैसे इसलिए नहीं मिले क्योंकि वे दो नहीं थे पचासों थे। *[अनुवाद]* वे धनराशि की मांग कर रहे हैं। *[हिन्दी]* उन्होंने करप्शन कर ली, पैसा खा लिया।

हमने एक और बात सुनी क्रिकेट के स्कोर के बारे में। आज स्कोर बनाकर रखा है। क्या क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राम सेवक और बीडीओ महकमा। इनका स्कोर कम था। जिसको निकालना है, उसकी एक बिंदी डालनी है थोड़ी सी, फिर कहेंगे कि उसका कोई स्कोर ही नहीं है। मेरा एक्सपीरियेन्स है, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, मैं पैदल चलने वाला इंसान हूं। सारी दुनिया देखती है, हम लोग सारे एमपीज़ और आप भी देखते हैं। एक भाई ने अभी कहा कि पार्लियामैंट में एसी में बैठकर फैसला नहीं होता, क्या बात करते हो एसी में आप कितने दिन बैठोगे? शाम को ट्रेन पकड़ेंगे और अपने-अपने गांव पहुंच जाएंगे। *[अनुवाद]* हम स्वयं की ही आलोचना कर रहे हैं। *[हिन्दी]* मैं कहना चाहता हूं कि अगर लोक-लाज न होती, डैमोक्रेसी न होती, मैं जनाब को कहना चाहता हूं कि एक मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट है जिसका कुर्ता पकड़कर एक गरीब आदमी हिम्मत से बात करता है कि मेरी बात सुनो। कभी आईएएस के कुर्ते को हाथ लगाकर दिखाओ, किसी अधिकारी के कुर्ते को हाथ लगाकर दिखाओ, वह थाना दिखा देगा, अंदर घुसेड़ देगा, उसकी बीपीएल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन फटा कपड़ा पहने हुआ आदमी हमारे

[चौधरी लाल सिंह]

गले में चिपटा होता है, हम चिपटाते हैं। मैं कहता हूं कि बीपीएल की जितनी रहनुमाई हम लोग जानते हैं, कोई नहीं जानता है। गलती कहीं होती है। अगर आपके पोलिटीशियन्स की इनवाल्वमैंट नहीं होती, बीपीएल की लिस्ट बनते समय यह बता सकता है क्योंकि उन्होंने दौरा किया है। वे दौरा कर रहे हैं और हर इलाके में घूमने वाला इंसान – एक एमपी और एक एमएलए और वहां का रहने वाला इंसान बेहतर जानता है कि वह कौन आदमी है, उसे कोई नहीं पूछेगा, चाहे सरकार मायावती की होगी या चाहे सरकार मेरी होगी, चाहे सरकार किसी और की होगी, यह न सोचें कि मेरी सरकार ने ऐसा कर दिया, उसकी सरकार ने ऐसा कर दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

चौधरी लाल सिंह : मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

सीन बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है। मेरी आपसे विनती है कि गवर्नमैंट ने आठ-दस पॉलिसीज़ ऐसी बनाई हैं लेकिन हमें इसको कैसे मजबूती से लागू करना है, वह सोचने की जरूरत है। एजुकेशन की बात करते हैं, फ्री देना चाहते हैं, मिड-डे-मील भी देते हैं, खिलाते भी हैं कि जाइए स्कूल पढ़िये और स्कोलरशिप भी देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वहां टीचर्स क्या देते हैं? वहां क्या-क्या देते हैं? किस स्टेट की बात करें, किस राज्य की बात करें, और वह एजुकेशन लेने जाता है, उसके मां-बाप का भी इंटरस्ट नहीं होता मैं आपको क्या सुनाऊं। जो हालत हमारी बनी हुई है, मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेहरबानी करें। यह मेरा लास्ट पॉइंट है। जो आदमी मर जाता है, जिस फैमिली का सोर्स मर जाता है, जिस फैमिली में तूफान और भूचाल आ जाता है, जिस फैमिली में आगजनी हो जाती है, उस घर वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका सोर्स खत्म हो जाता है। मैंने बड़े-बड़े दुकानदार देखे हैं। जो लोग इम्पलायी हैं, वह मर जाएंगे तो उनके घर वालों को ठीक-ठाक पेंशन मिल जाती है, लेकिन मिडल क्लास का व्यापारी जब मर जाता है, तो उसका सारा काफिला लुट जाता है। मेरी जवाब से विनती है कि हम जो पेंशन देते हैं जोकि काफी नहीं है। पेंशन काफी कम है। दो-ढाई, तीन सौ रुपये भी क्या कोई पेंशन है? मेरी जवाब से विनती है कि बीपीएल को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम गलत है। इसके अलावा बीपीएल के लिए मिनीमम पेंशन पांच हजार रुपये होनी चाहिए, ताकि उसका घर चल सके। जब आप असल में बीपीएल ढूंढेंगे तो कम मिलेंगे और सही मिलेंगे, लेकिन जब आप गलत करोगे तो जितनी मर्जी स्कीमें बना लो, कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : सभापति महोदया, आपने मुझे डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों का आकलन करके उनको रोजगार प्रदान कराकर, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके तथा पेंशन आदि प्रदान कराकर गरीबी का उपशमन कर सकते हैं।

सभापति महोदया : क्योंकि हमें 5 बजे तक पूरा करना है कृपया इसे पांच मिनट में पूरा कर लीजिए। मैं हरएक सदस्य को, जो बोलना चाहते हैं, समय दे रही हूं, लेकिन केवल पांच मिनट में पूरा कीजिए।

श्री एस. सेम्मलई : गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का आकलन करने के लिए कई मानदंड बनाए गए थे। गरीबी रेखा के आकलनों को अब तक वैज्ञानिक तरीकों से तैयार नहीं कराया गया है। योजना आयोग ने एक पद्धति को अंगीकार किया है जिसपर अलोचकों ने प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। सुरेश तेन्दुलकर का अनुमान है कि गरीबी 42 प्रतिशत है; सक्सेन समिति के अनुमानों के अनुसार गरीबी लगभग 51 प्रतिाश्त है। राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कुल लोगों में से 77 प्रतिशत लोग 20 रुपये प्रति दिन में जीवन यापन करते हैं।

मुझे लगता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को परिभाषित करने के लिए कोई वैज्ञानिक रूप से अनुमान लगाने का तरीका नहीं बनाया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष तथा महिलाओं द्वारा कितनी कैलोरी का खाना खाया जा रहा है, के विचार पर चार दशक पहले से ही अधिक समय पूर्व योजना आयोग पूरा निर्धारित किए गए मानदंड हैं। मुझे लगता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने के लिए यह उपयुक्त समय है जब एक विशेषज्ञों की समिति गठित की जाए ताकि सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ लक्षित लोगों तक पहुंच जाएं। पहले ही दो समितियों का गठन किया जा चुका

है – पहली समिति का गठन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तथा अन्य का गठन योजना आयोग द्वारा किया जाएगा। वे अपनी सिफारिशें दे चुके हैं जिन पर विचार किया जाना है शेष है।

मेरी चिन्ता यह है कि सरकार द्वारा सौ या कई करोड़ रुपये की दी जा रही राजसहायता वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। बजट दस्तावेज 2010-11 के अनुसार सरकार द्वारा 1,24,786 करोड़ रुपये के लगभग की प्रमुख राजसहायता वर्ष 2009-10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार दी जा रही है। चालू वर्ष के लिए 1,00,992 करोड़ रुपये की राशि की प्रमुख राजसहायता गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए है। तथापि, मुझे यह कहते हुए खेद है कि राजसहायता राशि का 50 प्रतिशत तक भी निर्धन लोगों तक नहीं पहुंचता है। इसमें बहुत सारी खामियां, कमियां है तथा सुपुर्दगी तंत्र भी दक्ष नहीं हैं। मुझे भय है कि यदि इन बाधाओं को दूर नहीं किया गया तो विकास प्रक्रिया निर्धन लोगों तक नहीं पहुंचेगी। मैं पुरजोर रूप से यह सुझाव देता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का औचित्यपूर्ण वैज्ञानिक अनुमान लगाया जाना चाहिए, ताकि पात्र लोगों को लाभ प्राप्त हो सके तथा धोखेबाजी से बचा जा सके। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले में मेरे विचारों पर ध्यान देते हुए, सही कार्य करेगी।

गरीबी का उपशमन करने की कुंजी खासकर महिलाओं की शिक्षा है। इस संबंध में, हमारा निष्पादन बहुत ही निकृष्ट है। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम महिलाओं के शिक्षा परिदृश्य में एक क्रांन्तिकारी परिवर्तन लाएगा जिससे विशेषकर महिलाओं की शिक्षा से सशक्तीकरण होगा, परिवार का आकार सीमित होगा तथा परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होगा।

चीन में, ऐसी कहावत है कि भूखे आदमी को एक सूखी मछली देने की बजाये उसे लुभाये। इसी तरह से, कहावत का अर्थ है कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें जोकि लाभकारी रोजगार का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा उनको आत्मनिर्भर बनाएगी। तब तक सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए कल्याणकारी उपाय करे। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का उद्देश्य भी यही है।

इसलिए, मैं सरकार से अपील करता हूं कि संकल्प पर चर्चा के दौरान हमारे सदस्यों द्वारा रखे गए विचारों पर ध्यान दें और जहां तक संभव हो उनको कार्यान्वित करें।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सभापति महोदया, आपने मुझे डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी द्वारा जो यह संकल्प लाया गया है सन् 2015 तक इस देश से गरीबी समाप्त होनी चाहिए, इस पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सीधे प्वाइंट्स पर बोलना चाहता हूं। 1997 में बीपीएल का चयन हुआ, सन् 2002 में दूसरी सूची बनी और एक सुओ मोटो राइट मिला। अगर चयन में गड़बड़ी हुई तो एक फर्स्ट और सैकिंड अपील का अधिकार मिला। यह सिस्टम चयन की प्रक्रिया में हुआ। चयन में गड़बड़ रही। मेरा इसमें सुझाव है कि एसडीएम के लेवल पर अपील सुनने का जो अधिकार है, उसे चेंज करना चाहिए, क्योंकि एसडीएम प्रभावित हो जाता है। वह पोलिटीकल कारणों से प्रभावित हो जाता है, उसका लेवल भी कुछ कम है, इसलिए भी वह प्रभावित हो जाता है। यह बात अलग-अलग स्टेट में उठी थी कि अगर बीपीएल सूची में गड़बड़ है तो किसे अपील करें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपील करने के अधिकार की बात आई थी। मैं उसमें सुझाव देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत बिज़ी रहता है। डिविज़नल कमिश्नर नाम का एक अधिकारी जिले में रहता है, वह तीन-चार जिलों को कवर करता है, कई जगह पांच-छः जिले होंगे। अगर अपील का यह अधिकार उसे दे दें तो वह कम प्रभावित होगा और अपील ढंग से सेटल हो जाएगी। अभी यह स्थिति है कि आपने अपील कर दी और उसमें आपने टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं दिया कि यह अपील उसने कब तक आपको सेटल करनी है। उसमें वह छः-सात महीने भी लगा सकता है। म्युनिसिपेलिटी एवं बीडीओ से रिपोर्ट नहीं आई। इसलिए अपील सुनने का अधिकार बड़े अधिकारी को दिया जाए और उसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दे दिया जाए तो बीपीएल सूची में कुछ सुधार हो सकता है। सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है।

सभापति महोदया, दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि बीपीएल सूची में नये-नये फार्मूले रोज लगाते हैं। मैं एक थंब रूल की बात करता हूं कि जिसका भी कच्चा मकान है, उसे क्यों नहीं बीपीएल में सम्मिलित कर लें। ऐसा एक रूल बनाया जा सकता है और उसके साथ कई अन्य पैरामीटर जोड़े जा सकते हैं। ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां पर कच्चे मकानों में लोग रहते हैं। अगर कोई पांच फैमिली का परिवार है, उसका अगर एक मकान पक्का है और बाकी कच्चे हैं तो उसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ये मोटे-मोटे फार्मूले हैं, जिसके कारण हम बीपीएल सूची को ठीक कर सकते हैं। उसमें अगर गड़बड़ होती है तो बड़े अधिकारी को अपील देकर, उसमें टाइम बाउंड निश्चित कर दें तो बीपीएल सूची में सुधार हो सकता है।

[श्री अर्जुन राम मेघवाल]

सभापति महोदया, तीसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि बीपीएल सूची के जो लोग हैं, वे अधिकतर हैंडीक्राप्ट और हैंडलूम में लगे हुए हैं। उनके पास हाथ का हुनर है। कोई ब्लेकस्मिथ, गोल्ड और सिल्वर वर्क में लगा है तथा कोई ब्लू पोट्री, चूड़ी का काम करने में लगा है, कोई पेटिंग एवं प्रिंटिंग में लगा है, कोई जूट बैग बना रहा है, कोई यूटिलिटी आर्टीकल, कार्पेट, वूडन और ऑयरन फर्नीचर बना रहा है, वे हाथ का हुनर जानने वाले लोग हैं। इस प्रस्ताव में यह दिया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए।

सभापति महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आप जितनी ज्यादा बीपीएल के लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, उनके हाथ के हुनर की केपेसिटी बढ़ेगी, स्कील डेवलपमेंट होगा और वे कमाने लायक बन सकते हैं।

सभापति महोदया, इस प्रस्ताव में जो छात्रवृत्ति देने की बात है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें से अगर 'इफ्स' और 'बट्स' हटा दें, तो सभी योजनाएं ठीक प्रकार से चलेंगी। जैसे अभी पेंशन की बात आई और कहा गया कि यह योजना शुरू कर दी गई है, लेकिन इसमें लिख दिया है कि उसकी दो एकड़ जमीन नहीं होनी चाहिए। विधवा है, तो आपने उसमें लिख दिया कि उसके कोई कमाने वाला आदमी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जो आपने इसमें लेकिन, किन्तु और परन्तु जैसे शब्द लिख दिए हैं, ये हटने चाहिए। बूढ़ा, बूढ़ा होता है और विधवा, विधवा होती है। उसे पेंशन मिलनी चाहिए।

महोदया, अन्त में, मैं एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जो विदेशों, मिडल ईस्ट या कहीं भी जाकर अपना काम कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम करें, तभी उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। बी.पी.एल. की सूची में भी सुधार हो सकता है और जब उन्हें रोजगार मिलेगा, तो बी.पी.एल. की संख्या भी कम हो सकती है और दरिद्रता भी मिट सकती है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2015 तक देश से गरीबी का उन्मूलन किया जाए और सीधे ही पाइंट पर आना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर जो बायोमैट्रिक कार्ड बन रहा है, उसमें अगर आय चिन्हित हो जाए, तो बी.पी.एल. आदमी चिन्हित हो जाएंगे। गरीबी की कोई जात नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति गरीब हो सकता है। गरीबी को हटाने के लिए हमें आर्थिक रूप से आरक्षण लाना होगा। इसके साथ-साथ बी.पी.एल. लोगों को चिन्हित करने हेतु नोडल ऑफीसर की जिम्मेदारी नियुक्त करनी होगी, ताकि बी.पी.एल. वाले चिन्हित हो जाएं।

महोदया, हमारे उत्तराखंड के अन्दर इतनी गरीब है कि लोग रोटी बनाते हैं और उसे नमक के साथ खाते हैं। वहां एक घास होती है, जिसे बिच्छू घास का कंडली कहा जाता है। जब लोगों के पास सब्जी नहीं होती, तो लोग बिच्छू घास अथवा कंडली को खाते हैं। इस प्रकार की गरीबी हमारे उत्तराखंड में व्याप्त है। इसलिए उन्हें चिन्हित किया जाए और यह सरकार की जिम्मेदारी हो। मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुए कहूंगा कि:-

> ''पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, संकल्प से कोई गंगा निकलनी चाहिए
> मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग
> लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं
> मेरी यह कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए।''

इस संकल्प से सूरत बदलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदया, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कहना चाहता हूं कि देश में 1971 में 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया। उस समय उन गरीब लोगों के मन में एक आकांक्षा जगी थी और एक विश्वास उत्पन्न हुआ था कि अब सरकार ने हमारी तरफ रुख किया है और अब हमारी दशा-दिशा बदलने वाली है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आजादी को 63 वर्ष हो गए, लेकिन हम लोग, गरीबी को क्या दूर भगाएंगे और क्या हटाएंगे, अभी तक हमने सही तरीके से इस देश के अंदर गरीबी और गरीबों की पहचान तक नहीं की है। गरीबी घटने के बजाय बढ़ रही है।

महोदया, देश में व्याप्त गरीबी की जांच करने के संबंध में कई समितियां बनीं और उनकी रिपोर्ट्स आईं। सक्सेना कमेटी है, तेन्दुलकर कमेटी है और अर्जुनसेन गुप्ता कमेटी है। सबकी रिपोर्ट अलग-अलग हैं। किसी ने गरीबी के प्रतिशत को कुछ आंका है और किसी ने कुछ आंका है। भारत सरकार की जो सबसे ताकतवर एजेंसी यानी योजना आयोग है, उसका कहना है कि देश के अंदर मात्र 23 प्रतिशत

गरीबी है। जब तक हम गरीबों की पहचान नहीं करेंगे, तब तक हम गरीबी हटाने के बारे में किस प्रकार से सही कदम बढ़ा पाएंगे, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं?

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ हैं, तो इस देश में चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, उसे बिना किसी भेदभाव और राजनीति के गरीबों की पहचान करनी चाहिए। अभी जैसे बी.पी.एल. का बोला है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

सभापति महोदया : माननीय सदस्य, एक मिनट के लिए बैठें। चूंकि अभी दो सदस्यों का बोलना बाकी है और माननीय मंत्री जी का भी उत्तर बाकी है, इसलिए यदि सदन की इच्छा हो तो सदन का समय इस चर्चा के लिए आधा घंटा बढ़ा दिया जाये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : इसीलिए कि दो सदस्य महोदय और मंत्री महोदय को बोलना बाकी है।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदया : सदन का समय इस चर्चा पर आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : महोदया, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप जो समय बढ़ा रही हैं, उससे दूसरे प्रस्ताव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।... *(व्यवधान)*

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : भोला सिंह जी, हम आपका रैजोल्यूशन आज शुरू करेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप चिन्ता न करें, इसकी हमें भी चिन्ता है।

अब आप जल्दी समाप्त करें, कन्क्लूड करें।

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदया, मैं कह रहा था कि अभी तक हम लोगों ने देश के अन्दर गरीबों की पहचान नहीं की है। अब जहां तक बी.पी.एल. का सवाल है, गरीबी की रेखा के नीचे कौन है, इसके लिए योजना आयोग ने, भारत सरकार ने जो मानक तय किये हैं, उन मानकों के आधार पर, मैं जिस प्रदेश से चुनकर आता हूं, बिहार के औरंगाबाद से, उस प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सुशील कुमार सिंह : मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि योजना आयोग के और भारत सरकार के मानक के आधार पर बिहार में गरीब परिवारों की संख्या सर्वे के आधार पर 1.5 करोड़ है, लेकिन भारत सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और योजना आयोग का कहना है कि बिहार में मात्र 65 लाख परिवार ही गरीबी की रेखा के नीचे हैं। दोनों चुनी हुई सरकारें हैं, एक भारत सरकार है और दूसरी राज्य सरकार है, दोनों के बीच में यह किस तरह का कंट्राडिक्शन है? इसके बीच में गरीब मारे जा रहे हैं, गरीब दोनों के बीच में पिस रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि जो पहचान, जो सर्वे हुआ है, जिसके तहत बिहार में 1.5 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा के नीचे चिन्हित किये गये हैं, उसके आधार पर बिहार में गरीबों को अनाज का वितरण किया जाना चाहिए। उसके आधार पर भारत सरकार को कोटा निर्धारित करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि एक तरफ तो इस देश में अनाज सड़ रहा है और दूसरी तरफ बिहार जैसे गरीब प्रदेश में लोग भूखों मर रहे हैं। भारत सरकार को यह चाहिए, मैं सुझाव देना चाहता हूं...*(व्यवधान)* मैडम, मैं एक मिनट में कन्क्लूड करना चाहूंगा, कृपया मुझे मौका दें। मैं कह रहा था कि एक तरफ तो अनाज सड़ रहा है, दूसरी तरफ बिहार जैसे गरीब प्रदेश के लोग भूखों मर रहे हैं। भारत सरकार उनकी दशा-दिशा पर विचार करे और जो अनाज सड़ रहा है, उस अनाज में से प्रदेश सरकार को आबंटित करे और गरीबों को राहत दे।

महोदया, अभी बिहार में भयंकर सूखा है। बिहार में पिछले कई वर्षों से बाढ़ और सूखे के कारण तबाही मची है। इस वर्ष भी स्थिति और खराब है, इसलिए भी मैं भारत सरकार को कहना चाहूंगा कि जो अनाज आपके गोदामों में और गोदामों के बाहर सड़ रहा है, बिहार में भयंकर सूखा है, केन्द्र सरकार की टीम भी वहां गई है और उसने भी माना है कि बिहार में इस वर्ष सूखा पड़ा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को जो अनाज

[श्री सुशील कुमार सिंह]

वितरित किया जाता है, मैं कल की बात कह रहा हूं, मैं कल अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : माननीय सदस्य, आपको मालूम है न कि एक मिनट क्या होता है?

श्री सुशील कुमार सिंह : मैडम, मैं क्षमा चाहूंगा-बस एक मिनट। यह गरीबों के पक्ष की बात है, गरीबी की बात है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : अगले माननीय सदस्य भी बिहार के ही बोलने वाले हैं।

श्री सुशील कुमार सिंह : मैं क्षमा चाहूंगा। मैं औरंगाबाद जिले के नवीनगर ब्लॉक के सत्ता गांव में गया था, वहां पी.डी.एस. का डीलर अनाज वितरित कर रहा था। जब मैंने उस अनाज को अपने हाथ में उठाकर देखा तो न तो गेहूं खाने के लायक था और न चावल खाने लायक था। मैं उसके नमूने को उठाकर ले आया और जिला कलैक्टर को दे दिया। मैं कहना चाहता हूं कि वह अनाज आदमी तो क्या, जानवर नहीं खा सकता, इसलिए मेरा सुझाव होगा कि सरकार यदि उनकी स्थिति पर तरस खाती है तो उनको अनाज के बदले नकद राशि सब्सिडी के रूप में दे दें, उनको सहायता के रूप में दे दें तो वे उस पैसे से अच्छा अनाज बाजार से खरीद लेंगे, लेकिन घटिया अनाज उनको मिल रहा है।

एक तरफ कहा जाता है कि हम यह उनको राहत के रूप में दे रहे हैं और दूसरी तरफ वह खाने के लायक नहीं है।

सभापति महोदया : रामकिशुन जी, आपकी ट्रेन चूक गयी। ...*(व्यवधान)* अभी पांच मिनट के लिए जगदीश ठाकोर जी का नाम लिया गया हैं इनके बाद आपका नंबर है।

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : आप जब मुझे समय देंगी, मैं तब बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा जरूर।

श्री जगदीश ठाकोर (पाटन) : माननीय सभापति महोदया, माननीय रघुवंश प्रसाद जी देश की मूलभूत समस्या के सवाल की चर्चा का संकल्प लेकर आए हैं। मैं आपके द्वारा रघुवंश प्रसाद जी का धन्यवाद करता हूं। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। हमारे यहां काफी फरियादें रहती हैं और सदन के सभी सदस्य इस बात को भली भांति जानते हैं कि बीपीएल की सूची सभी प्रदेशों में काफी गलत बनी हुयी है। इस समस्या का समाधान क्या है? जो आवास योजना हम चलाते हैं, उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड हम सही करते हैं। इसमें भी रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए, पंचायत का रिकॉर्ड देखा जाए और उसके पास नौकरी वगैरह की क्या सुविधायें हैं, वह देखनी चाहिए।

अपराह्न 5.06 बजे

[**श्री अर्जुन चरण सेठी** *पीठासीन हुए*]

सभापति जी, मैं यह बात इसीलिए बता रहा हूं कि गुजरात में जब गरीबी मेले चल रहे थे, तब पता चला कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी बीपीएल यादी में थे। अहमदाबाद जेसे पचहत्तर लाख की आबादी वाले शहर के मेयर का नाम भी बीपीएल सूची में था। जो समारोह होते हैं, जिनमें बीपीएल के नाम पर सहायता दी जाती है, वह चाहे सरकारी बैंक का कर्मचारी हो, उसके पास बीस बीघा जमीन है, उसके पास पक्का मकान होने के बावजूद भी, बड़ समारोहों में उसे सहायता दी जाती है। ऐसे लोगों पर कुछ रोक लगनी चाहिए। बीपीएल सूची के जो नियम या प्रावधान बने हैं, उन प्रावधानों को तोड़कर जो उसका लाभ लेता है, उनको दंड दिया जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय सभापति जी, हम जब भी विस्तार में दौरे पर जाते हैं, तो लोग एक ही बात कहते हैं कि सही लोग जिनको बीपीएल में होने चाहिए थे, वे नहीं हैं और पैसे वाले, जमीदारी वाले, पक्के मकान वाले लोगों के नाम बीपीएल सूची में हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीपीएल सूची सही नहीं होगी और हमारे पैसे ऐसे ही जाते रहेंगे, तो देश से गरीबी नहीं हटेगी। उसे हटाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। बीपीएल के जो प्रावधान बने हैं, उसमें अपील का जो कानून बनाया गया है, उसमें इसके लिए एक स्पेशल अधिकारी की ड्यूटी लगायी जाए। इसके सिवाय उसके पास कुछ और काम नहीं होना चाहिए और वह सही तरह से काम करे, ऐसी व्यवस्था की जाए।

विश्व के सबसे लोकतंत्र देश की बात हम करते हैं। क्या हम कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना पाते, जिससे सही बीपीएल की सूची बने और जो गलत लोग इसका लाभ ले रहे हैं, उनको दंड दिया जाए तथा गलत सूची बनाने वाले जो अधिकारीगण हैं, उन पर कुछ दबाव बनाया जाए? ऐसा कुछ न कुछ मैकेनिज्म बना करके गरीब की बात को ध्यान में रखा जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम अपनी यह बात कहकर, समाप्त करता हूं।

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : माननीय सभापति जी, आपने गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को कैसे गरीबी रेखा के नीचे से वर्ष 2015 तक अलग किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की जाए, उस संबंध में माननीय वरिष्ठ नेता और सांसद डॉ. रघुवंश प्रसाद जी के इस प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति जी, दुनिया में भारत गरीब है, भारत में गांव गरीब है और गांव में रहने वाले लोग बीपीएल सूची की गरीबी रेखा के नीचे हैं। उन लोगों को कैसे गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए, इस चर्चा का मूल विषय यह है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वर्ष 1971 में हम छोटे थे, तब हमने एक नारा सुना था – ''गरीबी हटाओ।''

उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आह्वान किया था कि देश से गरीबी हटाओ, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी गरीबी नहीं हटी। गरीबों की संख्या बढ़ गई। इसकी बार-बार गणना होती है। कई आयोग बने और उनकी रिपोर्ट्स भी भिन्न-भिन्न है। व्यावहारिक पहलू अलग हैं और आयोग में आईएएस रैंक के जो लोग बैठे हैं, उनके आंकड़े कुछ और बताते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सही मायने में गरीबी मिटानी है, गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो आपको ठोस कार्यक्रम, ठोस नीति बनानी होगी। अगर आपकी नीयत और नेतृत्व सार्थक हो, अच्छा हो तो निश्चित रूप से गरीबी कम हो जाएगी।

मैं कांग्रेस पार्टी के दो-तीन कार्यक्रमों के बारे में कहना चाहूंगा। बीपीएल कार्डधारी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना हैं उस कार्ड द्वारा गरीब परिवार तीस हजार तक का इलाज करवा सकता है। लेकिन यह गरीब के नाम पर अमीर के लिए लाभ कमाने की योजना है। व्यक्ति तीस हजार का कार्ड लेकर जब डॉक्टर के पास जाता है तो एक हजार-दो हजार रुपये की दवाई लेता है और बाकी पैसों का कुछ पता ही नहीं चलता। आप कहते हैं कि इससे गरीबी दूर करेंगे, गरीबों की बीमारी दूर करेंगे। आपको इस पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा। इसके लिए सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों को मजबूत बनाना पड़ेगा।

मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। रघुवंश प्रसाद जी ने कहा गरीबों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, मिड-डे-मील आदि दिया जाता हैं अगर इस देश से गरीबी मिटानी है तो आप शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत कीजिए, गरीब बच्चों को आवासीय विद्यालयों में पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। उस गांव में आवासीय विद्यालय बनाइए जो बीपीएल के नीचे हैं। उसमें उन्हें 24 घंटे रखिए। उनके खाने का इंतजाम, कपड़ों का इंतजाम, उन्हें पढ़ाने का काम, अध्यापक रखने का इंतजाम कीजिए।.. ..*(व्यवधान)* 14 साल बाद बच्चा जब पढ़ कर निकलेगा तो उसकी काबलियत अच्छी होगी।

आप गरीबी मिटाने के लिए नरेगा में पैसा दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पैसा दे रहे हैं। आजकल रोजगार के अवसर जैसे भैंस पालने, सूअर पालने का काम है। इसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। पूरा पैसा सम्पन्न वर्ग के लोग, अभी एक साथी ने कहा कि आप आवास के लिए 40 हजार, 45 हजार रुपये देते हैं। बीडीओ पैसा खा जाता है, अधिकारी पैसा खा जाते हैं और उनका आवास भी नहीं बन पाता। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर उसकी नीयत ठीक है, नीति ठीक है तो गरीबी हट सकती है। गरीबों को मजबूत करने के लिए आपको यह काम करना पड़ेगा।

रघुवंश बाबू ने छोटे-छोटे उद्योग धंधे, उनकी हाथ की कारीगरी के बारे में कहा। आज गरीबों की हालत यह है कि उनके धंधे धीरे-धीरे छिनते जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* आज पुरवा बनाने का काम भी फैक्ट्री में होता है, दांत खोदने वाली जो सींक बनती है, वह भी मशीन से बनती है।...*(व्यवधान)* कभी गरीब व्यक्ति पत्तल अपने हाथ बनाता था, आज वह पत्तल भी मशीन से बना रहे हैं। अब मशीन किसके पास है? जो पैसे वाले बड़े लोग हैं, उनके पास मशीन है। अब मेरे बोलने पर भी बीपीएल लागू हो जायेगा। मैं सबसे कमजोर नौगढ़ क्षेत्र और अन्य नक्सली जिलों से आता हूं। अभी हमारे उत्तराखंड के साथ सतपाल महाराज जी ने कहा कि लोग घास की रोटी खाते हैं। महाराणा प्रताप जी ने भी इस देश में स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खाई थी, लेकिन गरीब स्वाभिमान के चलते घास की रोटी नहीं रखा रहा। वह उसे इसलिए खा रहा है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कोई संसाधन नहीं हैं। आज अनाज आपके गोदामों में सड़ रहा है। अनाज के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहती है, तो कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हम बीपीएल लोगों को फ्री अनाज नहीं बांटेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन गरीबों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। उनके लिए जो इंदिरा आवास, निर्मल आवास बन रहे हैं, उसके लिए आप पैसा बढ़ाइये। जब महंगाई बढ़ रही है, तो उनके आवास 45 हजार रुपये में नहीं बन सकते।

[श्री रामकिशुन]

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप कालोनियां बसाते हैं, तो गांवों में बीपीएल परिवारों को चिन्हित करके उन्हीं के घरों को, चाहे वह झोंपड़ी है या कच्चा मकान है, उन पर पक्के मकान बनाकर देते हैं, तो निश्चित तौर से उनकी स्थिति अच्छी होगी। इसके साथ-साथ आपको उनके लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने पडेंगे।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में गरीबों की जो हालत है, हम जो दावे पेश करते हैं, उन सबका असर गरीबों पर पड़ रहा है। हम खेल में पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरे मदों में या फिजूलखर्ची में पैसा खर्च कर रहे हैं। गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें उनके प्रति संवेदनशील होकर कार्यक्रम बनाना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ अपने लम्बे भाषणों के द्वारा आदर्शों को ही प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हमें नये सिरे से उनकी पहचान कराने की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि बीपीएल लोग मोबाइल नहीं रख सकते। आज गांव-गांव में मोबाइल दे दिया गया है।...*(व्यवधान)* मैं आपको उनको मानक बता रहा हूं। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में मोबइल नहीं है, चाहे वह गरीब ही हो।...*(व्यवधान)* आपने मोबाइल का बाजार तैयार कर दिया। अब हर गरीब से बड़े-बड़े उद्योगपति मोबाइल द्वारा अपना पैसा ले रहे हैं। अब आप कहेंगे कि उनके पास मोबाइल है, इसलिए वह गरीबी की रेखा से नीचे नहीं आता, तो यह भी उचित नहीं है। आज छोटा पोर्टेबल टी.वी. गांव-गांव में पहुंच गया है। यह मानक भी आपको बदलना पड़ेगा। आप बीपीएल के लिए जो मानक रखते हैं, उन मानकों को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्य हैं चाहे सेनगुप्ता रिपोर्ट हो, तेंदुलकर रिपोर्ट हो, सिन्हा रिपोर्ट हो...*(व्यवधान)* योजना आयोग की रिपोर्ट हो।...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।। उन सारी रिपोर्ट्स में गरीबों के आंकड़े ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आज देश की आधी आबादी यानी 37 परसेंट से 40 परसेंट तक गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। उनके बच्चों के पास नौकरियां नहीं हैं। आप रोजगार दे रहे हैं, रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन वह रोजगार उन तक देने के लिए हजारों रुपया ख्र्च करते है।। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गी राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम गरीबों के लिए सौ रुपया भेजते हैं जबकि उन तक केवल दस रुपये ही जाते हैं।...*(व्यवधान)* आखिर यह क्यों हो रहा है, इस पर आपको विचार करना चाहिए, चिन्ता करनी चाएिह। आपको इस प्रस्ताव के पक्ष में होकर यह निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर हम एक हजार रुपया गरीब को दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* अगर सौ दिन का काम गरीबों को देते हैं, तो एक हजार रुपये के हिसाब से उनका दस हजार रुपया हुआ। अब 365 दिन में उनकी प्रतिदिन कितनी आय हुई, क्योंकि दस हजार रुपया उनको साल भर में मिलता है।...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने पहले ही पन्द्रह मिनट ले लिये हैं, इसलिए अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन : अब 365 दिनों में दस हजार रुपया कितना हुआ?...*(व्यवधान)* उनकी पर डे 30 रुपये से ज्यादा आमदनी नहीं है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : महोदय, निश्चित रूप से हमारे देश में बहुत बड़े चिंतक और ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मंत्री, सांसद सम्मानित डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने एक ऐसा संकल्प देश की सबसे बड़ी पंचायत में लाने का काम किया है जिस पर 18 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि देश से गरीबी जानी चाहिए। जब तक हमारा देश गरीबी से मुक्त नहीं होगा, तब तक हम अपने अन्तिम लक्ष्य को नहीं छू सकते हैं। सभी माननीय सदस्यों की बातें मैंने सुनी हैं, सबके मन में यह बात है, हर वक्ता ने जहां तक सवाल खड़ा किया, वहीं उन्होंने उसका निदान भी दिया क्योंकि हमें यह समस्या से निदान पाना है। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार में जन्म लिया, मेरे पिताजी सरकारी विभाग में रेलवे ड्राइवर थे। वहां रनिंग स्टॉफ के लिए एक डायरी मिलती थी, वह जब भी ड्यूटी पर जाते थे, उस डायरी पर हमेशा मैंने उनको यह लिखते देखा कि हे ईश्वर, दीनता के बिना जीवन, कष्ट के बिना मृत्यु और मृत्यु के पश्चात् मुक्ति प्रदान करना। दीनता या गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। आज उस दीनता से हम कैसे देश को निजात दिलाएं, उसके लिए डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने एक दिशा दी और उस दिशा पर यह सरकार पहले से ही निरंतर कार्य करती आ रही है। उनको बहुत अनुभव है और जिस तरह से आज देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं, उनका चिह्नांकन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस सरकार में योजना

आयोग गरीबी संख्या का निर्धारण करता है और गरीबी संख्या का निर्धारण करने के लिए पूरा एक वैज्ञानिक फार्मूला है जिसके आधार पर एनएसएसओ 1,25,000 घरों के अंदर, पूरे देश के हर राज्य में, चूंकि हमारे देश में सात लाख से ज्यादा ग्राम हैं, 2,52,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, सैम्पल के आधार पर सर्वे करने के लिए उनका एक क्राइटेरिया है जिसमें 260 प्रश्न हर परिवार में जाकर वे पूछते हैं। इस आधार पर एक सर्वे होता है और इसके आधार पर गरीबी की संख्या का निर्धारण होता है। हमारे मंत्रालय का कार्य उसके तरीके का निर्धारण है कि कौन से वे लोग हैं, राज्य के अंदर, उस गांव के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जो गरीबी की सीमा में आते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए लगातार ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से चाहे हम 9वीं पंचवर्षीय योजना देखें, 10वीं पंचवर्षीय योजना देखें या 11वीं पंचवर्षीय योजना देखें, प्रयास किया जाता है क्योंकि हमारे देश के अंदर दिनोंदिन जनसंख्या बढ़ रही है। आज हमारी आबादी 120 करोड़ के करीब होने वाली है और ऐसे में वह तरीका जिसके माध्यम से हम गरीब व्यक्ति की सही ढंग से पहचान करें, उसके लिए सतत् प्रयास चलते रहते हैं। इस विषय पर सभी वक्ताओं ने लगभग चार घंटे चर्चा की है, इसके लिए आधे घंटे का समय आप और बढ़ाएं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज हम लोगों को मिलकर इस बात पर एक मन बनाना है कि किस ढंग से हम, किस तरीके से हम सही गरीब व्यक्ति की पहचान करें। सबसे पहला प्रश्न डॉ. रघुवंश बाबू ने जो किया, मैं उस पर आना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि उसका जवाब भी उन्हें मालूम है। उन्होंने पूछा था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की गणना या उनकी पहचान इतने विलम्ब से क्यों हुई है। सन् 2002 के बाद जब बीपीएल की सेंसेस हुई थी, तब कुछ गलत लोगों के नाम उस सूची में जुड़ गए थे। जब उनके नाम हटाए जाने लगे, तो एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। सन् 2003 मे सुप्रीम कोर्ट में लगातार उस पर बहस चली, पक्ष और विपक्ष को उन्होंने सुना और 2006 में वह रोक हटाई गई। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय में इस पर काफी चिंतन और मंथन हुआ। उस समय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह स्वयं मंत्री थे। उस समय एक विचार आया कि केसे इनकी सही संख्या को और कैसे सही व्यक्ति, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, उसे लाभ पहुंचे। हमारे देश में यह व्यवस्था है कि संख्या का निर्धारण योजना आयोग करता है और परिवारों का निर्धारण घर-घर जाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इस बारे में उनसे काफी पत्राचार हुआ, जो 2007 तक चला। मंत्रालय में इस बारे में मंथन हुआ और उसके कई दौरे चले।

मंत्रालय की एक अवधारणा थी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालय भी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। इसलिए योजना आयोग एक कमेटी बनाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को ही इसका निर्धारण करना है। इसलिए 12 अगस्त, 2008 को डॉ. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय समिति गठित की गई। उसे सारी टर्म्स एंड रेफरेंस दी गई थीं, जिनके आधार पर 21.8.2009 को मंत्रालय को प्रेषित किया।

सभापति महोदय, हम जानते हैं कि गरीब व्यक्ति देश की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सरकार का प्रारंभ से ही यह मानना है, चाहे हम आजादी के दिन को याद करें, जब लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को कहा था कि यह आजादी देश के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति के लिए आशा की किरण साबित होगी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि हमें गरीबी हटानी है। इस बार भी हमारी सरकार ने आम आदमी के लिए बजट में कई प्रावधान किए हैं। आम आदमी की सही ढंग से पहचान हो, उसके लिए मंत्रालय ने उस कमेटी की रिपोर्ट को वेबसाइट पर डाल दिया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और अधिकारियों से कहा गया कि कमेटी ने इनकी पहचान के लिए जो नीति बनाई है, जो इसकी रिकमंडेशंस हैं, उन पर आप सुझाव दें।

सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में काफी सुझाव आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हर राज्य की अलग-अलग भौगोलिक स्थिति है। इसलिए उसी राज्य के व्यक्ति बेहतर ढंग से जानते हैं कि उनके यहां जब गणना होगी, पहचान होगी, वह किस आधार पर होनी चाहिए। हमें 16 राज्यों से सुझाव प्राप्त हुए। उसके पश्चात् मंत्रालय ने उन सुझावों पर दो बार मीटिंग बुलाई और एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की। पहली मीटिंग 2 मार्च, 2010 को हुई और दूसरी मीटिंग एक्सपर्ट्स ग्रुप के साथ 21 जुलाई, 2010 को हुई। इन मीटिंग्स में सबका उद्देश्य यह था कि इस बार जो पहचान हो, वह बिल्कुल सही हो। हमें पूरे देश के अंदर वास्तविक गरीब का पता लगाना है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे मंत्रालय ने एनआईआरडीए के अंडर एक मीटिंग बुलाई, जिन्हें पहचान करनी है, जिन्हें घर-घर जाकर सर्वे करना है। अगर देश में इनकी पहचान करनी है।

तो वह केवल योजना आयोग या भारत सरकार के मंत्रालय के माध्यम से हम हर गांव में नहीं पहुंच सकते है। उसके लिए हमें राज्यों का सहयोग आवश्यक है। हम लोगों ने एक मीटिंग पिछले

[श्री प्रदीप जैन]

महीने की थी और उस मीटिंग के बाद एनएसएसओ के माध्यम से देश के 260 गांव रेंडम आधार पर लिये कि इन गांवों के अंदर एक व्यक्ति जिसकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, उसे प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्षमता दे रहे हैं, वह किस तरह से वास्तविक गरीब का पता लगाए? हमने ट्रेनिंग देने के पश्चात्, उनके माध्यम से यह चाहा कि पूरे 260 गांवों में, देश के हर राज्य के लोगों की समयबद्ध सीमा में, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की गणना हो जाए। हम लोगों ने 150 करोड़ रुपये की धनराशि भी राज्यों को अवमुक्त की।

प्रो. एन.सी. सक्सेना की जो रिक्मेंडेशन थी और बहुत सारे हमारे माननीय सांसदों ने जो बात कही कि एक नजर में कौन व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे नहीं है, कौन व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, यह एक नजर में पहचान में आना चाहिए। आज जो हर जिले में धरना-प्रदर्शन होता है, जब भी हमारे माननीय सांसद जाते हैं, विधायक जाते हैं और लोग शिकायत करते हैं कि उस व्यक्ति के पास कार है, उस व्यक्ति के पास बंगला है, फिर भी वह गरीबी रेखा के नीचे की सूची में है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक जगह के महापौर और एक जगह के बहुत बड़े अधिकारी भी गरीबी रेखा से नीचे की सूची में थे। उसके लिए हम लोगों ने जो प्रो. एन. सी. सक्सेना की रिक्मेंडेशन है, वह इतनी पारदर्शी हैं, इतनी अच्छी हैं कि अगर उनका अनुपालन हो जाए तो हम वास्तविक गरीब परिवार के सामने पहुंच जाएंगे।

आज गरीब परिवार की सूची में कौन व्यक्ति नहीं आ सकता है, किसको हम उस सूची से निष्कासित करें, उसके लिए हम लोगों ने एक क्रीटेरिया बनाया है। वह व्यक्ति जो गांव में रहता है और उसकी जिले में भूमि का जो औसत है, सिंचित भूमि अगर दोगुनी है और असिंचित तीन गुनी है तो उसे हम गरीबी रेखा के नीचे की सूची में शामिल नहीं करेंगे। हम उस व्यक्ति को भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं मानेंगे तो आयकर देता हो, जो सरकारी विभाग में काम करता हो। उस व्यक्ति को भी हम गरीबी की रेखा के नीचे नहीं मानेंगे जिसके पास कोई ट्रेक्टर है। हमारी मंशा यही है कि पहली नजर में वह व्यक्ति जो गलत पात्रता के आधार पर अभी तक लाभ उठाते रहे, वे लाभ उठाना बंद कर दें।

हम इसमें किन लोगों को जोड़ेंगे? जिस परिवार की मुख्या एक महिला है, उसे पहली नजर में हम इस सूची में शामिल कर लेंगे। वह व्यक्ति जो पूर्व-निर्दिष्ट आदिम-जनजाति समूह का है या वह परिवार जो पूर्व-निर्दिष्ट महादलित समूह का है, जिसकी मुख्या एक महिला हो, जिसके परिवार के अंदर घर चलाने वाला व्यक्ति विकलांग हो, जिस परिवार के पास कोई आवास नहीं है, जिस परविार के मैम्बर बंधुआ-मजदूर हों।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय मंत्री जी, आप जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, दलित शब्द पर मेरा एतराज है, इस दलित शब्द को हटाकर अनुसूचित जाति कर दीजिए।

श्री प्रदीप जैन : जी, एक्चुअली वह रिपोर्ट के अंदर था...*(व्यवधान)* ठीक है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, आप बैठ जाइये। प्रदीप जी, आप कितना समय और लेंगे।

श्री प्रदीप जैन : आधा घंटा और बोलेंगे। इससे कम में तो हम पूरा जवाब दे नहीं पायेंगे। बाबू जी के पाइंट तो कम से कम पूरा कर दें।...*(व्यवधान)* 25 मिनट दे दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री प्रदीप जैन : महोदय, इसके अलावा हमारे 13 पैरामीटर थे, जिनके आधार पर हम बीपीएल फैमिली को जोड़ते थे, वह भी परिवर्तित करके, हम लोगों ने एससी-एसटी के लिए तीन अंक, अधिसूचना से बाहर की गई जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए दो अंक रखे हैं। हमारे मुस्लिम भाई और बैकवर्ड वर्ग के लिए एक अंक रखा हैं भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए चार अंक रखे हैं। वह कृषि मजदूर जिसके पास 30-40 डैसीमिल, उसके लिए तीन अंक हैं और जिसे कभी-कभी मजदूरी मिलती है, उसके लिए दो अंक रखे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, वह परिवार का मुखिया है, उसके लिए हमने एक अंक रखा है। इसका उद्देश्य यह है कि पहली नजर में ही उन व्यक्तियों को हटा दिया जाए और दूसरा, उनकी मार्किंग के आधार पर जिनके ज्यादा अंक हैं, उनको हम बीपीएल की सूची में जोड़ लें। इसमें हमने एक प्रावधान और किया है, चूंकि सभी सदस्यों की एक ही चिंता थी कि एक लिस्ट बनती, एक दबाव के आधार पर, यदि वहां कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, वह प्रभावशाली व्यक्ति राजनीतिज्ञ है, वह प्रभावशाली व्यक्ति इतना सम्पन्न है कि लिस्ट को प्रभावित न कर सके, इसके लिए हम लोगों ने ग्राम पंचायत की मीटिंग में यह प्रयास किया है कि पहली लिस्ट वहां से बनेगी। जब ग्राम पंचायत में कोई

लिस्ट बन जाएगी, उनका आइडैंटीफिकेशन हो जाएगा, तो हम उन्हें ब्लॉक लेवल पर भेज देंगे। ब्लॉक से दूसरे ग्राम के जो सरकारी अधिकारी हैं, किसी राज्य में पंचायत सैक्रेटरी हैं, किसी राज्य में दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं, वह कर्मचारी उस लिस्ट का सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के बाद वह देखेंगे कि वह लिस्ट ठीक है या गलत है। उसके पश्चात् ग्राम सभा की खुली बैठक में गांव के लोग रहेंगे, जहां लिस्ट को पढ़कर सुनाया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास ट्रैक्टर है, किसी परिवार का मुखिया 60 वर्ष से ज्यादा का व्यक्ति या कोई विकलांग व्यक्ति है तो जब खुली मीटिंग होती है तो उसमें खड़े होकर लोग आपत्ति दर्ज करवाते हैं। इसके अलावा अपीलिंग के लिए हमने रखा है कि हर जिले में एसडीएम के स्तर पर अपील की जा सकती है। इन रिकमंडैशन के आधार पर हम लोगों ने देश के हर राज्य से 260 गांव पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिए हैं। उनमें भी हमारा प्रयास है कि गांव में जो आईडेंटीफिकेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक सूची है, जिसके आधार पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप किस ढंग से गांवों के लोगों से बातचीत करेंगे, किस ढंग से इसे फिल-अप करेंगे। वहीं एक दूसरा तरीका हम लोगों ने पीआरए सिस्टम अपनाया है कि उनके बीच जाएंगे। जब यह सारा सिस्टम हो जाएगा, उसके बाद जब हमारे 260 पायलट गांव हैं, जनगणना के बाद हम एक-एक व्यक्ति को आइडेंटीफाई कर सकेंगे। हमारी सरकार निश्चित रूप से इस बात के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि आंकड़ों में बहुत-सी चीजों का पता नहीं चलता, अगर हम वास्तविक रूप से देखें, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के आउटले को हर पंचवर्षीय योजना में बढ़ाया है। अगर हम 9वीं पंचवर्षीय योजना को देखें, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकांश योजनाएं हैं।

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए। उसके बाद हमें दूसरा रेज्योलूशन भी लेना है।

श्री प्रदीप जैन : महोदय, 9वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 32,869 करोड़ रुपयों का किया था, दसवीं पंचवर्षीय योजना में 56,798 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया और 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 193503 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं क्योंकि अगर हमें अंधेरे से लड़ना है, गरीबी से लड़ना है जिससे गरीबी दूर हो तो हमें प्रकाश का दीपक जलाना पड़ेगा। अगर हम दीपावली की काली रात की परिकल्पना करें तो हम एक जले हुए दीपक से सारे दीपकों में जिनमें बाती है, तेल है, उनमें प्रकाश दे सकते हैं। जब हम गरीबों की पहचान कर लेंगे, हम पहले की लिस्ट के आधार पर ग्रामीण विकास योजना के अंदर प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान कर रहे हैं और वह रोजगार ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से 38 लाख स्वयं सहायता समूह इस देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं और उसमें एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हमारे कैबिनेट मंत्री डा. सी.पी. जोशी जी ने लिया और एफजीएफवाई जो योजना थी, उसको हम लोगों ने एनआरएलएम में कैबिनेट से पास कराया, एक मिशन के रूप में कराया। गांवों के अदंर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, उनका समूह बनाना और समूह बनाने के साथ उनकी कैपेसिटी बिल्ट करना, उनके अंदर उन्हें एक काम प्रदान करना और उनकी तमाम कठिनाइयों को दूर करना है क्योंकि अगर हमें गरीबी दूर करनी है, वह गरीबी जो 28.3 प्रतिशत है, उसे भी हमें दूर करना है। वह गरीबी जो इस सरकार के माध्यम से लगातार कम होती गई है। अगर हम देखें कि गरीबी पहले कभी 55 प्रतिशत थी, 45 प्रतिशत रही और आज 28.3 प्रतिशत पिछले सेंसस के आधार पर है। जो गरीब दूर करने के लिए जो संकल्प डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कहा, वह हम लोग पहले से ही कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने एक मॉडल लिया है। उसके अंतर्गत एक कमेटी मिशन मोड में प्रदेश से बनती है। एक निश्चित समय है, उस निश्चित समय में हम प्रत्येक परिवार को रोजगार से जोड़ेंगे। हमने सारे माननीय सदस्यों की बात सुनी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सभी मेन प्वाइंट्स पर कह चुके हैं।

श्री प्रदीप जैन : मैं डॉ. रघवुंश प्रसाद सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे इस संकल्प को वापस लें ताकि यह सरकार जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को रोजगार देने के लिए प्रयासरत है, इससे प्रत्येक गरीब परिवार के आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलेगी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति जी, मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा। 17 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया और सभी ने इसका समर्थन किया है, चूंकि गरीब का सवाल है। श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी, जगदम्बिका पाल जी, श्री शैलेन्द्र कुमार जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, श्री मंगनी लाल मंडल जी, श्रीमती भावना गाविल पाटिल जी, श्री अधीर रंजन चौधरी जी, डॉ. बी. मेहताब जी, श्री निशिकांत दुबे जी, डॉ. बलिराम जी, चौधरी लाल सिंह जी, श्री एस सेम्मलई जी, श्री अर्जुन मेघवाल जी, श्री

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

सत्यपाल महाराज जी, श्री सुशील सिंह जी, श्री जगदीश ठाकुर जी, श्री रामकिशन जी, सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद करता हूं कि गरीबों के सवाल पर यह जो संकल्प है, इस संकल्प में है कि गरीबी हटाने के लिए संकल्प करो। अभी तक सरकार में संकल्प नहीं देखा गया कि हम गरीबी हटा देंगे। केवल नारा बताओ और गरीबी के लिए जहां तहां इक्के-दुक्के कार्यक्रम भी हुए हैं। गरीबी हटाने का संकल्प प्रथम खंड में है। हम चाहते हैं कि टाइम बाउंड कार्यक्रम 2015 तक गरीबी हटाने का संकल्प किया जाए। इससे पहले सदन गरीबी पर चिंता व्यक्त करे और इसके बाद संकल्प करे कि वर्ष 2015 तक गरीबी हटा देंगे। गरीबी हटाने के चार सूत्र हैं, ऐसा नहीं है कि निर्गुण रूप से कहा गया कि गरीबी हटा देंगे और गरीबी हट गई। इससे न गरीबी हटेगी, न घटेगी और नही रुकेगी। हमें सरकार के लोग कहते हैं इसे वापिस लिया जाए। इसे किस हिसाब से वापिस लें, हम यह सदन पर छोड़ते हैं। सरकार गरीबी रेखा के लिए आइडेंटीफाई नहीं कर सकी है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया है। सक्सेना कमेटी कहती है कि इस देश में 50 फीसदी गरीब हैं। तेंदुलकर कमेटी कहती है कि इस देश में 37 फीसदी गरीब हैं। ये सब सरकार की कमेटी हैं, ये अर्थशास्त्री हैं। अर्जुन सेन गुप्ता के अनुसार 70-80 फीसदी लोग 20 रुपए से कम पर गुजारा करते हैं। इस तरह से उनके अनुसार 70-80 फीसदी हो जाएंगे। अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है कि कितने प्रतिशत गरीब हैं। इसके बाद परिवारों को आईडेंटीफाई करेंगे। क्या करेंगे? इसका क्या उपाय है? ग्रामीण विकास मंत्री, जैन साहब के बस की बात है? योजना आयोग कहां है? नेशनल सैम्पल सर्वे कहां है? कैबिनेट कहां है? प्रधानमंत्री स्तर पर यह तय होना चाहिए। योजना आयोग तय करे कि किस रिपोर्ट को मानेंगे? उन्होंने कहां कहा कि किस रिपोर्ट को मानते हैं? 37 फीसदी को मानते हैं, 50 फीसदी वाले प्रतिशत को मानते हैं या अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी को मानते हैं? ये सब सरकार की कमेटी हैं, इसमें हमारी कोई नहीं है। सदन की भी कोई समिति नहीं है। जब सरकारी कमेटी हैं। सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है। क्यों तय नहीं कर पाई है? आपने कहा वर्ष 2009 के अगस्त महीने में रिपोर्ट दे दी है जबकि वर्ष 2010 का अगस्त महीना चल रहा है, साल भर हो गया। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट उसके बाद आई। अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट भी उसके आसपास आई लेकिन अभी तक कोई निर्धारण नहीं हुआ है? हम किस आधार पर वापिस लें? हम गरीब का गला कैसे कटने दें? हम गरीब के लिए यहां आकर बैठे हैं, सदन में बहस कर रहे हैं। आप तय कीजिए कि आपने किस कमेटी की रिपोर्ट को माना है? आइडेंटिफिकेशन कब तक पूरा हो जाएगा? 11वीं योजना का 2007-08, 2008-09, 2009-10 काल चल रहा है। 13 पैरामीटर 2002 में आए, सुप्रीम कोर्ट के चलते देरी हुई लेकिन यह लागू हुआ। इसमें राज्य सरकारों को कहा गया था इसे ग्राम सभा में ले जाइए। कुछ गलतियां रही होंगी और ग्राम सभा नहीं हुई। अत: ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य रूप से हो। कौन परिवार बीपीएल हैं, यह बात ग्राम सभा में उजागर हो। यह भी सरकार ने नहीं कहा, माननीय मंत्री जी ने नहीं कहा। दो सवाल हैं– बीपीएल की किस रिपोर्ट को मानते हैं और कब तक तय करेंगे? ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? गरीबी हटाने का मूल उपाय दिया हुआ है, इसे सरकार को मानने में क्या एतराज है? इसमें कहा गया है कि पहले गरीब की पहचान कर लीजिए और एक बीपीएल परिवार के एक आदमी को, युवक या युवती को, देश और दुनिया में जिस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, दो या चार महीने की ट्रेनिंग दी जाए। और ट्रेनिंग के बाद उनके प्लेसमैन्ट, उनकी नौकरी की व्यवस्था की जाए। इसमें यह सवाल है। सरकार अभी तक यही नहीं कर सकी है। हम जानना चाहते हैं कि गरीब का खजाने में हिस्सा है या नहीं? गरीब को या तो आप रोजगार दीजिए और यदि रोजगार नहीं दे सकते तो उसे तीन हजार रुपये महीना पेंशन दीजिए। गरीबी कैसे हटेगी। बेरोजगारी हटेगी तो गरीबी हटेगी। उस परिवार को या तो रोजगार दे दो और यदि रोजगार नहीं दे सकते हो तो उसे तीन हजार रुपये महीना पेंशन दो। गरीब का खजाने में हिस्सा है या नहीं।

सभापति महोदय : अब आप खत्म करिये। आप इस बारे में पहले भी बोल चुके हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसे गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए। स्कूलों में मास्टर नहीं हैं। इसलिए मेरे चार-पांच सवालों पर यदि मंत्री जी आश्वासन दें, नहीं तो हम वोटिंग के लिए तैयार हैं। गरीब के साथ सदन में अन्याय नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, रघुवंश प्रसाद जी, क्या आप संकल्प को वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमें आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए इस संकल्प विदड्रा नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को देखते हुए, आपने जो संकल्प पेश किया था उसे वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है।

सभापति महोदय : मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, आप वह सुनिये।

श्री प्रदीप जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रघुवंश बाबू से कहना चाहता हूं कि वह एक सांसद नहीं, बल्कि एक संस्था हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह क्वैश्चन भी कर रहे हैं और जवाब भी उनके पास है। जैसे उन्होंने गरीबों की संख्या के बारे में पूछा। सारे सदन को मालूम है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितने प्रतिशत है। यह योजना आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं जो सक्सैना कमेटी बनी थी, उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स थी, उसे निर्धारण करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसलिए जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बात है, उसमें लगातार भारत सरकार के कार्यकाल के दौरान जो गिरावट हुई है, वह मैं बताना चाहता हूं कि 1973-74 मे जहां कम्बाइंड शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 54.88 प्रतिशत थी। 1993-94 में 35.97 प्रतिशत है।

सभापति महोदय : आप इतना इलाबोरेट मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रदीप जैन : अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पहले भी लगातार ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले एक-एक परिवार को लक्षित किया गया, जिसमें 38 लाख एसएसजी बने हैं और इसके अलावा बहुत सारी योजनाओं को यदि हम देखें...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि वह आपके विचार को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को देखते हुए, क्या आप संकल्प का वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रदीप जैन : मैं माननी सदस्य से आग्रह करूंगा कि वह इस संकल्प को विदड्रा करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम सब सपोर्टस लोगों से सलाह करेंगे, चूंकि उन्होंने समर्थन किया है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : आपकी इच्छा है।...*(व्यवधान)* आप विदड्रा कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप संकल्प को वापिस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अब सदन की राय है तो मैं अपना संकल्प विदड्रा करता हूं।

संकल्प वापस लिया गया।

अपराह्न 5.54 बजे

(दो) बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करना

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मद सं. 13, डॉ. भोला सिंह।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : सभापति महोदय, वे अब बोल सकते हैं; अगले सत्र में इसे जारी रखा जा सकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : चार-पांच मिनट बाकी हैं।

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

> ''कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य में विकास की गति में तेजी लाने तथा इसे पिछड़ेपन से निपटने में सबल बनाने के उद्देश्य से इसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे।''

कहां तो यह तय था कि चिरागां हर एक घर के लिये हो, कहां चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिये। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए।

सभापति महोदय, मैं अपना संकल्प इस सार्वभौम सदन में बिहार के लिए लेकर आया हूं, याचना के लिये नहीं, दया के लिए नहीं लाया हूं। मैं इतिहास में किस तरह से दधीचि की हिड्डी बना है, किस तरह हमने इस देश के विकास के लिए रक्तदान किया है, किस तरह से हमने दुनिया में मानवता की सेवा की है, किस तरह से हमने संविधान को आधार प्रदान किया है और आज उसकी गति केन्द्र सरकार की नीति के कारण है। उसकी नीयत, उसके दृष्टिकोण के कारण आज हमारी यह स्थिति हुई है।

सभापति महोदय, मैं आपको इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक राजकुमार था। उसकी शादी हुई और उसका एक लड़का हुआ लेकिन गरीबी को देखकर, मृत्यु को देखकर वह चिन्तन में रहा। उसने खोज की कि गरीबी क्यों है? दुख क्यों है? पीड़ा क्यों है? इसका निवारण कैसे हो सकता है? उस युवक का नाम सिद्धार्थ था जिसने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसके शरीर पर घास-फूस उग आयी लेकिन तब एक दलित की बेटी सुजाता ने उस महामानव के सामने खीर परोसी तो सिद्धार्थ बुद्ध हुये। उसने बौध धर्म की स्थापना की जो आज दुनिया का सब से बड़ा धर्म है। उसकी जननी बिहार है।

सभापति महोदय, मैं जब इतिहास के एक और प्रकरण की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। सिखों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह जिनका इतिहास त्याग और कुर्बानी का है जिन्होंने इस वतन के लिये बड़ी-बड़ी कुर्बानियां दीं। उनके धर्म ने, उनके सिख समुदाय ने अपने बेटों को बलिदान कर दिया। उसकी जननी बिहार पटना सिटी है। गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म यहीं हुआ था। बिहार भारत की आकृति है। यह न केवल भारत की भौगोलिक आकृति बल्कि ऐतिहासिक आकृति है। मैं ऐसा इसलिये कहना चाहता हूं कि चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने में मगध साम्राज्य के सम्राट हुए तो उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा हिन्दुकुश पर्वत तक की थी। उस समय सिकन्दर का सेनापति सैल्युकस आया जिसके साथ संघर्ष किया। लड़ाई में सैल्युकस को हराया था और बाद में उसकी बेटी से शादी भी की। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहते हैं, उसका प्रधान सचिव था। मौर्य के शासनकाल में यूनान का विदेशी राजदूत मेगस्थनीज आया हुआ था। उसने चन्द्रगुप्त मौर्य से पूछा कि आपके साम्राज्य में इस समृद्धि का क्या कारण है? तब चन्द्रगुप्त मौर्य ने कहा कि अगर आपको जानना है तो हमारे मंत्री कौटिल्य हैं, उन से जाकर यह जानकारी प्राप्त कर लीजिये।

सायं 6.00 बजे

मेगस्थनीज ने कौटिल्य से समय मांगा, कौटिल्य ने समय दिया। जब मेगस्थनीज कौटिल्य के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। अब, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय समाप्त हो गया है कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, हम 'शून्य काल' आरंभ करेंगे।

लेकिन इससे पहले कि मैं माननीय सदस्यों का नाम पुकारूं, मेरा यह कहना है कि अनेक माननीय सदस्य हैं जिन्होंने विशेष उल्लेख करने संबंधी अपनी सूचना प्रस्तुत की है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने भाषणों को 2-3 मिनट तक ही सीमित रखें। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

श्री राजेन गोहैन।

श्री राजेन गोहैन (नोगोंग) : सभापति महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद, 342 के अधीन असम के लिए विनिर्दिष्ट संविधान (अ.ज.जा.) आदेश, 1950 की अनुसूची में तई एहोम्स, कोच राजबोंशी मोरान, मोटक, चूरिया, चाय बागन के श्रमिक और चाय बागान के पूर्व-श्रमिकों को सम्मिलित किए जाने के बारे में बोल रहा हूं।

महोदय, भारत की प्राय: सभी मंगोलियाई जनजातियां तथा उत्तर-पूर्व की जनजातियां या तो अ.ज.जा. (पर्वतीय) या अ.ज.जा. (मैदानी) हैं। परंतु केवल एहोम्स, कोच राजबोंशी, चूरिया, मोरान, मोटक चायन बागान के श्रमिक और चाय बागान के पूर्व-श्रमिक संविधान में ऐसे उपबंध के बावजूद संविधान के अधीन ऐसे विशेषाधिकारों से वंचित हैं।

असम के राज्यपाल तथा राज्य सरकार ने भी इन प्रमुख समुदायों को अ.ज.जा. (मैदानी) की सूची में सम्मिलित किए जाने की सिफारिश भारत सरकार से की है। अब, संसद की प्रवर समिति के गठन के साथ ही इस बात की पूरी आशा है कि समस्त कमियों को दूर कर इस मामले का हल निकाल लिया जाएगा तथा असम में एक करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले इन छह पिछड़े समुदायों को न्याय मिलेगा।

कोच राजबोंशीस समुदाय को अ.ज.जा. की सूची में सम्मिलित किए जाने का मामला वर्ष 1996 में उठाया गया था तथा तत्पश्चात् उन्हें सीमित अवधि के लिए अ.ज.जा. का दर्जा देने संबंधी अध्यादेश तीन बार पारित किया गया। इसके फलस्वरूप समुदाय का अपमान हुआ है चूंकि उस समय बड़ी असमंजसतता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। अत:, इन छह मुख्य पिछड़े समुदायों, जो लम्बे समय से विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं, की सुरक्षा के लिए एक ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदय, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को शून्य प्रहर के तहत उठाने के लिए मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं साथ ही साथ निवेदन करूंगा कि मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। लेकिन बीच में मुझे रोका-टोका न जाये।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के वरिष्ट मंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, जो इस विषय से संबंधित हैं, अभी सदन में उपस्थित हैं। मैं कहना चाहूंगा कि विगत 04 अगस्त से लगभग 17 दिनों से एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उसमें मात्र एक तिहाई उत्पादन हो रहा है। उस इकाई की प्रतिदिन 15 हजार मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता है, लेकिन उससे मात्र 5 से 6 हजार मीट्रिक टन स्टील प्रतिदिन उत्पादित हो रही है। उसके मात्र 2 फर्नेस चल रहे हैं और 3 फर्नेस पूरी तरह से बंद हैं। अब तक भारत सरकार को सात-आठ सौ करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

मैं आपका ध्यान इस बात के ऊपर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां का जो मैनेजमेंट है, वहां के जो अधिकारी हैं, वे यह कह रहे हैं कि हमारा पूरा प्लांट अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है और हर फर्नेस चालू है। सब कार्यरत हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि मैं आपकी इज्ज़त करता हूं, आपका सम्मान करता हूं और आप एक अच्छे आदमी हैं, इसलिए आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जब मैनेजमैंट का कहना है कि प्लांट पूरी तरह से चल रहा है तो फिर 15000 टन प्रतिदिन के बजाय मात्र 5000 से 6000 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन ही क्यों हो रहा है? मैं बोकारो स्टील प्लांट की बात कर रहा हूं और इसके कारण देश के खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है। अभी तक सात-आठ सौ करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है और इसका जो दूसरा बुरा असर हैं, वह उसके सिंकिंग प्लांट पर भी पड़ रहा है, उसके कोको ओवन प्लांट पर भी पड़ रहा है, ये प्रभावित हो रहे हैं। अभी 40 वर्ष इस प्लांट को स्थापित हुए हो गए हैं, लेकिन 40 वर्षों में कभी भी सही तरीके से इसके मेनटेनेन्स पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके पाइपलाइन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, नकली मुनाफ़ा दिखाया जाता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कि वे एक अच्छे और जिम्मेदार आदमी हैं।

सभापति महोदय : आप प्लांट का नाम तो बताइए।

श्री सुशील कुमार सिंह : बोकारो स्टील प्लांट, जो एशिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन करने वाला प्लांट है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो निजी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, वे कहीं न कहीं बीएसएल के मैनेजमैंट को प्रभावित करती हैं। *...(व्यवधान)* इसके कारण सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली इस बोकारो स्टील प्लांट का उत्पादन जान-बूझकर कम कराया जाता है ताकि बाज़ार में निजी क्षेत्र में उत्पादन करने वाली कंपनियों का वर्चस्व कायम रहे और बाजार की कीमतों पर उनका नियंत्रण रहे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराएं कि क्षमता के हिसाब से उत्पादन कम क्यों हो रहा है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

श्री तकाम संजय (अरुणाचल पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक मांग तथा उनके समक्ष आ रही समस्याओं की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भारतीय खाद्य निगम और खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2004 से आज तक के पर्वतीय परिवहन राजसहायता बिलों का भुगतान रोक दिया है। सात वर्षों से अरुणाचल प्रदेश सरकार को खाद्य मंत्रालय से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का विस्तार अरुणाचल प्रदेश के आंतरिक भागों तक करने से संबंधित पहला दिशानिर्देश 1999 में जारी किया था तथा पुनः दूसरा दिशानिर्देश 2001 में जारी किया था। उन्होंने 2001 के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन वर्षों तक पीडीएस का भुगतान किया।

सभापति महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री तकाम संजय : मेरी मांग है 600 करोड़ रुपए का बिल सात वर्षों से लंबित है। खाद्य मंत्रालय इस संवेदनशील सीमावर्ती राज्य की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश के लगभग 80 प्रतिशत स्थलरुद्ध क्षेत्र में चावल उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है। *...(व्यवधान)* हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर पूरी तरह निर्भर हैं।

इस राज्य में एक अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि वह किसी भी प्रकार का विज्ञापन देना नहीं चाहती तथा राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भार ग्रहण नहीं करना चाहती। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को अरुणाचल प्रदेश में उचित दर की दुकानों तक पहुंचाना चाहिए*...(व्यवधान)*।

सभापति महोदय, राज्य के समक्ष जो स्थिति है वह अत्यधिक गंभीर है और इस राज्य का ध्यान रखना होगा। इस मामले में उपेक्षापूर्ण रवैय्या न अपनाया जाए। राज्य सरकारों की समस्याओं को सुलझाने की बजाय भारतीय खाद्य निगम और खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार इस मामले को विभिन्न न्यायालयों में घसीट रहे हैं।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत की है। भारत सरकार से आपकी क्या मांग है?

श्री तकाम संजय : महोदय आपके माध्यम से मेरी यह मांग है कि भारत सरकार इस गंभीर समस्या को तत्काल सुलझाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निकट भविष्य से ऐसा खाद्य संकट न हो। महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो) : सभापति महोदय, मैं शून्य प्रहर में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र खजुराहो के संबंध में आकर्षित कराना चाहता हूं। यहां पर्यटन मंत्रालय का कार्यालय वर्ष 1971 से बढ़िया काम कर रहा था। उस काम की बदौलत खजुराहो दुनिया के मानचित्र पर अंकित हुआ है। पता नहीं, किस वजह से यूपीए की सरकार ने उस कार्यालय को उस जगह से हटाने का निर्णय लिया है। एक तरफ बुंदेलखंड के विकास के लिए पैसे भेजते हैं, पैकेज देते हैं और दूसरी तरफ भारत सरकार के कार्यालयों को खजुराहो से अलग करके, हमें पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से शून्य प्रहर में सदन से अनुरोध करता हूं कि यूपीए की यह सरकार यदि वास्तव में बुंदेलखंड को विकसित करना चाहती है तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के उस कार्यालय को अनिवार्य रूप से हटाने से रोकें। जनता में इतना ज्यादा आक्रोश है कि वहां पर जनता आंदोलन कर रही है। इस कार्यालय को खजुराहो के विकास के लिए रोका जाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए शून्य प्रहर में मैंने यह बात आपके सामने रखी है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : ठीक है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आपका नाम यहां सूची में है। कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा कीजिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, आपके माध्यम से, मैं पूर्वी भारत के व्यापक हिस्से विशेषरूप से उड़ीसा में वर्षा न होने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर इस सभा और सरकार का भी ध्यान कराना चाहूंगा।

वर्षा की कमी के कारण उड़ीसा के 30 जिलों में से कम से कम 11 जिलों में कृषि कार्यकलाप गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। उड़ीसा में इस मानसून के दौरान मध्य-अगस्त तक 773.6 मि. मि. के सामान्य औसत से 16 प्रतिशत कम वर्षा हुई जून, जुलाई और अगस्त के दौरान उड़ीसा के 314 ब्लॉकों में से केवल 91 ब्लॉकों में सामान्य वर्षा हुई। उड़ीसा के अधिकांश भाग विशेषकर 16 जिलों में अल्प वर्षा हुई। नौ जिलों में वर्षा 30 से 80 प्रतिशत के बीच हुई और अन्य जिलों में यह 30 प्रतिशत से भी कम रही। मुझे यह बताया गया कि उड़ीसा के तटवर्ती जिलों, जिनमें महोदय, चांदीवाली में आपका निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, में बहुत कम वर्षा हुई। पौधे रोपे नहीं जा रहे हैं; सम्बलपुर, बारगढ़ और सुंदरगढ़ जिलों में धान के पौधे पहले ही सूख गए हैं; और उड़ीसा के किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केवल उड़ीसा राज्य एक मात्र ऐसा राज्य नहीं है जो कम वर्षा से प्रभावित है। बिहार राज्य में भी सूखा जैसी स्थिति है; झारखंड में, इस वर्ष वर्षा 45-60 प्रतिशत से कम रही; पश्चिम बंगाल में वर्षा में 33 प्रतिशत की औसत गिरावट आई है; पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी गम्भीर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी बंगाल के सूखा प्रभावित राज्यों के साथ-साथ उड़ीसा में भी दिन-प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही हैं पूर्वी राज्यों में दूसरे वर्ष सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुझे केंद्र सरकार की मदद चाहिए। संबंधित राज्यों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार को पूरी क्षमता के साथ आगे आना चाहिए क्योंकि राज्य पौधों, बीजों और अन्य उपायों के लिए भी केन्द्र सरकार की सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं। जब तक यह सहायता तत्काल नहीं दी जाएगी तब तक किसानों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अत:, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह धान के खेतिहरों की सहायता के लिए आगे आए।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली भी चिन्तित हैं, लगातार दिल्ली में बढ़ते हुए डेंगू के प्रभाव से 13 अस्पतालों में लगभग 1070 मरीज भर्ती हो चुके हैं। होलीफैमिली और कई ऐसे अस्पताल हैं, जहां पर अब डेंगू से प्रभावित मरीजों को लिया भी नहीं जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि देश की राजधानी में दो महीने से भी कम समय है, जब कॉमन वैल्थ गेम आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें केवल कॉमन वैल्थ के खिलाड़ी ही नहीं आएंगे, बल्कि पूरी दुनिया से पर्यटक एवं विदेशी मेहमान आएंगे। यह संदेश जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली डेंगू जैसे संक्रामक रोग से प्रभावित है। पिछले दिनों स्वाइन फ्लू से कितनी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं। हमारे पर्यटन पर प्रभाव पड़ा था और पर्यटकों की संख्या कम हुई थी, जो इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। आज हमारे सामने दो चुनौतियां हैं, एक चुनौती कॉमन वैल्थ गेम को सम्पन्न कराने की है, जिसमें कि तमाम खिलाड़ी एवं विदेशी लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के जो स्थानीय लोग हैं, दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाइए, यहां से लेकर ओखला तक या पुरानी दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली के किसी भी एरिया में आज लगातार डेंगू के बढ़ते हुए प्रभाव एवं प्रकोप से पीड़ित हैं।

सभापति महोदय, रेलवे लाइन के ट्रेक के किनारे जो तालाब एवं गड्ढे हैं, भारत सरकार उनके लिए, दिल्ली में नार्दन रेलवे ने एक ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है, जिसमें मॉसकीटो टर्मिनेटर नाम की ट्रेन है, एमसीडी डिपार्टमेंट को उस पर कंटेनर रख कर छिड़काव कराना है। अगर हम युद्धस्तर पर उदासीनता बरतेंगे,*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री लाल सिंह जी, कृपया बैठ जाइए। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : मैं समझता हूं कि आज इस डेंगू के प्रभाव से न केवल दिल्ली प्रभावित है, बल्कि देश के अन्य दूसरे प्रदेश भी प्रभावित हैं, मुंबई में जिस तरह से मलेरिया का प्रभाव पड़ा, दिल्ली का एमसीडी का जो मुख्यालय है, वहां पर भी डेंगू के लारवा मिले।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने पहले ही सब कुछ कह दिया है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं जिससे दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हम संक्रामक रोग के लिए दिल्ली में जो एमसीडी है, हमारे भारतीय जनका पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं की एमसीडी और मेयर हैं। मेयर ने खुद स्वीकार किया है कि दिल्ली में लारवा है, तालाबों में पानी है, मलवे की सफाई नहीं हो सकी है। दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर सफाई नहीं हो सकी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तत्काल युद्धस्तर पर डेंगू की रोकथाम के लिए या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी एनसेफ्लाइटिस या मलेरिया के लिए युद्धस्तर पर प्रभावी कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं वह नहीं कह रहा हूं। परन्तु आपको समय का ध्यान रखना होगा।

श्री जगदम्बिका पाल : आपने बड़ी कृपा की है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले लोक सभा अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सदन में एक रूलिंग दी थी कि अनुसूचित जाति की अत्याचार से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी, उन्हें सदन संज्ञान में लेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त, 2010 को जब सारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस वक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के गांव लहना और थाना करारी के अंतर्गत एक हरिलाल, अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। जो झंडा फहराने के बाद गांव में पंचायत चुनाव की तैयारी में कार्य कर रहा था। उस वक्त कहा-सुनी होने पर, उसे दिन में ही गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। अनुसूचित जाति के उत्तेजित लोगों ने हत्यारों के घरों की आगजनी की। इससे माफी जान-माल का नुकसान हुआ है। उस आगजनी में बहुत सारे निर्दोष लोगों के ऊपर दफा लगाई गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस घटना की एक उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। हरिजन उत्पीड़न से उसकी हत्या हुई है। जो दोषी लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। नामजद रिपोर्ट लिखी गई है और जो निर्दोष लोग हैं, वे कम से कम उस मुकदमे से बचें। यही मेरा आग्रह है। इतनी ही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : माननीय सभापति जी, हमारे देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों सहित, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर लगातार आर.टी.ओ. और पुलिस की अवैध वसूली के चलते एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के आश्रित व्यक्ति, श्री अवधेश कुमार की, पिछले सप्ताह ट्रक से कुचल जाने के कारण अपने दो साथियों सहित मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार आर.टी.ओ. और तेज स्पीड की गाड़ियां आने और क्रॉसिंग्स के न होने के कारण ट्रकों से दबकर, कुचलकर काफी हत्याएं होती हैं और उनमें आम आदमी भर रहा है।

मोहनसराय से लेकर पचफरमा के बीच में, दोनों जनपदों के आर.टी.ओ. और पुलिस द्वारा अवैध वसूली के कारण वहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। उन्हें देखकर ट्रक वाले भागते हैं और इस भागदौड़ में जो भी राहगीर, जो भी गरीब व्यक्ति आता है उसकी मौत हो जाती है। अब तक इस तरह की कई दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों से आप टोलटैक्स लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए आप हमारी जमीनें लेते हैं, आसपास का किसान, गरीब और मजदूर शहर में नौकरी और अपने काम-धंधे के लिए जाता है और उन सड़कों से गुजरता है और उनकी एक प्रकार से उन्हीं सड़कों पर ट्रकों और गाड़ियों की भागदौड़ में मौत हो जाती है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़क सुरक्षा के तहत हमें उनका जीवनबीमा करना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित परिवार की मृत्यु हो गई, उसके साथ उसके दो और साथ भी मारे गए। ऐसे लोगों के लिए एक जीवनबीमा योजना चलानी चाहिए, ताकि जिन लोगों ऐसी दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है, उन्हें कुछ सहायता मिल सके। मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसी घटनाएं होने पर, मारे गए लोगों की सहायता के लिए बीमा

योजना चलाई जाए और उसका खर्च सरकार वहन करे और उन्हें सहायता प्रदान करें, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वे भारत सरकार से संबंधित हैं। आम जनता के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत बीमा योजना चलाई जाए, जिसकी प्रीमियम का भुगतान सरकार करे। इसमें जो भी दोषी लोग हैं, उन्हें सजा दी जाए। आर.टी.ओ. और पुलिस के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है। उसकी भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यही मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे क्षेत्र में जो कोल इंडिया की डब्ल्यू.सी.एल. इकाई है, इसके लिए नई खानों हेतु बहुत सारी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि डब्ल्यू.सी.एल. में 33 नई खानें आने वाली हैं और इनके लिए हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण होने वाला है। जो सी.बी. और एल.ए. एक्ट के अंतर्गत अधिग्रहण हो रहा है, उसके अनुसार जिलाधीश उनकी भूमि की कीमत तय करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के जिस चन्द्रपुर संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां पर गोरेदीप माइन है, वहां किसानों की भूमि का मूल्य 20 हजार रुपए प्रति एकड़ निकाला गया है। वहां इसके चलते किसानों में बहुत असंतोष है और आन्दोलन हो रहे हैं।

कुछ दिन पहले ही घटना आपके ध्यान में आई होगी कि मथुरा एवं अलीगढ़ के आसपास की जो भूमि अधिगृहीत की जा रही थी, उसका 3 लाख रुपए प्रति एकड़ से अधिक दाम दिए जाने के बावजूद वहां किसानों ने आन्दोलन किया।

वहां पर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ का मूल्य निकालने के बाद किसानों में जो असंतोष है, इसके बारे में मैं बार-बार मंत्री जी से मिला हूं, उनको वहां के किसानों के रोष के बारे में अपने पत्रों द्वारा समझाया है। मंत्री जी ने मीटिंग ली और इसके चलते वहां डब्ल्यू.सी.एल. के जो सी.एम.डी. हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है तक जब तक भूमि का मूल्य नहीं बढ़ाया जायेगा, तब तक वहां पर एक भी नई खदान नहीं खुलेगी। यह प्रस्ताव सी.एम.डी., सी.आई.एल. द्वारा मंत्रालय को भेजा गया है, उस पर चर्चा चल रही है। उसके बीच में जिलाधीश, चन्द्रपुर और वहां के डब्ल्यू.सी.एल. के जो बल्लारपुर एरिया के सम्बन्धित अधिकारी हैं, उन लोगों ने वहां पर भूमि अधिग्रहण करने के लिए जबरन किसानों को धमकाया है और घर-घर में यह कहकर झगड़े लगाये हैं, उनके बेटों को यह कहा है कि आप अपने पिताजी को कहिये, हमें भूमि दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे और इसके चलते करीब हर घर में झगड़े कराकर अधिग्रहण करने का प्रयास हो रहा है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसको मानता हूं कि 20 हजार रुपये का जो दाम दिया जा रहा है तो भूमि का कोई मूल्यांकन ही नहीं है।

साथ में उस एरिया में, डब्ल्यू.सी.एल. में जो कोल इंडिया के अधिकारी हैं, वहां पर कुछ लोकल एम्पलाई हैं, जिनकी वहां पर भूमि जा रही है। उन लोगों को यह धमका कर भूमि अधिग्रहण के लिए रजामन्द किया जा रहा है कि तुम्हें हम यहां से ट्रांसफर कर देंगे, नहीं तो भूमि की हमको सम्मति दीजिए और इस तरीके से भूमि का अधिग्रहण हुआ है। वहां के डब्ल्यू.सी.एल. के सी.जी.एम. और प्लानिंग आफिसर ने वहां पर बहुत ही गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण किया है। मैं आपको यह बताता हूं कि जो हमारी आर.आर पालिसी, 2008 है, एल.ए. और सी.बी. एक्ट हैं, इनमें प्रावधान है कि 14(ए) में इसका निगोसिएशन किया जा सकता था, लेकिन वहां पर निगोसिएशन नहीं किया गया और भूमि जबरदस्ती ली गई।

मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगा कि वहां के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और किसानों की भूमि जो जबरदस्ती ली जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए।

इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : चेयरमैन साहब, आपने मुझे यहां से बोलने की जो इजाजत दी है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

आप जानते हैं और हम सारे एम.पीज़. भी जानते हैं कि एक मई, 2005 को राजीव गांधी विद्युतीकरण स्कीम लागू हुई। उसे अच्छे ढंग से बनाया गया और उसका बड़े अच्छे ढंग से इनोगुरेशन हुआ। उसमें यह कहा गया कि हम 2009 को पूरे देश में बिजली देने के लिए कमिटेड होंगे। उसमें यहां तक तय हुआ कि 1.25 लाख गांव जो बिजली के बगैर हैं, उनको भी बिजली दी जायेगी। साथ में यह भी कहा गया कि जो सात से आठ करोड़ हाउसहोल्ड होंगे, उनको घरों में बत्ती लगाई जायेगी।

मैं जनाब से कहना चाहता हूं, मैं अपनी ही कांस्टीट्वेंसी में आपको ले जाता हूं, अगर मिनिस्ट्री की वैबसाइट को देखें तो उसमें कितना डिफरेंस है, आप देखेंगे कि जब हमारी डी.पी.आर. बनाई गई, हमारे यहां जो इमरजेंसी बनी हुई है, आप हमारे हालात को देखें तो उसी तरह से देखें। 104 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. बनी, उसके बाद उसको 76 करोड़ रुपये पर रिड्यूस करके आ गये। फिर अब फाइनलाइज़

[चौधरी लाल सिंह]

किया तो 74.77 करोड़ पर पहुंच गये, लेकिन जब पैसे सैंक्शन किये तो आप हैरान होंगे कि 28.33 करोड़ रुपये किये। आप मुझे बताओ कि कैसे आप बिजली दे पाओगे? आपने यह क्या सिस्टम बनाया है और उससे क्या हुआ? उसमें यह भी किया था कि 24 घंटे बिजली दी जायेगी, चाहे शहरी क्षेत्र हो या विलेज हों, अर्बन और रूरल एरियाज़, दोनों में बराबर 24 घंटे बिजली दी जायेगी, लेकिन मेरी कांस्टीट्वेंसी में और पूरी स्टेट में इतना कटाव लगा, यह हाल बना। मैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात सुना रहा हूं। मेरे यहां 6 जिले हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने यह वायदा किया कि प्राइमरीली हम इर्रीगेशन भी देंगे। इसमें लिखा गया है, मैंने पूरी स्कीम पढ़ी थी, इसमें यह भी लिखा गया कि हम उन जगहों पर भी बिजली देंगे, जिल गांवों में खादी उद्योग हैं, जो छोटे हैं, सब को बिजली देंगे, लेकिन एक भी पोल इन जगहों पर नहीं लगा, जिन जगहों पर एनाउंस किया गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी डिमांड क्या है, वह बोलिये।

चौधरी लाल सिंह : मेरा मसला यह है कि 104 करोड़ रुपये से जो हमारा इलैक्ट्रीफिकेशन होना था, वह 28 करोड़ पर पहुंच गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये वे गांव छोड़ देंगे, जिनकी एल.टी. काट दी गई। अब उन इलाकों का क्या बनेगा? साथ में जुल्म यह हुआ कि इन्होंने एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी. और पी.जी.सी.आई.एल., इन आर्गेनाइजेशंस को पूरा हिन्दुस्तान सौंप दिया।...*(व्यवधान)*

मुझे सिर्फ दो मिनट लगेंगे। आप हैरान होंगे कि एन.एच.पी.सी. को जो काम दिया गया, वह इसलिए दिया गया कि वे बड़े अव्वल दर्जे का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने एल. एण्ड टी. को वह काम दे दिया और एल. एण्ड टी. ने वह काम आगे कॉमन आदमी को दे दिया। आप हैरान होंगे कि वहां कॉमन लोगों को काम दे दिया गया। आप मुझे बताओ, जिसने टेंडर लिया, उसने उसे नहीं किया और आगे बेच दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ? हमारे इलाकों में बिजली का बुरा हाल हुआ। मेरी जनाब से सबमिशन है कि यह टोटल पैसा और जो इलाके रह गए, यहां सब स्टैंडर्ड काम हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि उस ओर ध्यान दिया जाए।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहटी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत गंभीर बात यहां बताना चाहती हूं। असम में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट नार्थ कासा है। वहां बहुत भयंकर घोटाला हुआ, जो घोटाले की सारी सीमाएं क्रास कर गया। अभी रिसेंटली मालूम हुआ कि एक हजार करोड़ रुपए का घोटाला नाथ कछार हिल्स में हुआ। नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टीगेट करके यह निकाला कि इसमें किसी मिनिस्टर का नाम भी था, लेकिन उस मिनिस्टर का नाम बाद में काट दिया गया। अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुयी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि चाहे जितने बड़े पद में हो, किसी के खिलाफ प्राइमाफेसी केस हो, कोई एनोमिलीज हो, उनके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। असम के मिनिस्टर के खिलाफ तो बात आयी थी, उसमें उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया। केंद्र से वहां पैसा जाता है। यह अनुसूचित जनजाति प्रधान डिस्ट्रिक्ट है और वहां भी केंद्र से पैसा जाता है। यह सिक्स्थ शेड्यूल में आता है। राज्य सरकार इस पैसे पर हाथ नहीं डाल सकती, लेकिन राज्य सरकार होने के बावजूद वहां इतना बड़ा घोटाला हुआ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपकी मांग क्या है?

[हिन्दी]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : यहां * एक आफीसर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नाम का उल्लेख मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : एक आफीसर की छत की दीवार से, उसके घर की पानी की टंकी से साढ़े सत्रह करोड़ रुपए बरामद हुए। यह पैसा उग्रवादी लोगों के पास जाता है, अखबार में भी इस बारे मे आया है। मेरी विनती यह है कि सारे विभागों के बारे में विचार होना चाहिए। सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और कोई मिनिस्टर हो तो भी उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। किसी को जोड़ना नहीं चाहिए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अरविन्द कुमार चौधरी (बस्ती) : महोदय, आपने शून्य काल में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा संचालित खराब और प्रतिदिन गिरती हुयी साख की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के लोकसभा क्षेत्र बस्ती से निर्वाचित होकर आया हूं। मेरे यहां आए दिन शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक बीएसएनएल की प्री एवं पोस्ट पेड मोबाइल सेवा पर बात करना मुश्किल है। कुछ ग्रामीण अंचल के एक्सचेंजों की हालत तो और भी बद्तर है। वहां काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की मिलीभगत से जनरेटर की सुविधा हेतु मिलने वाले डीजल की बिक्री बाजार में कर दी जाती है और एक्सचेंज और टावरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। एक तरफ इस प्रतिस्पर्धा के युग में खराब सेवा देने के कारण ही देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी की माली हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। पिछले पांच सालों में ग्राहकों से जुड़ने-हटने का अगर आंकड़ा देखा जाए, तो सर्वाधिक मोबाइल धारकों ने सबसे पहले बीएसएनएल की सेवा ली थी लेकिन बाद में वे किसी अन्य कंपनी की सेवा लेने लगे हैं। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देश की सबसे बड़ी टेलीफोन सेवा कंपनी की गिरती हुयी साख को बचाने एवं जनता के हित को ध्यान में रखकर, इसकी हालत में सुधार लाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि जनता का विश्वास इस कंपनी के प्रति बना रहे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपका ध्यान उत्तराखंड की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां लगातार वर्षा हो रही है। इस अतिवृष्टि से कई सड़कें टूट गयी हैं। सड़कों के टूटने से उत्तराखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। मैं बताना चाहूंगा कि वहां मूलभूत आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी केरोसीन आयल, गैस सिलेंडर, सब्जियां और दूध लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। वहारं हाहाकार मचा हुआ है। वर्षा से वहां की सड़के बहुत टूट गयी हैं, जैसे बैंड-स्वारी ग्वांस मोटर मार्ग, तूना-बैंठा मोटर मार्ग, पूलन, बांगर और कोटेश्वर से संपर्क टूट गया है। वहां पेयजल की बहुत भयंकर समस्या पैदा हो गयी है। वैसे तो उत्तराखंड देश को पानी से तृप्त करता था, लेकिन आज वहां ऐसी स्थिति बन गयी है, जैसे पानी में मीन प्यासी।

पेयजल की समस्या बड़ी भयंकर बन गई है, मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं और जनसम्पर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त किया जाए और वहां के निवासियों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाएं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि देश में एक टोल टैक्स पॉलिसी बननी चाहिए। मैं बीकानेर से आता हूं। मैं जब जयपुर से दिल्ली के बीच यात्रा करता हूं तो वह 270 किलोमीटर की दूरी है और पांच टोल टैक्स आते हैं। अभी इंटरकनैक्टिंग का जमाना है, कम्प्यूटर का जमाना है। क्यों नहीं एक जगह टोल टैक्स वसूल कर लिया जाए और इन पांचों कम्पनियों के बीच एमओयू हो जाए? वे आपस में पैसे बांट लें। इससे एक आदमी को एक ही जगह खड़ा रहना पड़ेगा, पांच जगह खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। यह समस्या जयपुर और दिल्ली के बीच नहीं है, मुझे लगता है कि पूरे देश में यह समस्या है। बीओटी के आधार पर मेघा हाईवे बन गए, सिक्स लेन बन गईं, फोर लेन बन गईं और हर जगह टोल टैक्स बन गए। जनता खड़ी रहती है, अधिकारी खड़े रहते हैं और ट्रक आदि भी खड़े रहते हैं। एक जगह कलैक्शन हो जाए और उसी रसीद को चारों, पांचों कम्पनियां आपस में कम्प्यूटर के माध्यम से हिसाब कर लें। मैं चाहता हूं कि सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे जनता के पैसे की बर्बादी न हो और देश को भी फायदा हो।

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच) : सभापति महोदय, मैं गरीबों की चिकित्सा के बारे में बताना चाहता हूं। मैं बहराइच से सांसद हूं जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। मैं बताना चाहता हूं कि आज गरीब लोगों की क्या स्थिति है। मैं चिकित्सा की अपर्याप्त सुविधा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जातीं। मैं खासकर उत्तर प्रदेश के उन इलाकों जहां एससी, एसटी के लोग निवास करते हैं, वन ग्राम के लोग निवास करते हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। उन्हें ट्रीटमैंट के लिए वहां से 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जहां ज्यादा से ज्यादा झोला छाप डाक्टर हैं, दवाइयों की कमी है। केन्द्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उन गरीब इलाकों में जहां मच्छर बहुत हैं और बहराइच ऐसा इलाका है जहां हमेशा बाढ़ आती है, दबा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं अनुपलब्ध हैं, डाक्टर नहीं हैं। मैं केन्द्र के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराता हूं जिनकी लोकल जिम्मेदारी है। वहां मच्छर की दवाएं नहीं छिड़की जातीं।...*(व्यवधान)* महिलाएं प्रसव पीड़ा से मर जाती हैं।...*(व्यवधान)* मैं आग्रह करता हूं कि उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में भारत के विभिन्न प्रान्तों के साथ बंगलादेश से रिफ्यूजीस को द्वीपसमूह में लाया गया। उसी मुताबिक तमिलनाडु से पल्लर, पराइया जाति, आंध्र प्रदेश से जलालरू, माबागा, उत्तर प्रदेश से बाल्मीकी, बिहार से कुम्हार, केरल से पुल्लाया, पराया और ईस्ट बंगाल से बिश्वास, मंडल, गोलदा जो शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग थे, वे अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में आकर रह रहे हैं और द्वीप विाकस में हाथ बंटा रहे हैं। इन जातियों के लोग आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। ये कुल आबादी के 60 प्रतिशत लोग हैं। इनकी बहुत दिनों से पुरानी मांग चल रही है कि इन्हें शैडयूल्ड कास्ट्स का दर्जा मिले।

जो उदबस्तू रिफ्यूजी बंगलादेश से पश्चिम बंगाल में आये थे, उनको भारत सरकार ने शैड्यूल्ड कास्ट्स का दर्जा दिया और नमशूदरा नाम दिया। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्यों से जो शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हमारे द्वीपसमूह में रहते हैं, उनको वहां भी शैड्यूल्ड कास्ट्स का दर्जा दिया जाये।

श्री बद्रीराम जाखड़ (पाली) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और सदन को प्रणाम। हमारे एरिया में एनएच 14 ब्यावर से पिंड होकर गुजरती है। वर्ष 2011 में वहां सर्वे हुआ था। उस वक्त नौ हजार गाड़ियां आवागमन करती थीं। इसी तरह एनएच 65 अमृतसर से वाया जोधपुर होते हुए पाली के पास जुड़ती है। वहां पर तीन हजार गाड़ियां और जुड़ जाती हैं। इस तरह कुल 12 हजार गाड़ियां हो गयी हैं। आज के सर्वे के मुताबिक 20 हजार से अधिक गाड़ियां वहां से आवागमन करती हैं। वहां फोर लेन तो स्वीकृत हो गयी है, लेकिन हमारी मांग सिक्स लेन की है। पींपलियानाडा के पास आज से दस दिन पहले कुछ मजदूर बैठे थे, वे सारे के सारे मजदूर एक्सीडैंट में मारे गये। वहां किसी परिवार का भाई खत्म हो गया, किसी माता का बेटा खत्म हो गया और किसी महिला का पति खत्म हो गया। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी जो डिमांड है, उसे आप बोलिये।

श्री बद्रीराम जाखड़ : हमारी डिमांड है कि जो फोर लेन रोड स्वीकृत की गयी है, उसे सिक्स लेन किया जाये। यह हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि वहां हमेशा एक्सीडैंट होते रहते हैं। हर दिन वहां कोई न कोई एक्सीडैंट होता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम) : सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले दिनों झारखंड के गरीब मजदूर भाई लेह, जहां बार्डर रोड आर्गनाइजेशन यानी बीआरओ के द्वारा रोड बन गयी थी, वहां झारखंड के 2500 मजदूर काम करने के लिए गये थे। लेह के बारे में पूरे सदन को मालूम है और पूरे समाचार पत्रों और मीडिया में भी आया कि लेह में बादल फटने से, भारी बारिश होने से वहां पूरी तरह से जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया। ऐसी परिस्थिति में हमारे झारखंड के ढाई हजार मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। आज उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। उन्हें खाने के लिए दाना और इलाज के लिए दवा नहीं मिल रही है।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वहां झारखंड के जो ढाई हजार मजदूर फंसे हुए हैं, उनमें से जो मजदूर वापस अपने घर आना चाहते हैं, उन्हें पुनः अपने घर पहुंचाया जाये। दूसरा, जो मजदूर वहां रहना चाहते हैं, उनके लिए भोजन, दवा और रहने के लिए आवास की व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, चूंकि यह सबमिशन मेरा पहले नम्बर पर था, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा,...'

सभापति महोदय : ठीक है। यह रिकॉर्ड में नहीं जायेगा।

श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम) : मैं कहना चाहूंगा कि सरकार उन तमाम मजदूरों को अपने घर ले जाने के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था करे। इसके साथ-साथ सरकार उनके लिए वहां खाने पीने और उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम करे।

सभापति महोदय : अब सभा बुधवार, 25 अगस्त, 2010/भाद्रपद, 1932 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 25 अगस्त, 2010/भाद्रपद, 1932 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।